लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 1.1.84
Parliament Library

[खंड 61 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translation verson in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speaches etc., in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—11, बुधवार, 23 नवम्बर, 1966/2 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 11—Wednesday, November 23, 1966/Agrahayana 2, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
451	बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Refinery	1985—88
452	उर्वरकों का मूल्य	Price of Fertilizers	1988—91
454	विदेशी सहयोग से उर्वरक कारखानों की स्थापना	Establishment of Fertilizer Plants with Foreign Collaboration	1991—93
456	अन्तरिम महानगर परिषद्, दिल्ली	Interim Metropolitan Council, Delhi	1993—96
457	उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers	1996—2001

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या — *SHORT NOTICE QUESTION NO.*

उर्वरक उद्योग के लिये विदेशी गैर-सरकारी पूंजी	Foreign Private Capital for Fertilizer Industry	2001—3

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	PAGES
455	खाद्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय महासागर अभियान दल	International Indian Ocean Expedition for Food	2004
458	जोखिम वाले व्यापारों के कर्मचारियों के लिये अनिवार्य बीमा योजना	Compulsory Insurance Scheme for employees in Hazardous trades	2004
459	पूर्वी पाकिस्तान से मिजो पहाड़ी क्षेत्र में नागाओं का प्रवेश	Nagas' Entry into Mizo Hills from East Pakistan	2005

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*Thn sigu † marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
460	दो शनिवारों को छुट्टी	Two Saturdays as holidays	2005
461	राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी	National Minimum Wage	2006
462	शिकायत आयुक्त	Commissioner for Grievances	2006
463	मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	Social Security Schemes for Labourers	2006-7
464	आसाम में पृथक पहाड़ी राज्य के लिये मांग	Demand for Separate Hill State in Assam	2006
465	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का स्मारक	Memorial to Netaji Subhash Chandra Bose	2007-8
466	शिक्षा का स्तर	Standard of Education	2008
467	मिट्टी के तेल का उत्पादन	Production of Kerosene Oil	2008-9
468	कच्चे तेल के उत्पादन की लागत	Cost of Production of Crude Oil	2009
479	प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेना	Workers' Participation in Management	2009
470	गैर-सरकारी तेल क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Private Oilfields	2010
471	केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्तियां	Appointments in Central Services	2010-11
472	राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये अध्यापकों का चयन	Selection of Teachers for National Award	2011
473	तेल की खोज के लिये रूसी सहयोग	Soviet Collaboration for Oil Exploration	2011
474	भारतीय कार्मिक संघों की वित्तीय स्थिति	Financial Position of Indian Trade Unions	2012
475	ह्विटले परिषदें	Whitley Councils	2012-13
476	पाकिस्तान में गये व्यक्तियों का लौट आना	Return of Migrants to Pakistan	2013
477	वालकाठ तथा डोंज	Walcott and Donze	2013
478	ई० एन० आई० द्वारा वाणिज्यिक ऋण का प्रस्ताव	Commercial Credit Offer by E.N.I.	2013-14
479	दिल्ली पुलिस की शिकायतें	Grievances of Delhi Police	2014

2088 सेवा निवृत्ति की आयु — Superannuation . . 2014

2089 केरल में मलयालम का प्रयोग — Use of Malayalam in Kerala . 2015

2090 महाराष्ट्र में डाक घर — Post Offices in Maharashtra 2015

2091 डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर — Quarters for P & T Employees 2015

2092 महाराष्ट्र में किराये की इमारतों में डाक घर — Post Offices in Rented Buildings in Maharashtra 2015–16

2093 संयुक्त सचिवों का वेतनक्रम — Salary Scale of Joint Secretaries 2016

2094 दिल्ली में डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के वेतनक्रम — Pay Scales of Dy. SPs. in Delhi 2016–17

2095 तरल पेट्रोलियम गैस का कारखाना — Plant for Liquid Petroleum Gas 2017

2096 जिस टेलीफोन से गन्दी अथवा दुर्भावनापूर्ण बातें की जाती हैं उसका पता लगाने के लिये विशेष टेलीफोन — Special Tele phone to Trace Malicious Calls 2017–18

2097 सिरमौर की गद्दी — Sirmur Gadi . 2018

2098 दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि संकाय का बन्द होना — Closure of Law Faculty in Dehi University 2018

2099 नेफ्था से यूरिया बनाना — Manufacture of Urea from Naphtha . 2019

2100 छात्रों के आन्दोलन के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा अध्ययन — C.B.I. study on Student Agitation 2019–20

2101 'हिन्दुस्तान टाइम्स', नई दिल्ली में हड़ताल — Strike in 'Hindustan Times', New Delhi 2020

2102 नैफ्था के मूल्य में वृद्धि — Increase in Price of Naphtha . 2020–21

2103 मेहतरों की मजूरी — Wages of Scavengers 2021

2105 फिल्म उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड — Wage Board for Film Industry 2021

2106 पेट्रोलियम रसायन उद्योग समूह — Petro Chemical Complexes 2021

अता० प्र० संख्या US.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2107	विश्वविद्यालयों में शिकायत निवारण निकाय	Grievances Body in the Universities	2022
2108	कोयला खान भविष्य निधि योजना	Coal Mines Provident Fund Scheme	2022
2109	सरकारी उपक्रमों में संयुक्त प्रबन्ध परिषद्	Joint Management Councils in Public Undertakings	2023
2110	नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार में बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों की नियुक्ति	Employment of repatriates from Burma in the Central Government Employees Consumer Co-operative Stores, New Delhi	2023–24
2111	पश्चिम बंगाल सरकार के गृह सचिव	Home Secretary, West Bengal	2024
2112	राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक	Meeting of National Integration Council	2024–25
2113	नागाओं द्वारा हथियारों से लैस चौकियां स्थापित किया जाना	Armed Posts by Nagas	2025
2114	पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी	Pak Smuggler	2026
2115	त्रिचूर में पुलिस द्वारा कथित मारपीट	Alleged beating by Police in Trichur	2026
2116	जम्मू तथा काश्मीर में तेल तथा गैस	Oil and Gas in J & K . .	2026
2117	विधि मंत्री के नई दिल्ली स्थित निवास स्थान पर छात्रों तथा पुलिस में मुठभेड़	Student Police clash at Law Minister's Residence in New Delhi . . .	2026–27
2118	उत्तर प्रदेश में न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of Judges in U.P.	2027
2119	उत्तर प्रदेश रोडवेज के गोरखपुर स्थित बस अड्डे के पीछ बमों का पाया जाना	Bombs found behind U.P. Roadways Station, Gorakhpur . . .	2017
2120	संस्कृत अध्ययन	Sanskrit Studies .	2028
2121	पंजाब के सेवा अधिकारियों का विभाजन	Division of Services in Punjab	2028

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2122	मिजो नेशनल फ्रंट की गतिविधियां	Mizo National Front Activities .	2028--29
2123	काश्मीर का विशेष दर्जा	Special Status of Kashmir	2029-30
2124	तरल पेट्रोलियम गैस	Liquid Petroleum .	2030
2125	बरौनी में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant, Barauni . .	2030-31
2126	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्य-धिकार अभिसमय	International Copyright Convention	2031
2127	लोक शिकायत आयुक्त	Commissioner for Public Grievances	2031
2128	बन्द आन्दोलन	Bandhs .	2031-32
2129	पंचायती डाक व्यवस्था	Panchayati Postal System .	2032
2130	भारत में भूचाल के कारणों का अध्ययन	Study of Causes of Earthquakes in India	2032-33
2131	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	E.S.I. Scheme . .	2033
2132	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की पुस्तकें	Books of the Scientific Technical Terminology Commission . . .	2033-34
2133	प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली	Primary Teachers Training Institutes, Delhi	2034
2134	पंजाब विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का रूप देना	Conversion of Punjab University into a Central University	2034
2135	राज भाषा अधिनियम	Official Languaes Act . . .	2035
2136	शरतचन्द्र चटर्जी के पूर्वजों का मकान	Ancestral Homes of Sarat Chandra Chatterjee	2035
2137	राष्ट्रीय ध्वज की नीलामी	Auction of National Flag. . .	2035-36
2138	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का स्थानान्तरण	Shifting of Central Hindi Directorate	2036
2139	केन्द्रों हिन्दीध निदेशालय	Central Hindi Directorate	2036-37
2140	पैट्रोलियम उत्पाद	Petroleum Products	2037
2141	राष्ट्रीय निशान	National Emblem . .	2037-38
2142	वैज्ञानिक प्रतिभा वाले लोगों के लिये राष्ट्रव्यापी खोज	National Science Talent Search .	2038
2143	नेशनल फिटनेस कोर	National Fitness Corps	2038-39

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2144	सलाहकार समिति	Consultative Committee .	2039
2145	हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशें	Recommendations of the Hindi Advisory Committee	2039-40
2146	मिट्टी परीक्षण सम्बन्धी चलती फिरती प्रयोगशालायें	Mobile Soil Testing Laboratories	2040
2147	विश्व डाक संघ	Universal Postal Union	2040
2148	कन्नानूर में शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही	Disciplinary Action Against Teachers in Cannanore	2040-41
2149	त्रावनकोर टाइटेनियम प्रोडक्टस केरल के मजदूर संघों की मांगें	Demands of Trade Unions of Travancore Titanium Products Kerala . .	2041
2150	आसाम के पहाड़ी जिलों के लिये विश्वविद्यालय	University for Hill Districts of Assam	2042
2151	अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विषयक भारतीय स्कूल	Indian School of International Studies	2042
2152	सूक्ष्म तरंग दूर संचार व्यवस्था	Micro wave Tele-Communication Link	2042-43
2153	सीमेंट उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Cement Industry	2043
2154	शौलमारी आश्रम	Shaulmari Ashram.	2043-44
2155	डाक तथा तार कर्मचारी संघ	P & T Workers Union .	2044
2156	केरल राज्य के वेडीमारा में पुलिस की कथित ज्यादतियां	Alleged Police Excesses in Vedimara in Kerala State	2045
2157	वाल्काट के विमान की नीलामी	Auction of the Plane of Walcott	2045
2158	लंका से वापस आये व्यक्ति	Repatriates from Ceylon	2045
2159	हरिद्वार में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की गिरफ्तारी	Pak. Nationals Arrested at Hardwar	2046
2160	राजपत्र में नियमों तथा आदेशों का प्रकाशन	Publishing of Rules and Orders in the Gazette of India	2046
2161	शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in the Eudcation Ministry	2046
2162	उत्तर प्रदेश में रोजगार दिलाने के कार्यालय	Employment Exchanges in U.P.	2047

U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2163	हिन्दी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रकाशन	Scientific and Technical Publications in Hindi	2047
2164	मंत्रियों के दौरों के व्यय में कमी	Economy in Expenditure on Tour by Ministers	2047-48
2165	दिल्ली पुलिस का रिकार्ड	Records of Delhi Police	2048
2166	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुवाद	Translation work in Central Government	2048
2167	ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यालय	Brahmakumari Ishwariya Vidyalaya	2049
2168	पाकिस्तानियों द्वारा जासूसी	Spying by Pakistanis	2049
2169	उच्च अधिकारियों की सेवानिवृत्ति	Retirement of High Officials .	2049-50
2170	निवास स्थानों पर टेलीफोन और समयोपरि भत्ते	Residential Telephones and Overtime Allowances	2050
2171	मिजो क्षेत्र से मिलने वाली सीमा पर चौकियों का बन्द किया जाना	Closure of check-Posts on Borders contiguous to Mizo	2050
2172	कोएक्सियल केबल (सहधुरी तार) की ट्यूब	Co-axial Cables Tube . .	2051
2173	विशेष स्मृति डाक टिकट	Special Commemorative Stamps	2051
2174	हल्दिया - बरौनी - कानपुर पाइप लाइन	Haldia-Barauni-Kanpur Pipeline	2052
2175	आसाम के विद्यार्थियों का प्रतिनिधिमण्डल	Deputation of Students from Assam	2052
2176	मंत्रियों की आचार संहिता	Code of Conduct for Ministers	2052-53
2177	पश्चिम बंगाल में शिक्षा के लिये विकास योजना	Development Plan for Education in West Bengal	2053
2178	राजस्थान में अवैध रूप से पाकिस्तानियों का घुस आना	Illegal Entry by Pakistanis in Rajasthan	2053-54
2179	सरकारी अधिकारियों और जनसेवियों की आय से अधिक सम्पत्ति	Disproportionate Assets of Government Officers and Publicmen . . .	2054
2180	एरणाकुलम में टेलीफोन एक्सचेन्ज	Ernakulam Telephone Exchange	2054-55

2395(ai)LS—B.

U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2181	ग्राम्य पुलिस संवर्ग	Rural Police Cadre .	2055
2182	राष्ट्रीय मजूरी ढांचे की जांच करने के लिए आयोग	Commission to Examine National Wage Structure	2055
2183	एमोनिया का उत्पादन	Production of Ammonia	2055-56
2184	बिहार में बैरल बनाने का कारखाना	Barrel making factory in Bihar .	2056
2185	केन्द्रीय नजरबन्दी शिविर, देवली	Central Internment Camp at Deoli	2056-57
2186	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिये अनुसंधान सम्बन्धी अनुदान	Research Grant to Aligarh Muslim University	2057
2187	छात्र आन्दोलन	Students' Agitation	2057
2188	बौद्ध कालीन गुफाएं	Buddhist Era Caves . .	2057-58
2189	बेबी सोल कोयला खान में तालाबन्दी	Lock out in Babisole Colliery .	2058
2190	खानों में सुरक्षा व्यवस्था	Safety of Miners .	2058-59
2191	तकनीकी, अध्यापकों का प्रशिक्षण	Technical Teachers' Training .	2059
2192	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	Central Hindi Directorate	2059-60
2193	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग की योजनायें	Schemes of Central Hindi Directorate and Commission on Scientific and Technical Terminology . . .	2060
2194	सहायक शिक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची	Seniority List of Assistant Education Officers	2060
2195	पंजाब में तार घर तथा टेलीफोन ऐक्सचेंज	Telegraph Offices and Telephone Exchanges in Punjab . . .	2061
2196	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र का लगाया जाना	Display of Portrait of Netaji Subhas Chandra Bose	2061
2197	लाभांश का दिया जाना	Payment of Bonus	2061
2198	प्राथमिक स्कूलों को सहायता	Assistance to Primary Schools .	2062
2199	पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ	Pak Intrusion .	2062

U. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2200 पूना में अन्तर्राष्ट्रीय गर्ल गाइड केन्द्र	International Girl Guides Centre at Poona	2063
2201 केरल के राज्यपाल के सलाहकारों की पद-स्थिति	Position of Advisors to Governor in Kerala	2063
2202 शिक्षित बेरोजगार युवक	Unemployed Educated Youngmen	2063–64
2203 सांस्कृतिक कार्यक्रम	Cultural Programmes	2064
2204 लड़कियों की शिक्षा	Girls' Education .	2064–65
2205 विश्वविद्यालयों में गांधी भवन	Gandhi Bhawan in Universities	2065
2206 विश्वविद्यालयों में गांधी भवन	Gandhi Bhawan in Universities	2065
2207 विज्ञान मन्दिर	Vigyan Mandir	2066
2208 ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को वैज्ञानिक अभियान दल	Scientific Expedition to Great Nicobar Islands	2066
2209 डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये उपदान	Gratuity for Extra Departmental Employees of P & T	2066
2210 पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति	Displaced Persons from East Pakistan	2067
2211 हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज	Hindi Teachers Training Colleges	2067
2212 उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री का वक्तव्य	Statement of Chief Minister of U.P. .	2067
2213 ललिति कला अकादमी की चित्रकारी प्रदर्शनी	Paintings Exhibition of Lalit Kala Academy	2068
2214 वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य में लगे हुए वैज्ञानिक	Scientists Associated with Scientific Research Work	2068
2215 भारत में नेपाली छात्र	Nepal Students in India	2069
2216 अमरीकी छात्रों और शिक्षकों आदि के दौरे	Visit by American students and teachers etc.	2069
2217 अकोककर (नौन कोकिंग) कोयले का प्रयोग	Use of non-coking coal	2069

U.Q.Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2218 लूब्रीकेन्ट्स प्लांट	Lubricants Plant .	2069–70
2219 बाड़ीपाड़ा में तार घर तथा टेलीफोन ऐक्सचेंज	Telegraph and Telephone Exchange at Baripada	2070
2220 सारनाथ में चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी	Arrest of Chinese Nationals at Sarnath	2070–71
2221 निरक्षरता उन्मूलन	Eradication of Illiteracy	2071
2222 छात्रों का आन्दोलन	Students Agitation. . .	2071
2223 तुर्कमानिया में संस्कृत पाण्डुलिपि	Sanskrit Inscription in Turkmenia	2072
2224 आन्ध्र प्रदेश के करीमनगर में उद्योग	Industries in Karimnagar, Andhra Pradesh	2072–73
2225 अपहरण किये गये बच्चे	Kidnapped Children	2073
2226 हिन्दी में तार	Hindi Telegrams	2073
2227 डाक व तार कर्मचारियों के लिए हिन्दी कक्षाएं	Hindi Classes for P & T Employees	2074
2228 हिन्दी के तार बाबू	Hindi Telegraphists	2074
2229 केरल में बनवासी	Forest Settlers in Kerala	2075
2230 पूर्व पश्चिम संगीत सम्मेलन तथा समारोह	East West Music Conference and Festival	2075–76
2231 आजाद भवन, नई दिल्ली के लिये फर्नीचर	Furniture for Azad Bhawan, New Delhi .	2076
2232 भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में पदों की समाप्ति	Abolition of Posts in Indian Council for Cultural Relations . . .	2076–77
2233 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	Voluntary Retirement Scheme .	2077
2234 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार में घाटा	Losses in Central Government Employees Consumers' Cooperative Stores .	2077–78
2235 अंशधारियों को लाभांश का भुगतान	Payment of Dividend to Shareholders	2078
2236 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार, नई दिल्ली	Central Government Employees Consumer Cooperative Stores, New Delhi. .	2078

प्रता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2237	त्रिपुरा सीमा पर पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी	Pak. Firing on Tripura Border . .	2078-79
2238	विशेष पदालियों के पद	Special Cadre Posts . . .	2079
2239	हिन्दी का अध्ययन	Study of Hindi . . .	2079-80
2240	हिन्दी में काम काज करने योग्य ज्ञान	Working Knowledge of Hindi .	2080
2241	मैसूर में डाक व्यवस्था	Postal Facilities in Mysore . . .	2080
2242	दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय	Hindi University in South . . .	2081
2243	रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिलचर	Regional Engineering College, Silchar	2081
2244	अखिल भारत माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक	All India Secondary Teachers . . .	2081-82
2245	अनुभाग अधिकारी पद की परीक्षा	Examination for Section Officers .	2082—83
	व्यवस्था के प्रश्न के बारे में	Re. Point of Order.	2083
	सभा के कार्य के बारे में	Business of the House . . .	2083
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	2084-86
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege . . .	2086-90
	(सदस्य की गिरफ्तारी)	(Arrest of Member) . . .	2086—90
	सदस्यों की रिहाई	Release of Members . . .	2090
	(डा० राम मनोहर लोहिया और श्री बागड़ी)	(Dr. Ram Manohar Lohia and Shri Bagri)	
	नियम समिति	Rules Committee . .	2090
	चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report	2090
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	2091
	निन्यानवें प्रतिवेदन	Ninety-ninth Report . . .	2091
	विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	
	विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1966	Appropriation (No. 4) Bill , 1966 .	2091
	विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1966	Appropriation (No. 5), Bill, 1966 .	2091-92
	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	Representation of the People (Amendment) Bill	2092- 2110

2395(ai)LS—C.

तारां० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	विद्यार्थियों में असन्तोष तथा हाल के महीनों में हुई गड़बड़ी के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Student Unrest and Trouble in recent months	2111—2118
	श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur. . .	2111-12
	श्री रंगा	Shri Ranga	2112-13
	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	Shrimati Renu Chakravartty . . .	2113—15
	श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	Shri P.R. Chakraverti . . .	2115-16
	श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . . .	2116
	श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . . .	2116-17
	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri . . .	2117-18
	श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar . . .	2118

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 23 नवम्बर, 1966/2 अग्रहायण 1888 (शक)

Wednesday, November 23, 1966/Agrahayana 2, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बरौनी तेल शोधक कारखाना

+

*451. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** **श्री विभूति मिश्र**
श्रीमती सावित्री निगम : **श्री क० ना० तिवारी :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरौनी तेल शोधक कारखाने को बाढ़ और मिट्टी के कटाव से बचाने के लिये तात्कालिक और दीर्घकालिक क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): बरौनी शोधन शाल का समस्त क्षेत्र मिट्टी भरण द्वारा निकटस्थ स्तर से औसतन 1.6 मीटर ऊंचा कर दिया गया है। भारी वर्षा में पानी के उपयुक्त निकास के लिये यूनिटों के चारों ओर नालियों का प्रबन्ध कर दिया गया है। गंगा मे बाढ़ संकट से गुप्ता बांध शोधनशाला की रक्षा करता है। जब तक कि नदी अपना रास्ता पूर्णतयः न बदल ले, मिट्टी के कटाव की आशंका नहीं है।

श्री० हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या सरकार ने बाढ़ नियंत्रण तथा भूमि के कटाव को रोकने वाली योजना के निमित्त कोई अनुमान लगाया है?

श्री इकबाल सिंह : कुछ समय पहले अनुमान लगाया गया था । कुल अनुमान 1.50 करोड़ रुपये का था। जिसमें से अब तक 1.25 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं ।

Shri Sidheshwar Prasad: May I know whether Government's attention has been drawn to the fact that several villages on the bank of the Ganges have been affected by soil erosion and then the river has changed its course towards Barauni. The oil pipe line of Barauni Refinery and the railway line constructed created obstacles in draining water during rainy season which created a threat? Keeping in view of these two facts, what steps have been taken by Government in this regard?

Shri Iqbal Singh: So far as the railway line is concerned, the question may be asked to Railway Ministry. We always inform State Governments, whenever there is any possibility of any threat. Keeping in view the present situation, there is no threat at all.

Shri Bibhuti Mishra: Is it a fact that if the said railway line in the southern and western area of the Barauni Refinery is affected by soil erosion, the railway will not stand and if a pucca bund is constructed right from the west of the Barauni station to the bridge, the refinery and the railway line can be protected? May I know whether Government have formulated any plan for the same and if so the estimated cost thereof?

Shri Iqbal Singh: I visited Barauni and reviewed the position. We have implemented the suggestion made by the committee regarding the construction of the bund. The remaining part will be done by the Railway Ministry in this regard. We will take necessary steps, if required, to prevent any threat to Barauni Refinery.

Shri K. N. Tiwary: May I know whether Government have consulted the other concerned Departments for the prevention of any possible threat to Barauni Refinery and if so, the results thereof?

Shri Iqbal Singh: We advise other departments now and then in this regard. The Gupta Bund has been constructed by the Irrigation and Power Department of Bihar Government and we have informed them about any possible threat and take help from them and they also helped. So far as the Refinery is concerned, we have increased its area as a result of which there seems to be no threat to the Refinery.

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच नहीं है कि इस कारखाने के 'ले आउट' तैयार करने से पहले विदेशों के विशषज्ञों का एक दल वहां गया था जिस पर बहुत सरकारी खर्च हुआ और यदि हां, तो बाढ़ से इस तेल शोधक कारखाने को बड़ी मात्रा में होने वाली क्षति तथा मरम्मत पर हुए 1.50 करोड़ रुपये की भारी रकम के खर्च को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इसके लिये उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है अथवा उन्हें छोड़ दिया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : यह बहुत पुराना प्रश्न है और इसका उत्तर उत्तर इस सभा में दिया जा चुका है ।

इस मामले पर कई समितियों ने विचार किया और अन्त में यह निर्णय किया गया कि उत्तर बिहार को, जिसने औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति नहीं की है, इस कार्य के लिये चुना जाये । समिति को उस राज्य में उससे अधिक अच्छा कोई अन्य स्थान मिला । यह स्थान निचला था और कुछ धन व्यय करके कुछ भराई करनी पड़ी ।

इस तेल शोधक कारखाने तक तेल वाहक पाइप लाइन के बारे में भी विचार करना पड़ा। यह समझा गया कि गंगा से होकर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार तक पाइप लाइन ले जाने पर बराबर खर्च आयेगा। अतः अन्त में यह निर्णय किया गया कि. . . .

श्री भागवत झा आजाद : स्थान के बारे में कोई गलत बात नहीं है। यह सब कुछ ले आउट के तरीके से सम्बन्धित है।

श्री अलगेशन : अन्त में यह निर्णय किया गया कि यह कारखाना उत्तर बिहार में स्थापित किया जाये । हमने स्थान को काफी ऊंचा कर दिया है। निस्संदेह इस पर लगभग एक करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा जिसे टाला नहीं जा सकता था।

श्री रंगा : सरकार की दृष्टि में 1.5 करोड़ रुपये के अपव्यय का कोई महत्व नहीं है। इसके अतिरिक्त कि सरकार उत्तर बिहार में उद्योग स्थापित करके उसे देश के अन्य भागों में औद्योगिक विकास के स्तर पर लाया जाये, क्या यह सच नहीं है कि बिहार सरकार ने बिहार में अन्य स्थानों को चुनने के बजाय इस स्थान को चुनने पर जोर दिया था?

श्री अलगेशन : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहात नहीं हूं कि सरकार को लगभग एक करोड़ रुपये के अथवा इससे अधिक खर्च की कोई परवाह नहीं है।

श्री रंगा : अब सहमत न होने का क्या लाभ है? यह खर्च किया जा चुका है। उपयुक्त स्थान न होने के कारण डेढ़ करोड़ रुपये का अपव्यय किया जा चुका है।

श्री भागवत झा आजाद : यह स्थान का नहीं, अपितु योजना से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अलगेशन : मैं केवल स्थिति स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या यह स्थान बिहार सरकार के जोर देने पर चुना गया है। हमें राज्य सरकार के विचारों के ध्यान में रखना पड़ता है।

Shri Yashpal Singh: The hon. Minister has stated that they inform the department concerned. May I know why a board should not be set up under the Chairmanship of Shri Alagesan, which may be responsible for the protection of the Refinery?

Shri Iqbal Singh: There is already a board for this purpose but different departments have to perform different functions and therefore, we have to advice them.

श्री प्रिय गुप्त : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि इस स्थान पर चुनाव तकनीकी सलाह और योजना के अनुसार किया गया है। बरौनी तेलशोधक कारखाना मोकामेह पुल के निकट है। क्या मोकामेह पुल के बांधों के कारण गंगा से भूमि का कटाव होता है और यदि हां, तो क्या स्थान के चुनाव के समय इन बातों पर विचार किया गया था? क्या भविष्य में भूमि के कटाव को रोकने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में रेलवे मंत्रालय, पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा सिंचाई और विद्युत मंत्रालय मिलकर कार्य करेंगे? सरकार का इस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है?

श्री इकबाल सिंह : मैं समझता हूं कि मोकामेह पुल से भूमि का कटाव नहीं होता है। यदि फिर भी उस से कोई खतरा हो, तो हम इस पर मिलकर विचार करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री द्वा० ना० तिवारी : इस समय भूमि का कटाव अथवा बाढ़ से होता है और इस तेल शोधक कारखाने को उपना गंभीर खतरा नहीं है जितना कि मूसलाधार वर्षा से क्योंकि नदी का तल गहरा नहीं है और तेलशोधक कारखाने से पानी की निकासी न हो कर कारखाने के क्षेत्र में भर जाता है। एसा दो वर्ष पहले हुआ था जिसके कारण सारा कार्य बन्द करना पड़ा। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई उपयुक्त कार्यवाही की है?

श्री इकबाल सिंह : इसके लिये हमने बरौनी तेलशोधक कारखाने का पानी का स्तर 1.6 मीटर ऊंचा कर दिया है।

उर्वरकों का मूल्य

+

*452. **डा० म० मो० दास** :
डा० पू० ना० खां :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम द्वारा निर्मित उर्वरकों के दाम अवमूल्यन के पश्चात् 25 प्रतिशत बढ़ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरकों का भाव अवमूल्यन से पहले के भावों के समान बनाए रखने के लिए सरकार राज-सहायता देने का विचार कर रही है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). यद्यपि भारत उर्वरक निगम द्वारा निर्मित उर्वरकों के उत्पादन के दाम अवमूल्यन के पश्चात् बढ़ गये हैं ; तो भी विक्रयमूल्यों में वृद्धि नहीं की गई है। अवमूल्यन के कारण उत्पादन के दाम में वृद्धि को पूरा करने के लिए सरकार ने उचित राज-सहायता देने का फैसला किया है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

डा० म० मो० दास : क्या सरकार को पता है कि रुपये के अवमूल्यन से पहले भी भारतीय उर्वरकों के मूल्य अमरीकी तथा जापानी उर्वरकों के मूल्यों की तुलना में दुगने थे और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे तथा भारत में बनाये जाने वाले उर्वरकों के मूल्य इतने अधिक होने के क्या कारण हैं?

श्री इकबाल सिंह : आयातित उर्वरकों के मूल्य की तुलना में भारत में बनाये जाने वाले उर्वरक सस्ते हैं।

श्री रंगा : कितने?

पैट्रोलियम और रसायन मत्री (श्री अलगेशन) : भारत में अमोनिया के सलफेट का 'पूल' मूल्य 366 रुपये प्रतिटन है। उत्पादन लागत बहुत कम है। यह लगभग 286 रुपये है। आयातित अमोनिया के सलफेट का मूल्य 420 रुपये है। यह 'पूल' मूल्य

से अधिक है। इस प्रकार अन्य उर्वरक, यूरिया का 'पूल' मूल्य 610 रुपये और आयातित मूल्य 848 रुपये हैं।

डा० म० मो० दास : क्या सरकार को इस बात का पता है कि सिन्दरी उर्वरक कारखाना 6,000 एकड़ भूमि में बना हुआ है जबकि पश्चिमी देशों में इतनी ही उत्पादन क्षमता का कारखाना 30 एकड़ भूमि में बना हुआ है? क्या सरकार को यह भी पता है कि सिन्दरी कारखाने पर 35 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए हैं जबकि यूरोप के देशों में तथा अमरीकी देशों में इतनी ही उत्पादन क्षमता के कारखानों पर इसकी एक तिहाई रकम खर्च होती है?

श्री अलगेशन : यह सच है कि सिन्दरी कारखाने के लिये हमने बहुत अधिक भूमि ली है। किन्तु सभा अच्छी तरह जानती है कि स्वतन्त्र भारत में यह सबसे पहला कारखाना बनाया गया था। किन्तु हम इन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। उदाहरणार्थ उर्वरक कारखाने के लिए, जिसमें बस्ती भी शामिल है, हमें 300—400 एकड़ से अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होगी । हम लागत आदि के बारे में अपनी तुलना अन्य देशों के साथ नहीं कर सकते हैं। अन्य देशों में कम भूमि से काम चल सकता है और लागत भी कम आ सकती है। निस्संदेह भारत में लागत अधिक आती है और हम धीरे धीरे पूंजीगत लागत को घटनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

डा० पू० ना० खां : सरकार का विचार उर्वरकों के मूल्य कम करने तथा भारतीय उर्वरक निगम के आकार को घटाकर उचित आकार का बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है?

श्री अलगेशन : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का भारतीय उर्वरक निगम के आकार को घटाने की बात कहने से क्या तात्पर्य है। देश में दो तीन उर्वरक कारखाने उर्वरक बनाते हैं। और हम दो तीन कारखाने और स्थापित कर रहे हैं । नये कारखाने स्थापित करने के लिये एक बड़ी संस्था उपयुक्त होती है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य भारतीय भारतीय उर्वरक निगम के कार्य की सराहना करेंगे। जहां उत्पादन लागत कम करने का सम्बन्ध है, हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं और नये कारखानों में नवीनतम प्रक्रिया के तरीके तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है। इससे भी उर्वरकों की उत्पादन लागत कम होगी।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार का विचार उत्पादन लागत कम करने के उद्देश्य से पूंजीगत लागत तथा कारखाना स्थापित किये जाने वाली भूमि का क्षेत्र कम करने के लिये कार्यवाही करने का है। भारत में उर्वरक कारखानों में हजारों लोग कार्य करते हैं जबकि तीस व्यक्तियों से ही कारखाने में उपनी उत्पादन क्षमता हो सकती है, यद्यपि इसकी तुलना करना संभव नहीं है।

श्री अलगेशन : मैं बता चुका हूं कि नये कारखानों के लिए कम भूमि ली जा रही है। एक हज़ार एकड़ और 400 एकड़ में जो अन्तर है आप स्वयं समझ सकते हैं । कर्मचारियों की संख्या कम करने का प्रश्न महत्वपूर्ण है। सिन्दरी उर्वरक कारखाने में भी बहुत कर्मचारी हैं हम उन्हें कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु उन्हें एकदम कम नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे सामाजिक समस्या औद्योगिक अशान्ति आदि अन्य समस्याएं पैदा हो जायेंगी। धीरे धीरे हम कर्मचारियों को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri M. L. Dwivedi: Inspite of the drought conditions in Bihar, Uttar Pradesh and other parts of the country prices are charged from the farmers for the fertilizers supplied to them and the B.D.Os. are forcing the farmers to purchase fertilizers, though nothing is to be produced in their fields due to drought conditions. May I know what steps Government propose to take to provide facilities to farmers and also not to force them to purchase fertilizers?

Shri Iqbal Singh: So far the distribution is concerned, the Ministry of Food and Agriculture, supply fertilizers to State Governments for distribution among the farmers. So far as the high prices are concerned, we are trying to reduce them.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि सिन्दरी उर्वरक कारखाने पर 35 करोड़ रुपये से अधिक रकम खर्च हुई है जबकि अन्य देशों में इसी प्रकार के कारखानों पर केवल 8 करोड़ रुपये खर्च होते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री कृ० चं० पन्त : सरकार उर्वरकों का सस्ते मूल्य पर आयात करके देश में उन्हें अधिक मूल्य पर बेचती है और इस प्रकार मुनाफा कमाती है। क्या सरकार इसी प्रकार मुनाफा कमाती रहेगी अथवा बिना लाभ-हानि के आधार पर उर्वरक बेचेगी ?

श्री अलगेशन : इसीलिये मैंने 'पूल' मूल्य का उल्लेख किया है । माननीय सदस्य उत्पादन लागत के बारे में जानना चाहते हैं। उत्पादन लागत भिन्न बात है । जो मूल्य हम उर्वरक कारखानों को देते हैं, वह भी भिन्न है। कुछ उर्वरक सस्ते मूल्य पर आयात किये जाते हैं और कुछ अधिक मूल्य पर और इसीलिए पूल की व्यवस्था की गई है ।

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय ने बताया है कि अवमूल्यन के बाद उर्वरकों के मूल्य बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार का विचार कारखानों इन को चालू रखने के लिये कब तक सहायता देने का है और क्या इस राज सहायता का भार उपभोक्ता पर पड़ेगा अथवा इसे सरकार वहन करेगी ?

श्री अलगेशन : राजसहायता देने का अभिप्राय यह है कि उर्वरक पहले के मूल्यों पर बेचे जाते रहे। इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ता उतना ही मूल्य देता रहे जितना वह पहले देता था।

श्री राम सहाय पाण्डेय : किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन पर आधारित होता है। कम उत्पादन होने के कारण उर्वरकों के मूल्य बढ़ रहे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि बहुत से उर्वरक कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। साथ ही मुझे दुख होता है कि माननीय मंत्री ने कोरबा में एक कारखाना स्थपित करने का विचार छोड़ दिया है । इस बारे में क्या स्थिति है? यह कोयला-आधारित है और आप इसे स्थापित नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है।

श्री अलगेशन : मैं जनाता हूं कि मध्य प्रदेश के माननीय सदस्य अपने राज्य में उर्वरक कारखाने स्थापित किये जाने के लिये बहुत इच्छुक हैं। यह सच है कि गत जुलाई में

इसे त्यागना पड़ा था। लेकिन अब इस पर फिरसे विचार कर रहे हैं और हमने भारतीय उर्वरक निगम से एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कहा है और मैं समझता हूं कि वे इस परियोजना को आरम्भ कर सकेंगे।

Shri Gulshan: In view of food scarcity in India may I know the profit earned per quintal by Government on fertilizers?

Shri Iqbal Singh: So far the distribution is concerned, the Ministry of devaluation. As regards profit, the cost of production is different from the import price which is here; price is fixed at a point between these two. Thus the factory gets some profit. But there has not been any increase in the price. There is no question of making profit.

Mr. Speaker: What is the cost of production and what is supply price?

Shri Iqbal Singh: The cost of production of ammonia sulphate is Rs. 286 and the pooled price is Rs. 366. Similarly the cost of production of urea is Rs. 479 and the pooled price is Rs. 610.

श्री रंगा : क्या यह मुनाफाखोरी नहीं है ?

Shri Gulshan: The hon. Minister said that they do not make profit. Is it not pofiteering?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : अवमूल्यन के पश्चात भी मूल्य-स्तर को स्थिर बनाये रखने के लिये राजसहायता देने के अतिरिक्त क्या सरकार कोई राजसहायता देने का विचार कर रही है ताकि उपभोक्ताओं को उर्वरक सस्ते दामों पर मिल सकें ?

Shri Iqbal Singh: If any subsidy is to be given, it will be given for maintaining the price level. If subsidy is given for this purpose it will amount to about Rs. 53 crores.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मैंने पूछा था कि क्या कोई और राजसहायता दी जायेगी ताकि उपभोक्ताओं को उर्वरक उचित मूल्य पर मिल सके।

श्री अलगेशन : ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे विचाराधीन नहीं है ?

विदेशी सहयोग से उर्वरक कारखानों की स्थापना

\+

*454. **श्री फिरोडिया :** **डा० राम सहाय पाण्डेय :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ज० ब० सिंह विष्ट : **श्री मि० सू० मर्ति :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी उदार नीति की घोषणा के परिणामस्वरूप, जिस से विदेशी सहयोगियों को लाभ हो, कितनी विदेशी कम्पनियों ने भारत में उर्वरक कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव किये हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई करार हो चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; तथा ऐसे कितने कारखाने स्थापित करने का विचार है और वे कहां कहां स्थापित किये जायेंगें ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) दो ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री फिरोडिया : विदेशी फर्मों ने 600 टन प्रतिदिन एमोनिया वाले कारखाने और 1,000 टन प्रतिदिन यूरिया वाले कारखाने के क्या मूल्य बताये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : केवल एक फर्म ने—दी फिलिप पेट्रोलियम कम्पनी—ठीक-ठीक तो नहीं, परन्तु 1300 लाख डालर की लागत का संकेत दिया है। हमारे विचार में यह बहुत अधिक है। हमारे विशेषज्ञ उचित मूल्य निश्चित करने के लिये इस फर्म के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं।

श्री फिरोडिया : क्या सरकार को मालूम है कि इसी फर्म ने श्रीलंका में 600 टन प्रतिदिन एमोनिया वाले कारखाने के लिये 170 लाख डालर मूल्य बताया था जबकि भारत में ऐसे कारखाने के लिये 340 लाख डालर मूल्य बताया है ?

श्री अलगेशन : मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने श्रीलंका के लिये कितना मूल्य बताया था, प्रतिदिन 600 टन एमोनिया वाले कारखाने और प्रदितिन 1000 टन यूरिया कारखाने के लिये उन्होंने हमें 1300 लाख डालर मूल्य बताया है जो माननीय सदस्य द्वारा बताये गये मूल्य से बहुत अधिक है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या विश्व बैंक ने बैकटैल्स के नमूने पर उर्वरक उद्योग के विकास के लिये विदेशी सहयोग के प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं तथा "बैकटैल" के मूल प्रस्ताव से यह किस प्रकार भिन्न है।

श्री इकबाल सिंह : श्रीमान्, इसके बारे में आज एक अल्प सूचना प्रश्न है।

श्रीमती विमला देवी : आन्ध्र प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और खेती पर बहुत दबाव है क्योंकि योजना आयोग के अनुसार पिछली तीन योजनाओं में वहां कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। इस समय स्थिति यह है कि एक एक एकड़ के लिये एक किलो उर्वरक दिया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार मद्रास की तरह आन्ध्र प्रदेश में चौथी योजना के पहले वर्ष में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

श्री अलगेशन : यदि सब ठीक तरह चलता रहा, तो मद्रास कारखाना 1969-70 में चालू ही जायेगा अथवा संभवत: बाद में। आन्ध्र प्रदेश में विशाखापटनम में एक कारखाना है, जिसमें अगले वर्ष के मध्य तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा अर्थात् मद्रास कारखाने से बहुत वर्ष पहले।

श्री मि० सू० मूर्ति : 1965 में कीव मे हुई अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी ने सिफारिश की थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को उर्वरक कारखाने स्थापित करने को तत्पर सभी देशों को

तकनीकी तथा वित्तीय सहायता देनी चाहिए। क्या हमारी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता मांगी है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

श्री अलगेशन : मैं नहीं समझता कि संयुक्त राष्ट्र संघ हमें वित्तीय सहायता दे सकेगा। वे तकनीकी क्षेत्र में हमारी सहायता कर सकते हैं लेकिन हमें उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे वित्तीय सहायता तो दे नहीं सकते और तकनीकी प्रतिभा का हम अपने देश में विकास कर रहे हैं तथा विदेशों से तरीके भी खरीद रहे हैं ताकि हम उर्वरक टैक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो सकें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि अमरीकी सहयोग से उर्वरक कारखाने स्थापित करने में भिन्न-भिन्न देशों में लागत में अन्तर क्यों है?

श्री अलगेशन : कुछ अन्तर तो अवश्य ही होगा। उदाहरण के लिये हम सरकारी क्षेत्र में एक जैसे दो कारखाने, एक कोचीन में और दूसरा दुर्गापुर में, स्थापित करने के प्रयत्न कर रहे हैं। इन दोनों में भी अन्तर है, एक की लागत थोड़ी अधिक है। अमरीकी लागत में मशीनों आदि पर आयात शुल्क का बहुत बड़ा भाग होता है।

Interim Metropolitan Council, Delhi

+

***456. Shri M. L. Dwivedi:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the improvement, if any, made in the Delhi Administration as a result of coming into being and working of the Interim Metropolitan Council in Delhi;

(b) the estimated annual increase in the administrative expenditure on account of creation of this Council and the sources from which that expenditure will be met;

(c) whether any defects have been found in the said system; and

(d) if so, the steps taken to remove them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. The Interim Metropolitan Council was established on the 1st September, 1966 and started functioning from the 3rd October, 1966. With the setting up of the Interim Metropolitan Council, a larger measure of association of the representatives of the people of the Union territory of Delhi with the administration of the territory, has been secured. As the Council has been functioning since about 1½ months only, it is not possible to make any definite assessment of the impact of the Council on the administration of Delhi. No defects in the system have yet come to notice.

The annual increase in the recurring administrative expenditure is estimated to be about Rs. 6.72 lacs, which is to be met from the Consolidated Fund of India.

Shri M. L. Dwivedi: Is it not a fact that it was the heart-felt desire of the representatives and workers of Delhi that there should be a democratic set up in Delhi, including assembly etc., like Himachal Pradesh? Why only a Metropolitan Council has been set up?

Mr. Speaker: It cannot be covered in this question.

Shri M. L. Dwivedi: Are the people's representatives satisfied with the setting up of Metropolitan Council; if not, what steps proposed to be taken by Government to satisfy them?

Shri Vidya Charan Shukla: Most of the people's representatives are satisfied with it.

Shri M. L. Dwivedi: Has the change of office of the Chief Commissioner to Lieutenant Governor resulted in any change in his establishment, their responsibilities and increase in expenditure? Has he also been given more powers?

Shri Vidya Charan Shukla: The change has only resulted in lessening his burden and there has not been any significant increase in his work. Most of the work has been entrusted to the Metropolitan Council. The Lieutenant Governor has been left with some reserve subjects to look after.

श्री स० चं० सामन्त : इस परिषद् की स्थापना से कितना अनावर्तक व्यय होगा और क्या यह राशि भारत की संचित निधि से खर्च की जायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : 1966-67 में, 1 सितम्बर से 31 मार्च तक, अनुमानित व्यय लगभग 6 लाख रुपए होगा जिसमें आवर्तक व्यय 3,46,000 रुपए और अनावर्तक व्यय 2,53,000 रुपए होगा ।

डा० म० मो० दास : इस प्रश्न के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण में गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि इस प्रशासन के चलाने में प्रतिवर्ष लगभग 7 लाख रुपए का घाटा होगा, जो कामधेनु अर्थात् भारत की संचित निधि में से पूरा किया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या निकट भविष्य में इस प्रशासनिक व्यवस्था के वित्तीय दृष्टि से सक्षम होने की संभावना है अथवा भारत सरकार दिल्ली के लोगों की राजनीतिक विलासिता के लिये धन देती रहेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने विवरण में कहीं भी यह नहीं कहा कि 6 लाख रुपए का वार्षिक घाटा होगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : लेकिन संचित निधि से 7 लाख रुपए दिये जायेंगे, जो घाटा ही है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : विवरण में यह उल्लेख है कि भारत की संचित निधि से 6·72 लाख रुपए दिये जायेंगे और यह घाटा ही होगा ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह बिल्कुल स्पष्ट है । माननीय सदस्यों को तथ्यों की जानकारी नहीं है । पहले क्या घाटा था और अन्तरिम महानगर परिषद् के बनने से अब कितना घाटा होगा ? यदि उन्हें निश्चित जानकारी चाहिए तो एक पृथक प्रश्न का नोटिस दें और उन्हें जानकारी दी जायेगी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विवरण में निश्चित रूप से कहा गया है कि 6·72 लाख रुपए खर्च होंगे जो भारत की संचित निधि में से दिये जायेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि पहली प्रशासनिक व्यवस्था की अपेक्षा इस नवीन व्यवस्था पर इतनी राशि अधिक खर्च होगी, जो सरकार को घाटा ही है। मंत्री महोदय पृथक प्रश्न पूछने के लिये कैसे कह सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर देने का प्रयत्न किया है। वे कहते हैं कि अन्तरिम महानगर परिषद् की स्थापना से पहले दिल्ली के प्रशासन पर वह धन खर्च किया जा रहा था; इसलिये वे इसे घाटा नहीं समझते। यह अतिरिक्त व्यय नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : प्रश्न यह था कि अन्तरिम महानगर परिषद् की स्थापना से व्यय में कितनी वृद्धि हुई है?

अध्यक्ष महोदय : वे कह चुके हैं कि वह अधिक नहीं होगा। मंत्री महोदय कह चुके हैं कि यदि पृथक प्रश्न की सूचना दी जायेगी तो वे इसका उत्तर दे देंगे; उनके पास इस समय जानकारी नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : प्रश्न की सूचना एक महीने पहले दी गई थी और यदि मंत्री महोदय कहते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि मंत्री महोदय की ओर से यह अच्छी बात है?

श्री रंगा : श्रीमान्, एक साधारण बात पर विचार कीजिये। दूसरे प्रश्न की सूचना देने और उसका उत्तर दिये जाने का समय कहां है? क्या आपने अनेक बार यह विनिर्णय नहीं दिया है कि मंत्री महोदय को पूरी जानकारी के साथ यहां आना चाहिए? यह सम्बद्ध प्रश्न है।

श्री हरि विष्णु कामत : उत्तर हमेशा पूर्ण, ठीक और संक्षिप्त होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न भी वैसा ही होना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न का भाग (ख) यह है :

> "इस परिषद् के कायम होने से प्रशासनिक व्यय में कितनी वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है"

और लिखित वक्तव्य में कहा गया है :—

> "अनुमान है कि इस व्यवस्था के कारण प्रशासन के आवर्तक व्यय में लगभग 6·72 लाख रुपए की वार्षिक वृद्धि होगी जिसकी पूर्ति भारत की संचित निधि से की जाएगी।"

इसलिये यह व्यय पहले नहीं हो रहा था। यह तो नई वृद्धि है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि व्यय में इतनी वृद्धि होगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वास्तव में, विवरण में जनकारी दी हुई है। जब यह प्रश्न पूछा गया कि क्या दिल्ली की जनता इस राजनीतिक विलासिता का खर्च वहन कर सकती है, तब मैंने कहा कि इससे पहले के व्यय को देखे बिना इस तरह तुलना नहीं की जा सकती।

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस अन्तरिम परिषद् के प्रशासन पर प्रभाव का अनुमान लगाना संभव नहीं है। हाल में अतिथि नियंत्रण आदेश में कुछ छूट की घोषणा की गई और उस पर तुरन्त प्रधान मंत्री की प्रतिक्रिया हुई और मंत्री महोदय कहते हैं कि व्यवस्था में कोई दोष नहीं है। वे ऐसा कैसे कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय छूट दी गई और फिर वापस ले ली गई। इसमें क्या खराबी है ?

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने दिल्ली में एक विधान सभा स्थापित करने की दिशा में यह पहला कदम उठाया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस समय तो यही व्यवस्था की गई है। यदि दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि और संसद् इसे बदलने का निर्णय करे, तो इसे बदल दिया जायेगा।

श्री दी० चं० शर्मा : अन्तरिम महानगर परिषद् की स्थापना होने के बाद से दिल्ली में अशान्ति रही है। क्या प्रशासन में ढील पड़ने से, जिससे दिल्ली में दंगे की स्थिति रही है, इस परिषद् का कोई सम्बन्ध है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं नहीं समझता कि यह ठीक है।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether there is proper coordination in the functions of Central Government, Delhi Municipal Corporation and Interim Metropolitan Council or there have been some conflict among them?

Shri Vidya Charan Shukla: At present there is good coordination among the three authorities and if any difficulty is noticed, steps would be taken to remove it.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Has the burden on the Central Government been reduced with the establishment of Interim Metropolitan Council in Delhi; if so, the savings thus arising have been provided to meet the expenditure on the Council or a separate allocation has been made?

Shri Vidya Charan Shukla: The burden on Central Government has definitely been reduced. As regards the amount, it will have to be looked into?

उर्वरकों का उत्पादन

+

*457. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री उर्वरक कारखानों के बारे में अपने 7 सितम्बर, 1966 के वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के कथनानुसार सरकार को चौथी पंचवर्षीय योजना के उर्वरकों संबंधी 900,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य को पूरा करने में गैर-सरकारी क्षेत्र की क्षमता के बारे में संदेह है तथा क्या सरकार यह समझती है कि यह क्षेत्र 300,000 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन नहीं कर सकता ;

(ख) यदि हां, तो शेष उत्पादन का कार्य सरकारी अथवा निगमित क्षेत्र को सौंपने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सरकारी, गैर-सरकारी तथा निगमित क्षेत्रों की क्षमता नियत करने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरकों की स्थापना के लिए की गई प्रगति बहुत सन्तोषजनक नहीं है। कार्यान्विति के लिए, नाइट्रोजन के रूप में लगभग 883,500 मीटरी टन क्षमता अनुमोदित की गई है किन्तु निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

बरौनी में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना और नामरूप एवं ट्राम्बे उर्वरक कारखानों के विस्तार के लिए सरकार विचार कर रही है।

श्री प्र० चं० बरुआ : उर्वरक उद्योग का एक नये सार्थ-संघ से गैर-सरकारी विदेशी पूंजी मांग कर विकास करने के विश्व बैंक के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने पर क्या विश्व बैंक ने भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक उद्योग के विकास के लिये विदेशी गैर-सरकारी पूंजी लगाने के लिये किसी अन्य वैकल्पिक प्रस्ताव का सुझाव दिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : कुछ वर्ष पहले "बैक्टेल सार्थ-संघ" था। उन्होंने 5 उर्वरक संयंत्र लगाने का विचार रखा था जिसकी क्षमता 10 लाख टन नाइट्रोजन होती। फिर इस प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया गया क्योंकि अन्त में उन्होंने कह दिया कि वे इसके लिये धन की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। जब वित्त मंत्री अमरीका गये और उन्होंने विश्व बैंक के लोगों में बातचीत की तो उन्होंने सार्थ-संघ के प्रश्न को फिर उठाया। यह महसूस किया गया कि जब पहला सार्थ-संघ कुछ नहीं कर सका, यदि वे इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार करने के लिये सार्थ-संघ के साथ बातचीत करते हैं तो इसमें बहुत विलम्ब होगा और इससे उर्वरक कार्यक्रम को पूरा करने में बाधा पड़ेगी।

श्री भागवत झा आजाद : अमरीकी पूंजी के दबाव में न आने के सरकारी रवैये की सराहना करते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि उर्वरक कारखाने के लिये उपलब्ध होने वाले इटली के ऋण और जापानी ऋण के अतिरिक्त सरकार और क्या साधन ढूंढ़ रही है ताकि देश में अपेक्षित उर्वरक का पूरा उत्पादन हो सके।

श्री अलगेशन : जैसा सभा को ज्ञात है हमने एक दुर्गापुर में दूसरा कोचीन में—दो बड़े पैमाने के उर्वरक कारखाने लगाने शुरू किये हैं। हमें इटली से कुछ और वाणिज्यिक ऋण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। हमें जापान से भी वाणिज्यिक ऋण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। हम इन सभी वाणिज्यिक ऋणों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत करके और कारखाने लगाये जायें।

श्री स० चं० सामन्त : कितनी गैर-सरकारी कम्पनियों में पूरी क्षमता पर उत्पादन नहीं हो रहा है और क्या पूरी क्षमता पर उत्पादन करने के लिये उनको कोई स्मरण-पत्र भेजा गया है ?

श्री अलगेशन : यह स्मरण-पत्र का प्रश्न नहीं है बल्कि हम उनसे बराबर बात करते रहे हैं और उन्हें कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने को कहते रहे हैं। उदाहरणतः, हमने

आई०सी०आई० वालों को 2,00,000 टन नाइट्रोजन क्षमता का एक बहुत बड़ा कारखाना कानपुर में लगाने के लिये लाइसेंस दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी उनको ऋण देने को राजी हो गया है। उस समय उन्होंने कहा था कि वे अपने प्राक्कलन फिर से तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं और वे एक नया तरीका भी निकाल रहे हैं जिससे कारखाने की लागत में कुछ कमी हो सके और इसलिये वे कुछ समय और चाहते थे। हम उनसे कह रहे हैं कि यह आवश्यक है कि इस कारखाने को यथासंभव शीघ्र लगाया जाये और इसमें शीघ्र उत्पादन आरम्भ किया जाये।

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय ने बताया है कि गैर-सरकरी व्यक्तियों का कार्य इतना संतोष जनक नहीं है। यदि ऐसा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी फर्मों को ये कारखाने लगाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं और उनमें से कितनी फर्मों ने ये कारखाने नहीं लगाये हैं ? क्या वचन पूरा न करने के कारण कोई लाइसेंस रद्द भी किया गया है ?

श्री इकबाल सिंह : गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल 10·85 लाख टन की क्षमता के लाइसेंस दिये गये हैं अथवा सिद्धांत रूप में मंजूर किये गये हैं और इसमें से केवल विशाखापत्तनम, गुजरात और एन्नोर में कुछ प्रगति हुई है। वहां अगले वर्ष उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। 8·83 लाख टन क्षमता की अन्य परियोजनाओं में कोई प्रगति नहीं हुई है। हम उन्हें याद दिला रहे हैं।

कुछ वर्ष पहले दिये गये एक लाइसेंस को समाप्त करने के लिये हमने नोटिस दिया है।

Shri M. L. Dwivedi: The hon. Minister has mentioned the places like Trombay, Barauni etc. If fertilizer factories are established there, the cost of fertiliser will be more because the Government have replied in answer to a question that cost can be increased due to transportation of raw material. I want to know the reason as to why it is not seen, before selecting the site, that factories are established at places which are nearer to the raw material supplying places.

Shri Iqbal Singh: Certain factories produce fertiliser from naphtha. In Trombay raw material can be easily available there, being a naphtha plant there. The factories are being established at places where raw material can be got at cheaper rates.

श्री प्र० चं० बरुआ : यह मान कर कि विदेशी गैर-सरकारी सहायता नगण्य है, क्या सरकार ने उत्पादन की कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्री इकबाल सिंह : चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में अभी तक हमने 11 लाख टन का सिद्धान्त रूप से अनुमोदन किया है और हम इनके लिये बातचीत कर रहे हैं। यदि और क्षमता उपलब्ध हुई, यदि ऋण मिल सके और यदि हम और कारखाने लगा सके, तो हम और कारखाने लगायेंगे।

श्री अल्वारेस : बताया गया है कि अमरीकी उर्वरक कम्पनियों द्वारा भारत में उर्वरक कारखाने लगाने के मार्ग में एक कठिनाई यह है कि वे आयातित तरल अमोनिया से उर्वरक तैयार करते हैं। अब जब कि विश्व बैंक के दल ने सरकार की यह बात मान ली है कि उर्वरक स्थानीय रूप से उत्पादित नैफ्था से बनाया जाये, क्या मैं जान सकता हूं कि इन कम्पनियों के साथ समझौता करने में क्या प्रगति हुई है ?

श्री इकबाल सिंह : स्थानीय रूप से उत्पादित नैफ्था उपलब्ध है। अमोनिया आयात करने का कोई प्रश्न नहीं है। हमने विश्व बैंक को भी यह बात स्पष्ट रूप से बता दी है। जहां तक नैफ्था की उपलब्धता का संबंध है, हमारे पास 21 लाख टन उर्वरक के लिये उत्पादन के लिये काफी नैफ्था है।

श्री अल्वारेस : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। उर्वरक निगम इस बात से सहमत नहीं थे क्योंकि वे आयातित तरल अमोनिया से उर्वरक बनाने पर जोर दे रहे थे। अब जब कि विश्व बैंक का दल भारत की इस बात से राजी हो गया है कि उर्वरक स्थानीय रूप से उत्पादित नैफ्था से बनाया जाये, इस समय इसको अन्तिम रूप देने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री इकबाल सिंह : हमारे पास काफी नैफ्था है। विश्व बैंक के साथ बातचीत करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अल्वारेस : वह मेरा प्रश्न समझे नहीं हैं। मैं प्रश्न दोहरा चुका हूं।

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रगति हुई है। हमने कभी इसकी प्रतीक्षा नहीं की कि विश्व बैंक यह बात माने। हम देश में उत्पादित नैफ्था से उर्वरक बनाने के काम में लगे हुए हैं। इस लिये विश्व बैंक की छूट से कोई फर्क नहीं पड़ा है।

श्री अल्वारेस : फर्क पड़ता है क्यों कि अमरीकी कम्पनियां तब तक कार्य नहीं करेंगी जब तक विश्व बैंक उनसे नहीं कहेगा।

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य मेरी बात सुनें। देश में उत्पादित नैफ्था से, न कि आयातित अमोनिया से, उर्वरक बनाने के लिये कई समझौते किये गये हैं। इसलिये विश्व बैंक द्वारा दी गई छूट से कोई फर्क नहीं पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : वह केवल यह पूछ रहे हैं कि क्या नैफ्था से उर्वरक बनाने के लिये अमरीकी सहयोग की कोई योजना है ?

श्री अलगेशन : जी, हां। एक गोआ में है और दूसरी मंगलौर में ।

अध्यक्ष महोदय : उनकी रुचि गोआ के बारे में है।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार को स्वयं तथा गैर-सरकारी उद्योग-पतियों को विभिन्न कारणों से ये उर्वरक कारखाने लगाने में बड़ी कठिनाई हो रही है, क्या सरकार ने देश में उर्वरक के उत्पादन के बारे में गैर-सरकारी उद्योगपतियों को लक्ष्यों को पूरा करने के अपने वचन पूरा करने के लिये कोई विशेष सुविधाएं और सहायता देने के बारे में सोचा है ?

श्री अलगेशन : जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों का संबंध है, हमने कहा है कि विदेशी सहयोगी 51 प्रतिशत शेयर ले सकते हैं। हमने भारतीय साझीदार को यह आश्वासन भी दिया है कि रुपये की कमी नहीं होगी और इंस्टीट्यूशन इसमें रुपया लगायेंगी। इस प्रकार ये दो रियायतें हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The hon. Minister has said that Japanese assistance is to be received—that we are going to set up fertiliser factory. What is the location of this factory, the terms of Japanese assistance and how much fertiliser would be produced there?

श्री अलगेशन : यह वाणिज्यिक ऋण है जिसका इन शर्तों पर प्रस्ताव किया गया है। कुछ राशि शुरू में दी जाती है। फिर दस वर्ष के भीतर हम आस्थगित आधार पर ऋण का भुगतान करते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Where the factory would be set up and what is the amount to be received?

श्री अलगेशन : इस बारे में विचार किया जा रहा है।

श्रीमती शारदा मुखर्जी : क्या अमरीकी सहयोगियों ने इस बारे में कोई शर्त रखी है कि विनियोजित पूंजी पर कितना लाभ हो और (ख) देश में आवश्यकता को पूरा करके उर्वरकों को किन मंडियों में बेचा जाये ?

श्री अलगेशन : जहां तक भुगतान का सम्बन्ध है, कोई शर्त नहीं रखी गई है क्यों इन रासायनिक उर्वरक कारखानों में हमें पांच वर्ष के भीतर भुगतान करने की आशा है; यह बात वे जानते हैं और उन्होंने इसके लिए कोई शर्त नहीं रखी है।

जहां तक किसी विशेष क्षेत्र में उर्वरक बेचने का सम्बन्ध है एक सहयोगकर्ता ने यह कहा था कि एक विशेष क्षेत्र में यह बेचा जाये। हमने उन्हें बता दिया है कि हमने मूल्य स्वतंत्रता दी है और यदि किसी कारखाने के लिए कोई क्षेत्र नियत किया जाये तो वितरण की स्वतंत्रता नहीं रह जायेगी। अतः हमने बता दिया है कि अन्य लोगों को भी किसी भी क्षेत्र में माल बेचने की छूट होनी चाहिए।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मुख्य समस्या यह है कि उर्वरक उत्पादन का हमारा कार्यक्रम बहुत पीछे है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इस कार्यक्रम में कांट-छांट की जा रही है अथवा उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आंकड़े अधिक हों तो वे एक विवरण सभा पटल पर रख दें।

श्री अलगेशन : मैं केवल तीन या चार आंकड़े बताऊंगा। 1967-68 में 3 लाख टन क्षमता स्थापित की जायेगी। 1969-70 में 4.5 लाख टन क्षमता स्थापित की जायेगी। 1970-71 में 8.8 लाख टन क्षमता स्थापित की जायेगी और 1971-72 में, अर्थात् पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में 6.3 लाख टन क्षमता स्थापित की जायेगी और इस प्रकार कुल क्षमता 28 लाख टन हो जायेगी। यदि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में ये सब कारखाने नहीं लग सके तो हमें आशा है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष तक ये सब कारखाने लग जायेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में उर्वरक का उत्पादन बड़े अनिश्चित और राज्य विषयक आधार पर हो रहा है, चाहे उसमें विदेशी पूंजी लगी हो या देशी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का तैयार उर्वरक के मूल्य और वितरण पर नियंत्रण करने का विचार है, चाहे वह उर्वरक किसी भी कारखाने में तैयार हुआ हो ?

श्री रंगा : वे ऐसा कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं।

श्री अलगेशन : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम राज्य विषयक आधार पर चल रहा है। लेकिन यह अनिश्चित आधार पर नहीं चल रहा है।

वह यह जानना चाहते हैं कि क्या हम मूल्यों पर नियंत्रण रखेंगे । गैर-सरकारी विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए हमने यह कहा है । और यह एक शर्त भी है, कि जिस किसी भी कारखाने को मार्च, 1967 तक लाइसेंस या अनुमति-पत्र दिया जायेगा, उसको उत्पादन आरम्भ होने के बाद सात वर्षों के लिए अपने उत्पाद के मूल्य निर्धारित करने और उसका अपनी ईच्छानुसार वितरण का अधिकार होगा ।

श्री रंगा : लेकिन अभी तक कोई भी आगे नहीं आया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : कानपुर में उर्वरक कारखाना लगाने के बारे में क्या स्थिति है ? वहां पर भूमि भी अर्जित कर ली गई थी और अन्य कार्य भी पूरे कर लिये गये थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि कानपुर में उर्वरक कारखाना लगेगा या नहीं ?

श्री अलगेशन : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

उर्वरक उद्योग के लिये विदेशी गैर-सरकारी पूंजी

+

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या 3. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने यह नई मांग की है कि सरकार या तो गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक उद्योग का विकास करने के लिए विदेशी गैर-सरकारी पूंजी आकर्षित करने के लिए बैंक का सुझाव स्वीकार करे अथवा अर्थ-व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए संस्थागत सहायता से वंचित रहे ;

(ख) क्या भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र में कई एक उर्वरक कारखानों की स्थापना में सहायता करने के लिए अमरीका की प्रमुख रासायनिक तथा पैट्रोलियम कम्पनियों का एक नया कन्सोर्टियम बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इन मांगों तथा प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). विश्व बैंक ने भारत में उर्वरक कारखानों में निवेश के लिए कांसोर्टियम बनाने के प्रस्ताव को फिर रखा है । वित्त मंत्री ने वाशिंगटन में इस पर विचार विमर्श किया था । वित्त मंत्री ने बताया कि हमें पिछले कंसोर्टियम अर्थात् बैकटेल का अनुभव है और इन शर्तों को स्वीकार करना क्यों सम्भव नहीं है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या विश्व बैंक द्वारा विदेशी गैर-सरकारी निवेश के बारे में दिये गये दो वैकल्पिक प्रस्तावों में देश में उपलब्ध तरल अमोनिया जैसे कच्चे माल का इस्तेमाल करने के बारे में कुछ बताया गया है ? यदि हां, तो किन तीन परियोजनाओं के बारे में समझौते में यह शर्त नहीं है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : ये सब बातें उन प्रश्नों में आ चुकी हैं जिनका आज उत्तर दिया गया है । हमने बताया है कि हमारे पास देश में कई वर्षों तक फालतू मात्रा में नैफ्था होगा और हम अपने उर्वरक कारखानों में देश में उपलब्ध कच्चा माल इस्तेमाल करेंगे ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह कहा गया है कि देश में उपलब्ध कच्चा माल इस्तेमाल किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : जी हां ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या उर्वरक उद्योग के लिए समझौते को अन्तिम रूप देने में मुख्य कठिनाई यह है कि विदेशी निवेशकर्त्ता आयातित कच्चा माल इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं ताकि उसका उन्हें अधिक मूल्य मिल सके, हालांकि देश मे कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि देश में उर्वरक कारखाने लगाने के लिये सहयोग प्राप्त करने के लिये देश के हितों को नहीं बेचा जा सकता ?

श्री अलगेशन : हम उर्वरक कारखाने लगाना और उर्वरक का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। हम राष्ट्रीय हितों को क्षति नहीं पहुंचने देंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से ऐसा लगता है कि सार्थ-संघ, जिसमें प्रमुख अमरीकी रसायन तथा पेट्रोलियम कम्पनियां हैं, के बारे में वित्त मंत्री द्वारा इंकार किये जाने के बाद वे इसके बदले में एक प्रकार का समझौता करना चाहते हैं । वह समझौता क्या है और इसके परिणामस्वरूप देश में उर्वरक उद्योग में अमरीका से कितनी विदेशी गैर-सरकारी पूंजी लगाई जायेगी ?

श्री अलगेशन : हमें किसी समझौते की जानकारी नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विश्व बैंक द्वारा एक नये सार्थ-संघ के बारे में किया गया प्रस्ताव वापस ले लिया गया है या इस पर अब भी किसी रूप में विचार किया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : जैसा मूल प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, सार्थ-संघ के बारे में प्रस्ताव उर्वरक कारखाने लगाने के लिये देश में न आ रही विदेशी गैर-सरकारी पूंजी के संदर्भ में फिर रखा गया था। हमने कुछ छूट देने की घोषणा की और एक शिष्ट मण्डल भी वहां भेजा । इस प्रस्ताव के बारे में कई अमरीकी गैर-सरकारी कम्पनियों ने रुचि दिखाई । लेकिन परिणाम कुछ नहीं रहा । केवल एक कम्पनी ने एक प्रस्ताव रखा और उस पर बहुत अधिक खर्च होगा । इस तरह विश्व बैंक ने सार्थ-संघ का प्रश्न फिर उठाया जिसपर वित्त मंत्री ने उनको अपना अनुभव बताया और कहा कि इससे इस काम में बहुत देर हो जायेगी । इसलिये हमारे मार्ग में किसी बाधा का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या भावी उर्वरक कार्यक्रम के बारे में सरकार को कुछ अमरीकी पार्टियों के साथ हो रही कठिनाई को देखते हुए, भारत सरकार ने कभी इस मामले पर विश्व बैंक से आरम्भ में बातचीत की थी जिससे विश्व बैंक ने अब दूसरे सार्थ-संघ के बारे में अपनी राय बदल दी है ? क्या भारत सरकार ने कोई शुरूआत की थी ?

श्री अलगेशन : जी, हां । इस देश में उर्वरक की स्थिति के बारे में बताने के लिये एक उच्च-स्तरीय शिष्टमण्डल भी वहां गया था क्योंकि यह आशा थी कि कई अमरीकी कम्पनियां भारत में आने को और धन लगाने और कारखाने लगाने को तैयार होंगी । इसका कोई विशेष परिणाम नहीं रहा । केवल एक पार्टी तैयार हुई और उस पर लागत बहुत अधिक आती थी ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि मंत्री महोदय ने इस सदन के बाहर यह बात कही है कि विदेशी सहयोग अथवा सहायता मिले या न मिले, सरकार उर्वरक कारखाने लगायेगी और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय उस बात पर दृढ़ हैं और विदेशी सहायता मिले या न मिले, वह उर्वरक का उत्पादन कार्यक्रमानुसार करने को तैयार हैं ।

श्री अलगेशन : उवरक कारखाने लगाने के तीन तरीके हैं। एक तो यह है कि भारतीय पूंजी के साथ विदेशी गैर-सरकारी पूंजी से कारखाना लगाया जाये। दूसरा यह कि संभरणकर्त्ता ऋण (सप्लायर क्रेडिट) की व्यवस्था की जाये जो देश में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया जाये और कारखाना लगाया जाये। तीसरा यह है कि, यदि इन दोनों में से कोई भी तरीका नहीं बनता है, और क्योंकि हमने देश में उर्वरक के उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, हम अपने विदेशी मुद्रा साधनों से कारखाना लगायें ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच नहीं है कि विश्व बैंकने वित्त मंत्री के हालमें वाशिंगटन के दौरे पर यह कहा था कि अमरीका गैर-सरकारी पूंजी को भारत में अपनी शर्तों पर मंजूर किया जाये और क्या अमरीका के उच्च अधिकारियों की यह सलाह है कि पांच वर्षों के बाद उन गैर-सरकारी अमरीकियों को तथा उनकी पूंजी को भारत से वापस बुला लिया जाये। क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है ?

श्री अलगेशन : हमने यह बात स्पष्ट कर दी है कि हम नये सार्थ-संघ को नहीं मानेंगे क्योंकि हमें इसका कटु अनुभव है।

श्री त्यागी : क्या सरकार को यह पता है कि अमरीका द्वारा हमें अनाज देने में आनाकानी करने के बाद जनता की आम प्रतिक्रिया यह है कि बाहर से कोई सहायता न ली जाये ?

श्री अलगेशन : यदि उचित शर्तों पर सहायता मिलती है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जो सहायता उन शर्तों पर मिलती है जो राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध नहीं है, उसे नहीं छोड़ना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा : एक ओर तो सरकार यह कहती है कि सरकार उन शर्तों को स्वीकार नहीं करेगी जो देश के हित में नहीं हों। दूसरी ओर उनका यह कहना है कि उर्वरक के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। और वे उर्वरक के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाना चाहते हैं ; जब हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है फिर इन दोनों वक्तव्यों में क्या मेल है ?

श्री अलगेशन : यदि उपयुक्त शर्तों पर मिले तो हम विदेशी गैर-सरकारी पूंजी और सहायता लेना चाहते हैं। मैंने कहा था कि हम उर्वरक कारखाने लगाने के लिये वाणिज्यिक ऋण लेना चाहते हैं। मैंने यह भी कहा था कि यदि इस प्रकार हम अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके तो हमें इसके लिये निर्बाध विदेशी मुद्रा देनी चाहिये।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या उर्वरक कारखाने लगाने में केन्द्रीय सरकार के साथ अमरीकी सार्थ-संघ द्वारा सहयोग करने में अनिच्छा का एक कारण यह है कि वे आगामी आम चुनावों में कांग्रेस दल की विजय और चुनाव-परिणाम की प्रतीक्षा में हैं ?

श्री अलगेशन : ऐसा कहा गया है और कई लोगों ने मुझे बताया है कि ये लोग इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि आम चुनाव के क्या परिणाम होंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

खाद्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय महासागर अभियान दल

*455. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान दल द्वारा की गई अथवा की जा रही खोजों के फलस्वरूप कितने खाद्य तथा खनिज संसाधनों का पता लगाया गया है ; और

(ख) सरकार ने हमारी खाद्य सम्बन्धी आवश्यकता तथा अन्य आर्थिक उपयोगों के लिये इस खोज का कितना लाभ उठाया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान दल की खोजों ने हिन्द महासागर के उन इलाकों की स्थति को बताने में मदद दी है, जो जीव-विज्ञान की दृष्टि से उत्पादनशील हैं और इसलिए मछलियों के मामले में, प्रचुर संभावनाओं वाले हैं। खनिज संसाधनों के सम्बन्ध में, कुछ गहरे सागर वोल मैंगनीज़ पिण्डों के निक्षेप हिन्द महासागर में खोजे गए हैं ।

(ख) विदोहन से पहले चुने गये इलाकों का अधिक सघन अध्ययन करना होगा, जिससे इन संसाधनों की मात्रा की दृष्टि से निर्धारण किया जा सके और संभावनाओं का अध्ययन किया जा सके ।

जोखिम वाले व्यापारों के कर्मचारियों के लिये अनिवार्य बीमा योजना

*458. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में जोखिम वाले व्यापारों में कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बीमा की व्यवस्था सम्बन्धी योजना को अन्तिमरूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा इस समय किन श्रेणियों के कर्मचारियों को बीमा सम्बन्धी सुविधा से वंचित रखा गया है ?

श्रम, रोज़गार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—7390/66]

पूर्वी पाकिस्तान से मिजो पहाड़ी क्षेत्र में नागाओं का प्रवेश

*459. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री नाथ पाई :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बड़े :
श्री हेम बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री दे० जी० नायक :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मधु लिमये :
श्री बसुमतारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 सितम्बर, 1966 को अथवा उसके आस-पास तीन सौ सशस्त्र नागाओं के एक दल ने पूर्वी पाकिस्तान से मिजो पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश किया ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में सुरक्षा बल को इस दल को रोकने में सफलता मिली है अथवा ये विद्रोही पुनः हमारे सैनिकों को धोखा देकर बच कर नागालैण्ड में चले जाने में सफल हो गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 390 नागाओं और 200 मिजो विद्रोहियों का एक सशस्त्र गिरोह 3 सितम्बर, 1966 को या उसके लगभग पूर्वी पाकिस्तान से मिजो जिले में प्रविष्ट हुआ ।

(ग) जब हमारे सुरक्षा दस्तों ने इस गिरोह से मुठभेड़ में उन्हें घायल किया तब इस गिरोह को छोटे-छोटे दस्तों में बिखर कर जंगलों में गायब होने और उन में से कई को बच कर नागालैण्ड घुसने से रोकना सम्भव नहीं था ।

दो शनिवारों की छुट्टी

*460. श्री रामसेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 31 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 763 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी संस्थानों में महीने में दो शनिवारों को छुट्टी किये जाने के प्रस्ताव पर इस बीच अन्तिमरूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख). महीने में दो शनिवारों को कार्यालयों में छुट्टी रखने का प्रश्न भारत सरकार के असैनिक कार्यालयों में मनाई जाने वाली छुट्टियों के आम प्रश्न में शामिल है और यह समूचा प्रश्न अभी तक विचाराधीन है।

राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी

*461. **डा० रानेन सेन :**
श्री प्रिय गुप्त :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में मजदूरों के लिये राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी लागू करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के प्रश्न को राष्ट्रीय श्रम आयोग को, जिसे कि शीघ्र ही स्थापित किया जा रहा है, सौंपने का विचार है ।

शिकायत आयुक्त

*462. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिकायत आयुक्त ने प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या रहा और उसके परिणामस्वरूप इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । संख्या एल० टी० 7391/66]**

मोटे तौर पर आयुक्त ने ऐसा महसूस किया कि मंत्रालयों/विभागों में जनता की शिकायतों पर कार्यवाही करने की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है । आशा थी कि शिकायतों की जांच किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायेगी जिसका उस निर्णय से कोई सम्बन्ध न हो जिसके कारण शिकायत का मौका पैदा हुआ । यह आशा पूरी नहीं हुई और अधिकतर शिकायतों पर उन्हीं लोगों द्वारा कार्यवाही की जा रही है जिनके निर्णयों के कारण ये शिकायतें पैदा हुई थीं ।

इस बारे में आयुक्त ने कुछ सिफारिशें की हैं जो सरकार के पास विचाराधीन हैं ।

मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

*463. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूरों और कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). कर्मचारी राज्य बीमा तथा भविष्य निधि योजनाएं, जो कि बीमारी, प्रसूत, नौकरी के समय चोट लग जाने, सेवा

निवृत्ति और वृद्धावस्था के मामलों में मजदूरों और उनके परिवारों को सुविधाएं प्रदान करती हैं, कई वर्षों से लागू हैं। मजदूरों के लिये बेरोजगारी बीमा तथा सेवा निवृत्ति और परिवार पेंशन की नई योजनाएं लागू करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

असाम में पृथक् पहाड़ी राज्य के लिये मांग

*464. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ब० कु० दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान शासी दल में निष्ठा रखने वाले लोगों सहित आसाम में खासी तथा जैन्तियां पहाड़ी की समस्त जनता भारत संघ के भीतर एक पृथक पहाड़ी राज्य के पक्ष में है ;

(ख) यदि हां, तो पहाड़ी जनता संघ (हिल पीपल्स कांफ्रेंस) के साथ हो रही बातचीत किस प्रक्रम में है ;

(ग) क्या यह भी सच हैं कि मिकिर पहाड़ियों के लोगों को छोड़ कर अन्य सब लोग एक पृथक पहाड़ी राज्य के पक्ष में हैं ; और

(घ) अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हान) : (क) से (घ). मंत्रिमंडलीय समिति ने आसाम पर्वतीय क्षेत्र-आयोग के प्रतिवेदन पर आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ राजनैतिक संगठनों के प्रतिनिधियों से उनका दृष्टिकोण जानने तथा यह जानने के लिए कि आयोग की सिफारिशों के बारे में वे कहां तक आपस में सहमत थे, 1966 के अगस्त तथा सितम्बर महीनों में विचार विमर्श किया था। इस विचार विमर्श के दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने परस्पर नितान्त विरोधी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। कुछ-कुछ पृथक पहाड़ी राज्य के पक्ष में थे, कुछ अलग-अलग ज़िलों के लिए राज्य का दर्जा दिये जाने के पक्ष में थे और कुछ पृथक राज्य अथवा राज्यों के निर्माण के विरुद्ध थे। आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों को भावी प्रशासनिक व्यवस्था के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोणों तथा सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का स्मारक

*465. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 17 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 494 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा उनके साथियों के स्मारक बनाने के मामले पर अन्तिमरूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) तथा (ख). अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पोर्ट-ब्लेयर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का स्मारक बनाने का निर्णय किया गया है ।

शिक्षा का स्तर

*466. **डा० कर्णी सिंह जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले 15 वर्षों में शिक्षा के प्रसार कार्यक्रम के साथ-साथ सारे देश में शिक्षा का स्तर गिर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो हमारे स्कूलों और कालेजों में शिक्षा के स्तर को अधिक ऊंचा उठाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) प्रश्न का क्षेत्र बड़ा व्यापक है क्योंकि इसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कालेज शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा वग़ैरह सभी आ जाती हैं और यह कहना ठीक नहीं होगा कि शिक्षा के इन सभी क्षेत्रों में शिक्षा स्तर गिर गया है। यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि हाल के सालों में बहुत सी संस्थाओं में अध्यापन की सुविधाएं संख्या में हुई अपार वृद्धि के अनुकूल नहीं रह पाई है।

(ख) सरकार ने शिक्षा के समूचे क्षेत्र की जांच करने लिए और शैक्षिक कार्यक्रम को मौजूदा ज़रूरतों के अनुरूप ढालने के साधनोपाय सुझाने के लिए जुलाई, 1964 में भारतीय तथा विदेशी शिक्षाविदों का एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया था । आयोग की रिपोर्ट जून, 1966 के आखीरी सप्ताह में पेश की गई थी, केन्द्रीय सरकार के स्तर पर और राज्य सरकारों के स्तर पर आयोग की सिफारिशों की जांच करते हुए शिक्षा स्तर में सुधार करने की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा ।

मिट्टी के तेल का उत्पादन

*467. **श्री विश्राम प्रसाद** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन तेल शोधन कारखाने को चालू करने तथा बरौनी तथा कोयाली तेल शोधन कारखानों के विस्तार के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन तेल शोधन कारखानों के सम्बन्ध में हुई प्रगति के परिणामस्वरूप मिट्टी के तेल का कितना अतिरिक्त उत्पादन होने की संभावना है; और

(ग) इससे देश की मिट्टी के तेल की बढ़ती हुई मांग कहां तक पूरी हो जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कोचीन शोधनशाला 15-9-66 से चालू की गई । बरौनी के 2 से 3 मिलियन मीटरी टन के विस्तार से सम्बन्धित निर्माण कार्य प्रगति पर है और 1967 के अन्त तक इस के पूरे हो जाने की आशा है । गुजरात शोधनशाला के 3 मिलियन टन तक के विस्तार से सम्बन्धित निर्माण कार्य भी हो रहे हैं और सितम्बर 1967 तक इस के विकसित क्षमता के लिये तैयार हो जाने की आशा है ।

(ख) और (ग). बरौनी, कोयाली और कोचीन शोधनशालाओं के प्रत्येक के 2 मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष क्षमता पर चालू हो जाने के बाद मिट्टी के तेल/ए० टी० एफ० का लगभग 50,000 मीटरी टन प्रति मास अतिरिक्त उत्पादन होगा। मांग में वृद्धि हो जाने पर भी 1967 के दौरान में ए० टी० एफ० की आयात को बन्द करना और मिट्टी के तेल की आयात को कम करना सम्भव हो जायेगा।

कच्चे तेल के उत्पादन की लागत

*468. **श्री मधु लिमये** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व के मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्रों में कच्चे तेल की प्रति टन उत्पादन लागत के बारे में विदेशी सरकारों तथा विदेशी कम्पनियों से जानकारी मांगी है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस बारे में स्वयं कोई अनुमान लगाया है; और

(ग) विदेशी सरकारों/तेल कम्पनियों द्वारा दिये गये आंकड़ों अथवा सरकार के अपने अनुमान की तुलना में, भारत में सरकारी क्षेत्र में कच्चे तेल की उत्पादन लागत कैसी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेना

*469. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने उद्योगों में "श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेना" योजना लागू की गई है;

(ख) इस योजना को अन्य उद्योगों विशेष रूप से सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में लागू करने की क्या सम्भावना है;

(ग) इस योजना में यदि कोई सुधार किया जा रहा है तो क्या, ताकि इसे अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके और यह कर्मचारी और मालिक–दोनों को स्वीकार्य हो; और

(घ) इस योजना के लागू हो जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की 137 औद्योगिक स्थापनाओं ने संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की योजना को लागू किया है।

(ख) आशा है कि यथा समय इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त बड़ी संख्या में स्थापनाएं और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र की स्थापनाएं इस योजना को लागू करेंगी।

(ग) और (घ). श्रम प्रबन्ध सहकारिता समिति की उपसमिति द्वारा उन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

गैर-सरकारी तेल क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण

*470. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में गैर-सरकारी तेल क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Appointments in Central Services

*471. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of persons from different States in different Central Services separately as on (i) the 15th August, 1947 and (ii) as at present?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): The information is not available with Government. A statement enumerating the difficulties in the collection of the information is placed on the Table of the House.

Statement

A census of Central Government servants belonging to the various Central Services on the basis of the States from which they hail, had never been undertaken by Government. Moreover, any attempt to obtain the figures as on the 1'5th August, 1947, would be futile for the following reasons:—

(i) many of the offices which existed on 15th August, 1947, have either been abolished or have been merged in other offices;

(ii) there have been several re-organisations of the Ministries/Departments/Offices since August, 1947. Further, most of the files concerned will have been weeded out by now;

(iii) there has also been reconstitution of some Central Services; and

(iv) none of the existing Ministries/Departments/Offices will be in a position to give accurate figures with regard to the number of officers in the various Central Services separately hailing from different States as on 15th August, 1947.

2. As regards the figures as at present, unless enquiries are made from each individual difficulties will be experienced in determining the States to which the individual officers belong, especially if they and their parents have been moving from one State to another. The collection of these figures will amount to taking a comprehensive census—nearly 2.5 million—Central Government servants spread out throughout the country according to the Sattes to which they belong, and this will entail considerable expenditure and delay. The utility of the figures, will not be commensurate with the labour and expenditure involved in collecting them.

3. Article 16 of the Constitution provides that there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State. No domiciliary restrictions have been imposed in the matter of recruitment to the Central Services, and candidates from all States have equal opportunity to compete for appointment to the Central Services.

राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये अध्यापकों का चयन

*472. **श्री सुबोध सहंदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० म० मो० दास:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के चयन के लिए क्या मापदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या इस प्रकार पुरस्कृत अध्यापकों को सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा अथवा बच्चों की शिक्षा जैसी कोई विशेष सुविधाएं दी जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) एक अध्यापक को, एक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये विचार किये जाने हेतु पात्र होने के लिये निम्न बातों को पूरा करना होता है :—

(क) कम से कम 20 वर्ष की मान्यता प्राप्त अध्यापन सेवा;

(ख) स्थानीय समुदाय में अच्छी प्रतिष्ठा;

(ग) शिक्षा सम्बन्धी कार्यकुशलता और सुधार की इच्छा;

(घ) बच्चों में सच्ची रुचि और सार;

(ङ) सामाजिक जीवन तथा कार्यों में सक्रिय रुचि ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल की खोज के लिये रूसी सहयोग

*473. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी तेल कम्पनियों ने भारत में तेल खोजने की दिशा में सरकार को सहयोग देने की पेशकश की है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में बातचीत पूरी की जा चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय कार्मिक संघों की वित्तीय स्थिति

*474. **श्री उटिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में भारतीय कार्मिक संघों की वित्तीय स्थिति के बारे में एक सर्वेक्षण किया है;

(ख) इस सर्वेक्षण के क्या मुख्य निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या कार्मिक संघों की त्रुटियों को दूर करने के लिये कानून बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कार्मिक संघ आन्दोलन को शक्तिशाली बनाने के लिये मालिक-मजदूर संबंधों तथा श्रम नीति में क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार कार्मिक संघ अधिनियम, 1926 के एक व्यापक संशोधन के लिये प्रस्तावों पर विचार कर रही है ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

ह्विटले परिषदें

*475. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
डा० रानेन सेन
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री अ० प्र० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नम्बियार :
श्री उमा नाथ :
श्री अ० व० राघवन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये ह्विटले परिषदें स्थापित करने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या कर्मचारी संगठनों ने इस योजना के बारे में कोई सुझाव दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारी संगठनों द्वारा क्या सुझाव दिये गये हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य पंचफैसला योजना का 28–10–1966 को उदघाटन हुआ ।

(ख) इस योजना की प्रतियां 20–4–66 को सदन के सभा-पटल पर रख दी गई ।

(ग) और (घ). सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7392/66]

पाकिस्तान में गये व्यक्तियों का लौट आना

*476. **श्री नाथ पाई:**
श्री हेम बरुआ:
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लोगों की संख्या कितनी है जो भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर क्षेत्र में चले गये थे और अब काश्मीर में लौट आये हैं;

(ख) क्या उन लोगों के सम्बन्ध में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन लोगों को लौटने देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) (ख) और (ग). इन लोगों के बारे में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी कुछ लोग वापिस लौटने में सफल हो गये क्योंकि कुछ लोगों को समय-समय पर चोरी-छिपे लौटने से रोकना सम्भव नहीं था। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार अक्टूबर, 1966 तक लगभग आठ सौ परिवार वापिस लौटे थे।

Walcott and Donze

*447. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of cases against Daniel Walcott and his accomplice which are yet to be decided;

(b) whether it is learnt from the cases already decided upon that some Indians were also in collusion with him; and

(c) if so, the action taken against such Indians?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Three out of four cases investigated by the Central Bureau of Investigation have yet to be decided in the courts.

(b) No.

(c) Does not arise.

ई० एन० आई० द्वारा वाणिज्यिक ऋण का प्रस्ताव

*478. **श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व इटली की सरकारी तेल फर्म ई०एन०आई० ने 10 करोड़ डालर का वाणिज्यक ऋण देने का प्रस्ताव किया था, उसका लगभग दो तिहाई भाग व्यपगत होने दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) व्यपगत (Lapse) दुर्भाग्यवश था क्योंकि सरकार दिसम्बर, 1965 तक इस से अवगत नहीं थी कि इस ऋण को 31—12—1964 के बाद चालू रखने के लिए इटली सरकार ने ई० एन० आई० को दिये गये लाइसेन्स को आगे नहीं बढ़ाया ।

Grievances of Delhi Police

*479. **Shri Shinkre:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Gulshan:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that full uniforms are not supplied to the Delhi Police constables for winter, summer and rainy seasons, even though they have to be on duty 24 hours a day;

(b) whether it is also a fact that only a small percentage of Constables are provided residential accommodation and that too for a limited period;

(c) whether the Delhi Police personnel are not allowed to avail themselves of Gazetted Holidays nor they are allowed any Overtime Allowance; and

(d) if so, the steps taken by Government to remedy the situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Constables of the Delhi Police are issued articles of uniform prescribed under Punjab Police Rules applicable to different ranks and units or for specified duties.

(b) To augument existing accommodation a crash programme for the construction of accommodation for policemen at a cost of Rs. 50,00,000 to be spent in the next 24 months, has recently been sanctioned. Allotment of accommodation to the members of the force is not made subject to any time limit.

(c) No overtime allowance is allowed to Delhi Police personnel. When duty extends beyond 9 hours at a stretch sanction for provision of food or where that is not feasible, a cash allowance up to a maximum of Rs. 1.25 paise per head, per day, in the exigencies of public service has been issued. As regards gazetted holidays, since large scale arrangements have to be made on certain holidays which happen to coincide with National/Religious festivals or during the visits of V.I.Ps., it is not possible to allow a major part of the constabulary to avail of all such holidays. However, 15 days of casual leave in a calendar year are allowed to the executive staff, as against 12 days admissible to other employees of the Delhi Administration.

(d) A Commission has been appointed by Government to inquire into the conditions of service, working and living of the non-gazetted members of Delhi Police Force of the Union Territory of Delhi.

सेवा निवृत्ति की आयु

2088. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेवा-निवृत्त अधिकारियों के कार्य-काल की अवधि को बढ़ाने अथवा उन्हें फिर से नौकरी में लेने के सम्बन्ध में क्या क्या मोटे सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): सदन के सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7393/66]**

केरल में मलयालम का प्रयोग

2089. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मलयालम भाषा लागू करने के लिए नियुक्त किये गये विशेष अधिकारी ने कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि अब भी मलयालम भाषा में दिये गये अभ्यावेदनों का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) अक्तूबर 1965 में राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किए गये थे कि मलयालम भाषा में प्राप्त पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना चाहिए । इन आदेशों को पालन न करने का कोई उदाहरण राज्य सरकार की निगाह में नहीं आया है ।

Post Offices in Maharashtra

2090. Shri D. S. Patil: Will the Minister of **Communications** be pleased to state the number of Sub-Post Offices in Maharashtra proposed to be converted into head-Post Offices and Branch Post Offices during 1966-67?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): There is no proposal to convert any Sub-Post Office into a Head Post Office during 1966-67. But there is a proposal to convert a sub-post office into a branch post office during this period. Besides, two sub-post offices have already been converted into branch post offices during 1966-67.

Quarters for P. & T. Employees

2091. Shri D. S. Patil: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Post and Telegraph employees provided with quarters in Maharashtra upto the 30th June, 1966; and

(b) whether there is any proposal to construct quarters in that State for the Posts and Telegraphs employees during 1966-67?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) 2485.

(b) Yes. Sanction for construction of 62 units has been accorded, out of which 10 units of staff quarters are under construction.

Post Offices in Rented Buildings in Maharashtra

2092. Shri D. S. Patil: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Post Offices functioning in rented buildings in Maharashtra as on the 1st April, 1966;

(b) the total amount paid as rent during the years 1964-65 and 1965-66 so far; and

(c) the time by which these Post Offices are likely to start functioning in their own buildings?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) 1045.

(b) 1964-65	1965-66
Rs. 11,33,568	Rs. 17,10,625

(c) No precise time limit can be stated.

संयुक्त सचिवों का वेतन क्रम

2093. श्री राम हरख यादव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षता अवरोध संबंधी नियमों में संशोधन करके केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिवों के वेतन-क्रम में आमूल परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या परिवर्तन किये गये हैं; और

(ग) नये नियम कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) कोई आमूल परिवर्तन नहीं किये गये हैं। पहिले के आदेशों में प्रत्येक अधिकारी के सम्बन्ध में उसके कार्य का निश्चित मूल्यांकन करने के बाद ही संयुक्त सचिवों के वेतन-क्रम में पहली वेतन वृद्धि दी जाने की व्यवस्था थी। संशोधित आदेशों के अधीन यह निर्णय किया गया है कि वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ कार्य के मूल्यांकन को जोड़ना तो आवश्यक नहीं, किन्तु कार्य का मूल्यांकन इस बात को देखने के लिए करना चाहिए कि केवल उन्हीं अधिकारियों को जो पूर्ण रूप से योग्य हैं संयुक्त-सचिव के पद पर कार्य करते रहने की अनुमति दी जाय।

(ग) ये अनुदेश 19 नवम्बर, 1966 से लागू हुए हैं।

दिल्ली में डिप्टी सुपरन्टेन्डेंट पुलिस के वेतन-क्रम

2094. श्री चांडक : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1961 से दिल्ली में एक पुलिस इन्स्पैक्टर को आरम्भ में 325 रुपये मूल वेतन मिलता है, जब कि एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को आरम्भ में 300 रुपये मूल वेतन मिलता है ;

(ख) क्या इस संबंध में दिल्ली पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंटों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(क) इस विषमता तथा इन वेतनक्रमों में अब तक संशोधन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) दिल्ली में पुलिस के निरीक्षकों और उपअधीक्षकों को आरम्भ में निम्न मूल वेतन दिया जाता है :—

(एक) पुलिस निरीक्षक (अभियोग निरीक्षकों से भिन्न) रु०

325/-
325—15—475 के
वेतन क्रम में।

(दो) पुलिस निरीक्षक (अभियोग)	320/- 320—15—470 दक्षतारोध—15—530
(तीन) उपअधीक्षक पुलिस	300/- 300—25—475— दक्षतारोध—25— 650—30—800 चयन श्रेणी 900— निश्चित ।

दिल्ली में एक पुलिस निरीक्षक का मूल वेतन केन्द्रीय वेतन क्रमों के अनुसार है और इसमें कुछ महंगाई भत्ता भी शामिल है। उपअधीक्षक के मूल वेतन में कोई महंगाई भत्ता शामिल नहीं है और यह पंजाब के वेतनक्रमों के अनुसार है जिनको कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा के वेतनक्रमों में निगमित किया गया है।

2. पहले दिल्ली पुलिस में पुलिस के उपअधीक्षक के पद पर पदोन्नत किये गये एक पुलिस निरीक्षक का वेतन, उसके पुलिस निरीक्षक के रूप में मिलने वाले वेतन से जोड़े हुए महंगाई भत्ते के तत्व को निकाल कर निश्चित किया जाता था। इससे पदोन्नति होने पर मूल वेतन में कमी होती थी। इसके विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अब 1 जून, 1966 से वेतनक्रम निर्धारित करने के तरीके में परिवर्तन किया गया है ताकि दिल्ली में उपअधीक्षक के पद पर पदोन्नत किये गये पुलिस निरीक्षक के मूल वेतन में कमी न हो।

तरल पैट्रोलियम गस का कारखाना

2095. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिफाइनरी गैस को "तरल पैट्रोलियम गैस" में परिवर्तित करने के लिए गोहाटी में एक कारखाना स्थापित किये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या इस कारखाने को स्थापित करने के लिए बाहर से कुछ उपकरण मंगाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). जी हां।

(ग) तरल पैट्रोलियम गैस के प्रतिवर्ष 2500 मीटरी टन उत्पादन सहित 6000 मीटरी टन तक विस्तार के क्षमता की स्कीम है। स्कीम को अन्तिम रूप देने के पश्चात ही आयात की जाने वाला मशीनरी का ब्यौरा उपलब्ध होगा।

जिस टेलीफोन से गन्दी अथवा दुर्भावनापूर्ण बातें की जाती हैं उसका पता लगाने के लिये वि

2096. श्री राम हरख यादव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन टेलीफोनों का जिन से गन्दी अथवा दुर्भावनापूर्ण बातें की जाती हैं, पता लगाने

के लिए स्वचालित टेलीफोन केन्द्रों में काम करने वाला एक विशेष 'सर्किट' डाक तथा तार विभाग ने तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी कार्यप्रणाली का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस नई प्रणाली का लाभ किन शर्तों पर उठाया जा सकता है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी हां ।

(ख) स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर का इस ढंग का निर्माण किया गया है कि काल करने वाला उपभोक्ता जब चाहे लाइन काट ले । बेहूदा काल करने वाला व्यक्ति इसका फायदा उठाकर थोड़ी ही देर ऐसी बेहूदा बातें करके अपना काल काट देता है और पता लगाये जाने से बच जाता है।

काल करने वाले का पता लगाने का केवल एक ही तरीका है कि एक्सचेंज के कर्मचारियों का ध्यान उस ओर आकर्षित किया जाए जो काफी समय दिये जाने पर अर्थात् का कुछ देर चलता रहे और काल करने वाला व्यक्ति काल न काटे तो काल करने वाली लाइन का पता लगा सकते हैं, उसे विशेष रूप से व्यस्त रख सकते हैं और काल करने वाले नम्बर का पता लगा सकते हैं । एक्सचेंज के कर्मचारिरियों का ध्यान आकर्षित करने का मोजूदा तरीका अप्रत्यक्ष तरीका है । शिकायत करने वाले उपभोक्ता को किया जाने वाला हरेक काल सुना जाता है और यदि उन्हें बेहुदा पाया जाता है तो पता लगाने की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है ।

नये उपस्कर के द्वारा शिकायत करने वाला उपभोक्ता केवल एक बटन दबाकर एक्सचेंज के कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित कर सकेगा । इस तरह काल का पता लगाने और उसकी तहकीकात की समूची कार्रवाई में शीघ्रता बरती जा सकेगी ।

(ग) कोई भी उपभोक्ता, जिसे अपने टेलीफोन पर बेहूदा काल मिलने की वास्तविक शिकायत हो, इस सुविधा का लाभ उठा सकेगा ।

सिरमौर की गद्दी

2097. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सिरमौर की गद्दी के उत्तराधिकारी के संबंध में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : **(क) और (ख)** यह मामला भारत सकार के पास विचाराधीन है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि संकाय का बन्द होना

2098. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या विधि विद्यार्थियों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए 12 सितम्बर, 1966 से 1 अक्तूबर, 1966 तक दिल्ली विश्वद्यालय के विधि संकाय को बन्द कर दिया वया था; और

(ख) यदि हां, तो बार कोन्सिल की परीक्षा के मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला दिल्ली विश्वविद्यालय के विचाराधीन है ।

नेफ्था से यूरिया बनाना

2099. डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने पूना की राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला से **वाणिज्यिक** स्तर पर नेफ्था से यूरिया के निर्माण के बारे में विस्तृत तकनीकी जानकारी भेजने के **लिये कहा है** ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ग) नेफ्था से यूरिया बनाने के लिये सरकार द्वारा इटली की दो फर्मों के साथ **किये गये** करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दुर्गापुर और कोचीन में अमोनिया तथा यूरिया प्लांटों के लिए प्रदायक ऋण **का करार** इटली की फर्मों मेसर्ज मोण्टकटनी–ऐंडीसन और मैसर्स अन्सालडो के साथ हुआ है ; जिन्होंने **आयातित** संयन्त्र एवं उपकरण की सप्लाई के लिए 30 मिलियन डॉलर ऋण पेश किया है ।

ऋण की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

अन्तिम प्रेषण के 24 महीनों के अन्दर 10 प्रतिशत ।

पहली किश्त की अदायगी की तारीख से 9 बराबर किश्तों में 90 प्रतिशत ।

5.75 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज और ऋण बीमा भी किन्तु ऋण बीमा और ब्याज मिलाकर 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

छात्रों के आन्दोलन के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा अध्ययन

2100. श्री सेझियान :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मौर्य :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रा० स० तिवारी
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचीबाबा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री कृपा करने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में छात्रों के आन्दोलन की समस्या का विचार करने के **लिये** केन्द्रीय जांच विभाग के अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के कौन-कौन सदस्य हैं तथा उस के निर्देश पद क्या हैं ;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां ।

(ख) इस समिति में इसके संयोजक के रूप में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक, सदस्यों के रूप में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा मद्रास के पुलिस महा निरीक्षक और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के उपनिदेशक श्री वेणुगोपालराव शामिल थे ।

(ग) समिति से अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रतीक्षा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' नई दिल्ली में हड़ताल

2101. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स', नई दिल्ली के कर्मचारियों ने मालिकों द्वारा बोनस न देने के कारण सांकेतिक हड़ताल कर दी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस के परिणामस्वरूप पाठकों को कई दिन तक यह समाचारपत्र नहीं मिला ;

(ग) क्या सरकार ने दोनों पक्षों के बीच परस्पर समझौता कराने के उद्देश्य से हस्तक्षेप किया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं ।

(ख) कर्मचारियों द्वारा थोड़ी अवधि के लिये कथित धीमी गति से काम करने, काम बन्द करने आदि के परिणामस्वरूप प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों के 'ले ऑफ' किये जाने के परिणामस्वरूप "सितम्बर से 15 सितम्बर, 1966 तक हिन्दुस्तान टाइम्स जारी नहीं किया गया था ।

(ग) श्रम आयुक्त, दिल्ली प्रशासन के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप 15 सितम्बर, 1966 को ले ऑफ़' वापस ले लिया गया था और उसी रात को कर्मचारी काम पर गये थे ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेफ्था के मूल्य में वृद्धि

2102. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में नेफ्था का मूल्य बढ़ जाने के कारण, उर्वरकों की उत्पादन-लागत के भी बढ़ाने की सम्भावना है ; और

(ख) क्या इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से पत्र-व्यवहार किया गया है और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अन्नगेसन): (क) सरकार ने अवमूल्यन के कारण नेफथा के शोधनशाला मूल्य को न बढ़ाने का फैसला किया है और मूल्य पूर्व-अवमूल्यन आधार पर ही निर्धारित होंगे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मेहतरों की मजूरी

2103. श्री श्रीनारायण दास : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में काम करने वाले मेहतरों को सेवा की शर्तों तथा मजूरी के बारे में जांच करने के लिये कोई अध्ययन दल स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल के कार्य तथा विषय-क्षेत्र क्या हैं ; और

(ग) क्या इस के प्रतिवेदन देने के लिये कोई समय-सीमा निश्चित की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) अभी नहीं

(ख) और (ग) सारा मामला विचाराधीन है ।

फिल्म उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

2105. श्री वासुदेवन् नायर :
श्री वारियर :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 24 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 640 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच फिल्म उद्योग के लिये एक मजूरी बोर्ड बनाने के लिये अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां ।

(ख) अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में फिल्म उद्योग के लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने का विचार है ।

पेट्रोलियम-रसायन उद्योग समूह

2106. डा० रानेन सेन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई पैट्रोलियम-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के लिये किसी विदेशी फर्म के साथ कोई करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अन्नगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विश्वविद्यालयों में शिकायत निवारण निकाय

2107. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों को विद्रोहात्मक प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से सारे देश के विश्वविद्यालयों में राजस्थान, जोधपुर और उदयपुर विश्वविद्यालयों में की गई व्यवस्था के समान शिकायत निवारण निकाय स्थापित करने की वांछनीयता का विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) अक्तूबर, 1966 में हुए उपकुलपतियों और शिक्षाविदों के सम्मेलन में, शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश किए गए रूप में, अध्यापकों और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को सलाहकार परिषदें स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया गया था। सम्मेलन ने सिफारिश की कि विद्यार्थियों से उनकी आवश्यकताओं के संबंध में समय-समय पर और नियमित रूप से विचार-विमर्श करने के लिए एक उपयुक्त मशीनरी का तत्काल गठन किया जाना चाहिए ताकि जहां कहीं संभव हो, उपचारात्मक कार्रवाई शीघ्र की जा सके। यह सिफारिश सभी विश्वविद्यालयों के पास भेज दी गई है।

कोयला खान भविष्य निधि योजना

2108. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री ब० कु० दास :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान भविष्य निधि योजना कितनी कोयला खानों तथा सहायक संगठनों पर लागू होती है और 1965–66 में इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी ;

(ख) कार्यालय की पुस्तकों में ऐसी कुल कितनी राशि दिखाई गई है, जो मालिकों ने नई दी है ; और

(ग) इसको वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और अपना हिस्सा न देने वाले मालिकों पर कितना जुर्माना किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) (एक) कोयला खानों तथा सहायक संगठनों की संख्या जिन पर यह योजना अगस्त, 1966 तक लागू थी 287

(दो) 1965–66 के दौरान इसके सदस्यों की संख्या 4,38,565

(ख) 31-3-1966 को 2,98,78,880 रुपये रु०

(ग) (एक) 31-3-1966 को अदालतों में 1.49 करोड़ रु० की वसूली के लिये प्रमाण पत्रों के मामले लम्बित थे जब कि उसी तारीख को शेष 1.50 करोड़ रु० की वसूली के लिये स्मरण पत्र और कारण बताओ सूचनाएं जारी की जा रही हैं।

(दो) दोष सिद्ध होने के मामलों में 25 रु० से 1000 रु० तक जुर्माना किया जाता है।

सरकारी उपक्रमों में संयुक्त प्रबन्ध परिषद्

2109. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 10 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1959 के उत्तर केसम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी उपक्रमों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें स्थापित करने के निर्णय को लागू करने के बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां): जुलाई, 1966 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों की हुई बैठक में अन्य बातों के साथ साथ ये सिफारिशें की गई : (एक) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऐसे स्थानों पर संयुक्त प्रबन्ध परिषदें स्थापित करने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये जहां पर इन्हें अभी तक स्थापित नहीं किया गया है, (दो) आपातकालीन उत्पादन समितियों को संयुक्त प्रबन्ध परिषदों में बदलने की संभावनाओं का भी पता लगाया जाये और कैन्टीनों, सहकारी स्टोरों आदि को चलाने के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों का होना चाहिये ।

इन सिफारिशों की जानकारी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सभी प्रमुखों को दे दी गई है और उनसे इन्हें क्रियान्वित करने के लिये अनुरोध किया गया है ।

राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् और इसके द्वारा स्थापित की गई दो समितियों की निम्न सिफारिशों को अभी तक पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया गया है;

1. विद्यार्थियों के लिये आचार संहिता (कार्यवाही का पैरा 9)
2. पंचायत राज योजना में विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न निकायों के लिये चुनावों के लिये संहिता (कार्यवाही का पैरा 14)
3. विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में दाखिले सम्बन्धी प्रतिबन्धों का हटाया जाना । (कार्यवाही का पैरा 15)

नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार में बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों की नियुक्ति

2110. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सीताबर काटकी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/सरकारी उपक्रमों को निदेश दिये हैं कि नियुक्ति के मामले में बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों को प्राथमिकता दी जाये;

(ख) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने इस बारे में अनुदेशों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार, नई दिल्ली को भी बता दिया था;

(ग) यदि हां, तो बर्मा से स्वदेश लौटे कितने भारतीयों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और उन में से कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) गृह मंत्रालय ने 4 अक्तूबर, 1965 को भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों को निदेश जारी किये हैं कि बर्मा से 1 जून, 1963 को या उसके बाद स्वदेश लौटे भारतीयों को, रोजगार कार्यालय द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति में, उनके बसने वाले राज्य में सब से पहले प्राथमिकता और दूसरे राज्यों में प्राथमिकता-III मिलनी चाहिये । जहां तक सरकारी उपक्रमों का सम्बन्ध है, पुनर्वास मंत्रालय ने ऐसे उपक्रमों से सम्बन्धित मंत्रालयों को सुझाव दिया है कि वे सरकारी उपक्रमों में, दूसरे सरकारी उपक्रमों द्वारा अतिरिक्त घोषित कर्मचारियों तथा प्रायोजनाओं के लिये प्राप्त की गई भूमि के क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों के अधिकार को हानि न पहुंचाते हुए रिक्त स्थानों का कुछ प्रतिशत बर्मा तथा लंका से स्वदेश लौटे भारतीयों को दें ।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार, नई दिल्ली सरकारी उपक्रम न होकर बम्बई संस्था पंजीकरण अधिनियम के दिल्ली में लागू रूप के अधीन पंजीकृत एक संस्था है । यह सहकारी भंडार खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार के अधीन भी नहीं है । अत : खाद्य तथा कृषि एवं सार्वजनिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय ने, ऐसे निदेश जो प्रश्न के (क) भाग में निर्देशित हैं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार को नहीं दिये । वास्तव में ये निदेश इस विभाग पर लागू नहीं होते, जो कि न तो सरकारी कार्यालय है और न ही सरकारी उपक्रम ।

(ग) बर्मा से स्वदेश आने वाले किसी व्यक्ति से केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली में नियुक्ति के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस भंडार में नियुक्त नहीं है ।

(घ) प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल सरकार के गृह सचिव

2111. श्री राम सेवक यादव :
श्री यश पाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 31 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3703 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के गृह-सचिव के पद का दर्जा बढ़ा कर आयुक्त के पद के बराबर किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रस्ताव पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक

2112. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 31 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 757 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या निर्णय किये गये; और

(ग) राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता परिषद् की पहली बैठक में पारित किये गये कौन-कौन से विकल्प तथा सिफारिशें अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय एकता परिषद् ने अपनी पहली बैठक में जो ऐसी सिफारिशें की थीं जिन्हें अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका उनके बारे में सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है :—

विवरण

राष्ट्रीय एकता परिषद तथा इसके द्वारा स्थापित दो समितियों की जिन सिफारिशों को पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया गया है इस प्रकार हैं :

1. विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता (कार्यवाही का पैराग्राफ 9)
2. पंचायती राज योजना में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संस्थाओं के लिए चुनाव संहिता (कार्यवाही पैराग्राफ 14)
3. विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालय तथा शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश सम्बन्धी प्रतिबंधों को हटाना।

नागाओं द्वारा हथियारों से लैस चौकियां स्थापित किया जाना

2113. **श्री शिंकरे :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री गुलशन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के मुख्य मंत्री ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि विद्रोही नागाओं ने उस क्षेत्रों में हमारी सुरक्षा चौकियों के बिल्कुल सामने हथियारों से लैस चौकियां स्थापित कर ली है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विद्रोही नागाओं और उस क्षेत्र के लोगों के बीच समय समय पर सामना होता रहता है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार नागा-विद्रोहियों से प्रभावित क्षेत्र के लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिये सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी

2114. **श्री रामसेवक यादव :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 31 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3735 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी की गिरफ्तारी से सम्बन्धित जांच इस बीच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

त्रिचूर में पुलिस द्वारा कथित मारपीट

2115. **श्री रामसेवक यादव :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 7 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4265 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर में पुलिस द्वारा कथित मारपीट के बारे में जांच इस बीच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री निद्याचरण शुक्ल) : इस आरोप की जांच कर ली गई है कि मालाबार विशेष पुलिस के कुछ व्यक्तियों पर आक्रमण किया गया था । मामले को जांच के लिये भेजने का विचार है ।

जम्मू तथा काश्मीर में तेल तथा गैस

2116. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने काश्मीर घाटी में पैट्रोलियम गैस तथा जम्मू में साम्बा-कठुआ पट्टी तथा राजोरी क्षेत्रों में तेल की खोज की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) जी हां, अभी अन्वेषण कार्य प्रगति पर है ।

विधि मंत्री के नई दिल्ली स्थित निवास स्थान पर छात्रों तथा पुलिस में मुठभेड़

2117. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 सितम्बर, 1966 को विधि मंत्री के निवास स्थान के बाहर छात्र-पुलिस मुठभेड़ में एक सौ से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) 3 सितम्बर, 1966 को विधि मंत्री के निवास स्थान के बाहर छात्रों की पुलिस के साथ मुठभेड़ में 103 व्यक्ति घायल हुए थे। इनमें से 52 विद्यार्थी, 4 बस के यात्री और 47 पुलिस वाले थे।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने 3 सितम्बर, 1966 को विधि मंत्री के निवास स्थान के बाहर विधि-विद्यार्थियों की मांगों के पक्ष में प्रदर्शन किया। जुलूस तथा दर्शन के दौरान वे अनियंत्रित हो उठे और उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस पर इटें फैंकी, सड़क पर सरकारी तथा निजी परिवहनों को और समीप के मकानों के दरवाजों की बत्तियों को क्षति पहुंचाई। ड्यूटी पर मौजूद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जुलूस को गैर कानूनी घोषित किया और भीड़ को तित्तर-बित्तर होने का आदेश दिया। उन्होंने चेतावनी की परवाह नहीं की अतः उन पर लाठी प्रहार करके उन्हें तित्तर-बित्तर कर दिया गया।

(ग) आंदोलनकारी गुमराह थे। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया और 60 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। बाद में मामला उठा लिया गया।

उत्तर प्रदेश में न्यायाधीशों की नियुक्ति

2118. श्री विश्वनाथ पाण्डेय:

श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर प्रदेश के उन न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधानिक बनाने के लिये संविधान में संशोधन करने का विचार कर रही है जिनकी नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय ने अवैध घोषित कर दिया था क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीकें में त्रुटि पाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा संशोधन कब पुरःस्थापित किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) यदि संभव हुआ तो, संसद के चालू अधिवेशन में।

उत्तर प्रदेश रोडवेज के गोरखपुर स्थित बस अड्डे के पीछे बमों का पाया जाना

2119. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 सितम्बर, 1966 को गोरखपुर में उत्तर प्रदेश रोडवेज के बस अड्डे के पीछे 8 बम पड़े पाये गये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां। किन्तु इन बमों के विषय में सूचना मिली है कि ये बम केवल अभ्यास के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले बम थे।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

संस्कृत अध्ययन

2120. **डा० लक्ष्मी** ... **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृ

(क) क्या शिक्षा अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्रों में संस्कृत को प्रतिष्ठित स्थान देने के लिये विश्व व्यापी प्रयत्न किया जा रहा है ;

(ख) क्या दिल्ली राज्य संस्कृत विश्व परिषद के तत्वावधान में हुए संस्कृत विद्वानों के सम्मेलन ने इस बारे में कोई ठोस सिफारिशें की थीं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) अपने आन्तरिक गुणों के कारण, सारे संसार में शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में संस्कृत को सम्मानित स्थान पहले ही मिला हुआ है। फिर भी संस्कृत आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने संस्कृत के प्रचार और विकास के लिए बहुत से कदम उठाए हैं।

(ख) और (ग). दिल्ली राज्य संस्कृत विश्व परिषद ने सितम्बर, 1966 की अपनी बैठक में बहुत से प्रस्ताव पारित किए हैं जिनमें देश में संस्कृत के विकास और अध्ययन के महत्व पर जोर दिया गया है। इन प्रस्तावों में उठाई गई विभिन्न समस्याओं के प्रति भारत सरकार पहले ही से जागरूक है।

पंजाब के सेवा-अधिकारियों का विभाजन

2121. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के सेवा अधिकारियों का चार अनुवर्ती राज्यों में विभाजन करने का कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा विभाजन किन सिद्धान्तों और आधार पर किया गया ?

गृह-मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) सेवाओं को चार अनुवर्ती राज्यों में अस्थायी रूप से बांटने के लिए आदेश जारी किये गये हैं।

(ख) उन अधिकारियों के सम्बन्ध में, जिनकी नियुक्तियां स्थानीय क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, बटवारे के सामान्य आदेश जारी किए गये हैं। बाकी सभी के बारे में अस्थायी बटवारे के स्पष्ट आदेश जारी कर दिये गये हैं। इन आदेशों का निर्माण, इस उद्देश्य से नियुक्त की गई वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। समिति ने अपने सुझावों का निर्माण करते समय इस सदन में 29 जुलाई, 1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1966 के उत्तर में उल्लिखित मोटे-मोटे सिद्धान्तों का अनुसरण किया था।

2122. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री लीला धर कटकी :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री बसुमतारी :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री किन्दर लाल :**

श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मधु लिमये :
श्री ब्रिज बिहारी मेहरोत्रा :
श्री राम हरख यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो पहाड़ी क्षेत्रों में फिजो नेशनल फ्रंट के स्वयंसेवकों की हिंसात्मक कार्यवाहियां जारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1966 से अब तक मिजो नेशनल फ्रंट ने कितनी बार आक्रमक कार्यवाही की तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समय वहां विधि तथा व्यवस्था की स्थिति कैसी है ;

(घ) क्या उन में से बहुत से लोग अभी भी पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा वहीं से हथियार प्राप्त करने में लगे हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां।

(ख) जुलाई से 14 नवम्बर, 1966 तक की अवधि के दौरान कुछ साधारण घटनाओं के अलावा मिजो विद्रोहियों द्वारा आक्रमण की 35 घटनाएं हुई। इन घटनाओं का सम्बन्ध अपहरण तथा लूट आदि के मामलों से था।

(ग) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोही अभी तक सक्रिय हैं। प्रशासनिक केन्द्रों तथा अन्य उन स्थानों पर जहां सुरक्षा-दल तैनात हैं स्थिति इससे अच्छी है।

(घ) और (ङ). जी हां, बहुत से विद्रोही पाकिस्तान में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वे पाकिस्तान से हथियारों के आयात की भी चेष्टा करते हैं।

काश्मीर का विशेष दर्जा

2123. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सं चं० सामन्त :
श्री सुबोद हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हस० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री वासप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर राज्य को भारत संघ के अन्य राज्यों के बराबर लाने के लिए सरकार ने और क्या कार्यवाही की है अथवा करेगी ;

(ख) क्या विधान सभा और संसद के लिये चुनावों के ढंग, नियम और प्रक्रिया को वहां अन्य राज्यों के अनुरूप बना दिया गया है; यदि नहीं तो उनमें कितना अन्तर है और काश्मीर को अन्य राज्यों के बराबर का दर्जा देने के लिए अब क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) भारत के संविधान के खंड III के उपबन्धों के अनुसरण में भारत के नागरिकों को भारत संघ में हर स्थान पर स्वतन्त्रतापूर्वक आने जाने और किसी भी भाग में भूमि और सम्पत्ति खरीदने और रखने के मूल अधिकार जिसमें काश्मीर अपवाद नहीं होगा कब सुनिश्चित किये जायेंगे ?

गृह-मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में संविधान की धारा 81, 325, 326, 327 और 329 को उचित संशोधनों के साथ लागू कर दिया गया है जिससे देश के शेष भागों के समान वहां लोक-सभा के लिए सीधे चुनाव सम्भव हो गए हैं।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर विधानांग के चुनावों का नियंत्रक विधि-नियम जम्मू तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों में दिया गया है। यह अधिनियम तथा नियम सभी प्रकार से भारत के शेष भागों की विधान सभाओं तथा संसद के निर्वाचन पर लागू अधिनियम तथा नियमों के अनुरूप हैं।

जम्मू तथा काश्मीर अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जम्मू तथा काश्मीर राज्य के संविधान में की गई व्याख्या के अनुसार उस राज्य का स्थायी निवासी नहीं है उस राज्य की विधान सभा के क्षेत्रों की निर्वाचन सूचियों में पंजीकरण का पात्र नहीं होगा। तदनुसार संविधान सभा की निर्वाचन सूचियों में "अस्थायी निवासियों" के नाम शामिल नहीं हैं जबकि संसदीय क्षेत्रों की सूचियों में उनके नाम शामिल हैं। लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में उचित संशोधन किये जा रहे हैं ताकि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लोक-सभा के लिये उसी प्रकार सीधे चुनाव हों जिस प्रकार देश के शेष भाग के लिये होते हैं।

(ग) वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

तरल पेट्रोलियम गैस

2124. श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 3 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1099 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली गैस को तरल पैट्रोलियम गैस बनाने के लिये इस्तेमाल करने की योजना पर इस बीच सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं !

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). अभी नहीं। शोधन शाला के इंजीनियरों द्वारा बनाई गई स्कीम अभी इण्डियन आयल कारपोरेशन के निदेशकों के बोर्ड के विचाराधीन है।

बरौनी में उर्वरक कारखाना

2125. श्री यशपाल सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बरौनी में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की बिहार सरकार की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) बरौनी में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार अभिसमय

2126. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार अभिसमय से भारत की सदस्यता को हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). इस प्रस्ताव पर कुछ समय पहले विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया कि इस प्रश्न पर अगस्त, 1967 के बाद ही पुनर्विचार किया जाए, जबकि बर्न अभिसमय (कन्वेन्शन) का संशोधित पाठ उपलब्ध हो जाएगा ।

लोक शिकायत आयुक्त

2127. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक शिकायत आयुक्त ने मन्त्रालयों द्वारा सहयोग न दिये जाने के बारे में शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Bandhs

2128. **Shri Bhagwat Jha Azad:**
Shri S. C. Samanta:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Dr. M. M. Das:
Shri P. C. Borooah:
Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of times "Bandhs" were attempted in the country (State-wise) during the current year; and

(b) the extent of loss of life and damage caused to Government and private property on account of these Bandhs?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) A statement is placed on the Table of the House.

S. No.	Name of State	No. of times the Bundhs were attempted.
1.	Kerala	1
2.	Bengal	4
3.	Rajasthan	1
4.	Delhi	1
5.	Uttar Pradesh	1
6.	Gujarat	1
7.	Bihar	1
8.	Maharashtra	2
9.	Andhra Pradesh	1

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पंचायती डाक व्यवस्था

2129. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० म० मो० दास :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में पंचायती डाक व्यवस्था सम्बन्धी प्रयोग किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं ; और

(ग) यह व्यवस्था किस हद तक सफल सिद्ध हुई है और क्या दूसरे राज्यों में भी इसका विस्तार किया जायेगा ?

संसद् तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) महाराष्ट्र राज्य ।

(ग) इस योजना का समुचित परिक्षण किया जा हरा है और इसके कार्य पर निगरानी रखी जा रही है । इसे चालू रखने या समाप्त करने अथवा दूसरे राज्यों में इसका विस्तार करने के प्रश्न पर महाराष्ट्र सर्कल में इसके परीक्षण के परिणाम का अनुमान लगाने के बाद ही निश्चय किया जायेगा ।

भारत में भूचाल के कारणों का अध्ययन

2130. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आ **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० चं० सामन्त : **डा० म० मो० दास :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक तथा संस्कृति संस्था के एक पूर्व-

परीक्षण तथा अध्ययन मंडल ने भारत के भूचालों के आने के कारणों का पता लगाने के लिए तथा तत्सम्बन्धी अध्ययन के लिये अपनी सेवायें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ग) क्या इस मंडल ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है तथा यह अपना कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) अगस्त 1964 में यूनेस्को ने भारत को एक प्रस्ताव भेजा था कि कोई गम्भीर भूचाल आने पर वह एक पूर्व-परीक्षण और अध्ययन मिशन भेज सकता है जो भूचाल के कारणों और उसके प्रभावों की जांच करे और तत्काल एक रिपोर्ट तैयार करे तथा और आगे वांछनीय जांच-पड़ताल के लिए सिफारिशें कर सके ।

(ख) जी हां ।

(ग) यूनेस्को मिशन की सेवाएं प्राप्त करने के लिए अभी तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

2131. **श्री सुबोध हंसदा:** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **श्रम रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल में डाक्टरी इलाज की पूरी सुविधाएं दी जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें समय पर औषधियां नहीं दी जाती; और

(घ) क्या उन्होंने हाल ही में सम्बद्ध प्राधिकार के कुप्रशासन और कुप्रबन्ध के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए प्रदर्शन किया था ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दवाइयां सामान्यत: समय पर उपलब्ध होती हैं ।

(घ) 3-9-1966 को कुछ बीमाकृत व्यक्ति अपनी शिकायतों को रखने के लिये जिनमें नीति सम्बन्धी प्रश्न थे प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यालय में इकट्ठे हुए । वर्तमान उपबन्धों तथा शीघ्र किये जाने वाले प्रस्तावित सुधारों के बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा बीमाकृत व्यक्तियों को बता दिया गया था ।

Books of the Scientific Technical Terminology Commission

2132. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Scientific and Technical Terminology Commission has got many scientific and technical books written on various subjects ;

(b) whether it is also a fact that publication of these books has been stopped; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Primary Teachers Training Institute, Delhi

2133. Shri Naval Prabhakar: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a large number of candidates seeking admission to the Primary Teachers Training Institute, Delhi;

(b) whether it is also a fact that the number of seats for them is very small;

(c) if so, whether Government propose to increase the number of these seats;

(d) whether there are any seats reserved for the Scheduled Castes trainees; and

(e) if so, the number thereof?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir; this year 389 seats were provided.

(c) No, Sir.

(d) Yes, Sir, subject to the availability of suitable candidates.

(e) 12½ per cent.

Conversion of Punjab University into a Central University

†**2134. Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether any suggestions or memoranda have been received by him to the effect that the Punjab University be converted into a Central University;

(b) if so, the decision taken by Government thereon; and

(c) the reasons for which no decision has been taken in this regard so far even though Chandigarh has been declared a centrally administered area?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) Yes, Sir. A memorandum dated August 10, 1966 was received from the Punjab University Teachers' Association, Chandigarh to the effect that the Punjab University be taken over by the Centre.

(b) and (c). The functioning of the Punjab University is regulated by the provisions of Section 72, of the Punjab Reorganisation Act, 1966. Since the Punjab University has become an inter-State University, under Section 2 of the Punjab University Act, the "Central Government" has been substituted for the "Government of Punjab" for purposes of the provisions of the Act. Any other change in the character of the University has not been considered necessary.

राज भाषा अधिनियम

2135. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री अ० क० राघवन :
श्री सेज़ियान :
श्री मुथिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 17 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2454 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इया राज भाषा अधिनियम, 1953 में संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्तावित विधान को चालू सत्र में पुर:स्थापित किया जायेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सदन के सामने बहुत अधिक विधायी कार्य बाकी होने तथा दूसरे आवश्यक कार्य के दबाव के कारण चालू सत्र में राज भाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन करने के लिए कोई विधेयक प्रस्तुत करने का विचार नहीं है ।

शरतचन्द्र चटर्जी के पूर्वजों का मकान

2136. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य सम्राट शरतचन्द्र चटर्जी के पूर्वजों का हुगली तथा कलकत्ता स्थित मकानों के पूर्णत: नष्ट हो जाने का खतरा है अथवा उसको निजी लोगों को बेचा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में अर्जित करने का है जिससे उनको राष्ट्रीय संग्रहालय बना कर वहां पर असंख्य पाण्डुलिपियों तथा अन्य स्मरणीय अवशेषों को रखा जाये ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय ध्वज की नीलामी

2137. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जिला कृषि कार्यालय, बीदर, मैसूर राज्य द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज के घोर अनादर और अपमानपूर्ण कृत्य की ओर दिलाया गया है, जिसने अन्य प्रचार सामग्री और विविध प्रकार की वस्तुओं के साथ राष्ट्रीय ध्वज की नीलामी की अधिसूचना जारी की थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में और सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) यह सत्य है कि मैसूर राज्य में बीदर जिले के कृषि अधिकारी ने जिन वस्तुओं को नीलामी की अधिसूचना जारी की थी उस सूचि में गलती से एक ऐसा राष्ट्रीय ध्वज भी शामिल कर लिया गया था जो काम में आने योग्य नहीं रहा था। जैसे ही मामला राज्य सरकार के ध्यान में आया, राष्ट्रीय ध्वज को नीलामी की जाने वाली वस्तुओं में से निकालने के निदेश जारी किए गये। ऐसे राष्ट्रीय ध्वजों के निबटान की सही प्रणाली की ओर भी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों का ध्यान आकर्षित किया गया जो काम के न रहें। विधिवत् जांच के पश्चात् मामले से सम्बन्धित अधिकारियों को चेतावनी दी गई और भविष्य में और अधिक सावधान रहने के लिए कहा गया।

Shifting of Central Hindi Directorate

2138. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Vishram Prasad:
Shri Daljit Singh:
Shri C. M. Kedaria:
Shri Ramapathi Rao:

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3900 on the 31st August, 1966 and state:

(a) whether the decision regarding the shifting of the Central Hindi Directorate has been implemented;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the expenditure on the shifting of this Directorate?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Not yet.

(b) and (c). Do not arise.

Central Hindi Directorate

2139. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Vishram Prasad:
Shri Daljit Singh:
Shri C. M. Kedaria:
Shri Ramapathi Rao:

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3899 on the 31st August, 1966 and state:

(a) the percentage of temporary posts of Central Hindi Directorate and Commission on Scientific and Technical Terminology proposed to be confirmed;

(b) whether final instructions have been issued in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Pending the finalisation of the Reports of the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance, which recently conducted a Work Study of the Commission for Scientific and Technical Terminology and the Central Hindi Directorate, 60 temporary posts in the Commission and 63 posts in the Directorate have been converted into permanent ones and necessary orders in this behalf were issued on the 15th October, 1966. The question of further conversion of temporary posts into permanent ones will be reviewed after the Reports of the Staff Inspection Unit have been examined and implemented.

(b) and (c). The questions do not arise.

पैट्रोलियम उत्पादन

2140. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक तथा सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैट्रोलियम उत्पादों के भण्डार तथा सम्भरण की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या देश के किसी भाग से मिट्टी के तेल की कमी के समाचार प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) देश में असैनिक तथा सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पैट्रोलियम उत्पादों के भण्डार तथा सम्भरण की स्थिति सन्तोषजनक है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय निशान

2141. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अगस्त, 1966 के "टाइम्स आफ इण्डिया" के पृष्ठ 6 पर प्रकाशित होने वाले पाठकों के विचार सम्बन्धी स्तम्भ की ओर दिलाया गया है जिसमें सम्पादक के नाम लिखे गये एक पत्र में राष्ट्रीय निशान के बारे में किसी गलती की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की पुनः जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नारकर) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) वर्तमान राष्ट्रीय निशान सारे संसार में भली प्रकार प्रसिद्ध हो चुका है ; अतः इसमें कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

वैज्ञानिक प्रतिभा वाले लोगों के लिए राष्ट्रव्यापी खोज

2142. श्री श्रीनारायण दास : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक प्रतिभा वाले लोगों की खोज की राष्ट्रीय योजना की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने विद्यार्थियों को चुना गया है और जब से योजना आरम्भ की गई है तब से अब तक कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) 1963 में दिल्ली के लिए एक प्रायोगिक प्रायोजना के रूप में प्रारम्भ की गयी विज्ञान प्रतिभा खोज योजना को सारे भारत में लागू कर दिया गया है । योजना के अन्तर्गत विज्ञान के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चुना जाता है और डाक्टरेट डिग्री स्तर के अन्त तक अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं ।

(ख) :

वर्ष	विज्ञान में डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों के हेतु चुने गए विद्यार्थियों की संख्या	इन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने छात्रवृत्तियों का वास्तविक रूप से उपयोग किया
1963	100	4
1964	354	205
1965	325	187
1966	354	206 उम्मीदवारों ने अभी तक छात्रवृत्तियों को स्वीकार किया है।

नेशनल फिटनेस कोर

2143. श्री श्रीनारायण दास : श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में नेशनल फिटनेस कोर कार्यक्रमों को अब तक कितने मिडिल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूलों में आरम्भ किया गया है ; और

(ख) नेशनल फिटनेस कोर के बारे में क्या भावी कार्यक्रम बनाया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम केरल को छोड़ कर बाकी सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है । जैसे-जैसे नये कार्यक्रम के अधीन पुनरनुस्थापित अध्यापकों की संख्या और नये अध्यापकों की भर्ती बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे इस कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है ।

(ख) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम को शनैः शनैः देश के सभी हाई/हायर सेकण्डरी और मिडिल स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। भविष्य के कार्यक्रम को अमल में लाने के ब्योरे विचाराधीन हैं।

सलाहकार समिति

2144. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा : **डा० म० मो० दास :**

क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसदीय प्रणाली को उत्तम **ढंग से चलाने** की दृष्टि से उनके विभाग को परामर्श देने के लिए संसदीय सलाहकार समिति न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : संसद-कार्य मंत्री सभा के सभी वर्गों से सम्पर्क रखता है और उपयुक्त अवसरों पर सभा में लिये जाने वाले कार्यों के महत्वपूर्ण मदों के बारे में विभिन्न दलों के नेताओं और अन्य प्रमुख सदस्यों से परामर्श करता है। पिछले सत्र से संसद के समक्ष आने वाले मामलों पर चर्चा करने के लिये सरकारी व्हिपों और प्रतिपक्षी दलों के व्हिपों के बीच समय-समय पर बैठकें हुई हैं। विभिन्न मदों के लिये समय आवंटित करने के मामले में सरकार तथा कार्य मंत्रणा समिति, जो कि सभा को प्रतिवेदन देने से पहले सरकार की सिफारिशों पर विचार करती है, के बीच पर्याप्त सम्पर्क है। विभिन्न मदों पर चर्चा करने के लिये समय आवंटन करने के बारे में स्वयं सभा द्वारा ही अन्तिम निर्णय लिया जाता है। अतः संसद्-कार्य विभाग से सम्बद्ध सलाहकार समिति रखने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिश

2145. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० दास :**
श्री सुबोध हंसदा : **डा० म० मो० दास :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में एक समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसमें मंत्रालयों और सलाहकार समिति के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है और जिसके सभापति प्रधान मंत्री होंगे ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इसक गठन में कितना समय लगेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हिन्दी सलाहकार समिति की पिछली बैठक में की गई सिफारिशों को उन पर की गई कार्यवाही के साथ दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7395/66]

(ख) अभी तक नहीं ।

(ग) और (घ) प्रस्तावित समन्वय समिति का शीघ्र ही निर्माण किया जाएगा ।

मिट्टी परीक्षण सम्बन्धी चलती फिरती प्रयोगशालायें

2146. डा० मू० ना० खां :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने समूचे देश में मिट्टी परीक्षण सम्बन्धी चलती फिरती अनेक प्रयोगशालायें स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या यह योजना कार्यान्वित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी प्रयोगशालायें स्थापित की जा चुकी हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ग) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विश्व डाक संघ

2147. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व डाक संघ की प्रथम बैठक अक्तूबर, 1969 में टोकियो में होने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इस बैठक में भाग लेने का विचार कर रहा है ; और

(ग) जिन विषयों पर वहां चर्चा होगी वे क्या हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) विश्व डाक संघ की सोलहवीं कांग्रेस अक्तूबर, 1969 में टोकियो में होगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं के प्रचालन के प्रस्ताव तथा तत्सबंधी अन्य मामले, जो सदस्य देश उठाना चाहें ।

कन्नूर में शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

2148. श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री प० कुन्हन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन शिक्षकों ने केरल कन्नूर के कराची स्थान पर 13 दिसम्बर, 1965 को जन आन्दोलन में भाग नहीं लिया उनके विरुद्ध सहायक शिक्षा अधिकारी ने अनुशासनात्मक कार्यवाही की हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने शिक्षकों का इस से सम्बन्ध है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यवाही का अनुमोदन किया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). सहायक शिक्षा अधिकारी ने एक अध्यापक के विरुद्ध 1965 में हुई रेली में बिना आज्ञा के गैर हाजिर रहने और उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की भाषा के कारण कार्रवाई की थी। अध्यापक की निन्दा की गई थी। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

त्रावनकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स, केरल के मजदूर संघों की मांगें

2149. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचीबावा :
श्री उमानाथ :
श्री प० कुन्हन :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, केरल के मजदूर संघों से मांगों का कोई ज्ञापन-पत्र मिला है ;

(ख) यदि हां, तो मांगें कब प्रस्तुत की गई थीं तथा उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) 14 सितम्बर, 1966 को नियोजक को निम्न मांगें दी गई थीं :—

(1) कि मजदूरों के मूल वेतन में तदर्थ वृद्धि मंजूर की जाये ;

(2) कि 1964 के लम्बित बोनस के मामले को तुरन्त निपटाया जाये ;

(3) कि कार्मिक संघों के परामर्श से 1965 के लिये बोनस तय किया जाये ;

(4) कि बोनस के भुगतान के लिये एक ऐसा सूत्र निकाला जाये जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो;

(5) पदोन्नतियों के सम्बन्ध में प्रबन्धकों द्वारा स्थायी आदेशों में जारी किये गये संशोधनों को वापस लिया जाये ;

(6) कि उन आदेशों को रद्द कर दिया जाये जिनका सेवा की शर्तों पर असर पड़ता हो ; और

(7) कि वर्तमान नियमों में भविष्य में कोई भी परिवर्तन कार्मिक संघों की सम्मति के बिना न किया जाये।

(ग) विवाद पर समझौता वार्ता की गई, परन्तु काफी चर्चा के बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका है। बाद में 8 अक्तूबर, 1966 को पक्षों में विवाद सम्बन्धी बातचीत हुई परन्तु सहमति से कोई निर्णय नहीं किया जा सका। वे बातचीत जारी रखना चाहते हैं और अग्रेतर गतिविधियों की प्रतीक्षा है।

आसाम के पहाड़ी जिलों के लिये विश्वविद्यालय

2150. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 426 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के पहाड़ी जिलों के लिये एक पृथक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) असम के पहाड़ी जिलों को शामिल करते हुए भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विषयक भारतीय स्कूल

2151. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विषयक भारतीय स्कूल द्वारा अपनी स्थापना के समय से अब तक क्या क्या मुख्य अनुसन्धान अध्ययन कार्य पूरे किये गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7395/66]**

सूक्ष्म तरंग दूरसंचार व्यवस्था

2152. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री म० ला० दिवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री बसुमतारी :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम को शेष देश के साथ प्रथम सूक्ष्म दूरसंचार व्यवस्था से मिलाने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) आसाम में सूक्ष्म तरंग दूरसंचार परियोजना के अन्य चरणों का क्या ब्यौरा है; और

(घ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिये कितना धन निर्धारित किया गया है और यह समस्त परियोजना संभवत: कब तक पूरी हो जायेगी ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता से गौहाटी तथा शिलोंग के लिए सूक्ष्म तरंग लिंक औपचारिक रूप से 18 अक्तूबर, 1966 को चालू की गई थी । प्रायोजना की अनुमानित लागत, जिसमें शिलोंग तथा डिब्रूगढ़ के बीच की लिंक शामिल है, 192 लाख रु० है ।

(ग) इस सूक्ष्मतरंग प्रायोजना में आसाम में जो अन्य स्थान जोड़े जायेंगे वे हैं—तेजपुर, जोरहाट, तिसुखिया तथा डिब्रूगढ़ ।

(घ) 1966–67 के लिए 30 लाख रु० की पूंजी की आवश्यकता होगी । प्रायोजना के मार्च, 1967 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

सीमेंट उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

2153. श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट उद्योग सम्बन्धी दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिश की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार को इस मजूरी बोर्ड का अन्तिम प्रतिवेदन कब तक मिल जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) द्वितीय बोर्ड ने अभी तक अपना अन्तिम प्रतिवेदन नहीं दिया है । सूचना मिली है कि मजूरी बोर्ड की अन्तरिम सिफारिशों को पूरी तरह क्रियान्वित कर लिया गया है ।

(ख) अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि मजूरी बोर्ड अपना प्रतिवेदन कब देगा । तथापि, बोर्ड काम को यथा शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न कर रहा है ।

Shaulmari Ashram

2154. Shri Sivamurthi Swamy:
Shri Yashpal Singh:
Shri Vishram Prasad:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Indrajit Singh:
Shri Yudhvir Singh:
Shri Bade:
Shri Rajdeo Singh:
Shri Nath Pai:
Shri Hem Barua:
Shri Utiya:
Shri Gauri Shankar Kakkar:
Shri Priya Gupta:
Shri Sarjoo Pandey:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Sadhu of Shaulmari Ashram is missing these days;

(b) whether it is also a fact that Shaulmari Ashram is functioning as a big anti-India syping Centre:

(c) whether it is also a fact that the Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs had received complaints against that Ashram two years ago; and

(d) if so, the reaction of Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir. It is reported that the Sadhu of Shaulmari Ashram is at present staying at Gangtoli, P.S. Ukhimath, District Chamoli, Uttar Pradesh.

(b) No spying activities on part of any inmate of the Shaulmari Ashram have come to notice.

(c) and (d). A report of the India Press Agency dated 18th May, 1965 was received by the Deputy Minister for Home Affairs. It was *inter alia* mentioned in this report, that there were possibilities of a net work of undesirable elements in the Ashram and that suspicious elements were frequenting the Ashram. The 'Hitavada', Nagpur published this report in its issue of 20th May, 1965, as a result of which a complaint under Section 500 I.P.C. has been filed by certain members of the Shaulmari Ashram against the printer and editor of the paper, in the Court of Presidency Magistrate, 15th Court, Calcutta. The matter is *sub judice.*

डाक तथा तार कर्मचारी संघ

2155. डा० मेलकोटे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग उन डाक तथा तार कर्मचारी संघों को मान्यता नहीं देगा जो वर्तमान राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी फेडरेशन तथा उससे सम्बद्ध संघों की नीति को नहीं मानते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उस नीति के अनुरूप है जो सरकार प्रतिरक्षा, रेलवे में सरकारी कर्मचारी संघों को मान्यता देने के मामले में अपनाती है;

(ग) क्या इस प्रकार मान्यता न देना उनको, राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी फेडरेशन के माध्यम के अतिरिक्त और किसी प्रकार अपनी शिकायतें सामूहिक रूप से सरकार के सामने रखने से वंचित करना है; और

(घ) क्या इस प्रकार मान्यता न देना संविधान के उपबन्धों के अनुरूप है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं; मान्यता के लिए आवेदन करने वाले डाक-तार कर्मचारी संघों के मामले में राष्ट्रीय डाक-तार कर्मचारी फेडरेशन की नीतियों से उनके सहमत होने या न होने का, मान्यता के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ख) कोई अस्थिरता नहीं है । जहां तक गैर-औद्योगिक असैनिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मान्यता के पुराने नियमों को एक अदालती निर्णय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है और गृह मंत्रालय द्वारा मान्यता देने के नये नियम अभी बनाये जाने हैं । जहां तक औद्योगिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है विभाग पर मान्यता के मौजूदा नियम लागू होते हैं, जो कि श्रम मंत्रालय द्वारा बनाये गये थे ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

केरल राज्य के वेडीमारा में पुलिस की कथित ज्यादतियां

2156. श्री मुहम्मद कोया : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल प्रशासन को केरल के एर्नाकुलम जिले में पारावूर के निकट वेडीमारा में पुलिस की ज्यादतियों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या इन ज्यादतियों के बारे में कोई सार्वजनिक जांच कराई गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). शिकायतों की जांच विभागीय स्तर पर कराई गई थी और आरोप निराधार पाये गये ।

वाल्काट के विमान की नीलामी

2157. श्री सुबोध हंसदा : **डा० म० मो० दास :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के प्राधिकारियों द्वारा डेनियल वाल्काट के, जो विभिन्न आरोपों में जेल काट रहा है, विमान की नीलामी कर दी गई है;

(ख) दिल्ली के प्राधिकारियों को उस से कितनी धनराशि लेनी थी;

(ग) क्या केन्द्रीय प्राधिकार का भी कोई दावा था; और

(घ) नीलामी से विमान की कितनी कीमत प्राप्त हुई है और क्या उस से केन्द्रीय प्राधिकार और दिल्ली प्राधिकार दोनों की पूरी देय राशि वसूल हो जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) शून्य ।

(ग) विभिन्न केन्द्रीय प्राधिकारों के 1,37,174.00 रुपये के दावे हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लंका से वापस आये व्यक्ति

2158. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंका से अब तक कितने परिवार वापस आये हैं;

(ख) अब तक विभिन्न स्थानों में कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है; और

(ग) अभी कितने परिवारों का पुनर्वास किया जाना बाकी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) भारत–लंका करार, 1964 के अन्तर्गत लंका से भारतीयों का आना अभी आरम्भ नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

PAK. NATIONALS ARRESTED AT HARDWAR

2159. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3737 on the 31st August, 1966 and state:

(a) whether it is a fact that the Pakistani nationals arrested at Hardwar indulged in any anti-national activity;

(b) whether an enquiry in this regard has been completed; and

(c) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). The Pakistani national referred to in the reply given to Unstarred Question No. 3737 on 31st August, 1966, was convicted and sentenced to three months rigorous imprisonment under the Indian Passport Act and is due for release on 30th November, 1966. Enquiries and investigations made did not reveal any anti-national activity on his part.

Publishing of Rules and Orders in the Gazette of India

2160. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that arrangements exist for publishing Rules and Orders in the Gazette of India both in English and Hindi, and if so, the details of the arrangements and since when they have been introduced; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). Arrangements have been made for publication in the Gazette of India of rules and orders of non-statutory character in Hindi also from 26th January, 1965. The publication of Hindi versions of statutory rules and orders will start after Central Acts have been translated into Hindi by the Official Language (Legislative) Commission.

Use of Hindi in the Education Ministry

2161. Shri Vishram Prasad:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Nardeo Snatak:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of employees in his Ministry, who after they were given training in the Hindi Training Classes conducted by the Ministry of Home Affairs, were asked to do their official work in Hindi;

(b) whether any action is being taken to give refresher courses to such employees; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran): (a) Any such specific instructions were not given to any staff.

(b) No, Sir.

(c) It has not so far been found necessary to provide for refresher courses.

Employment Exchanges in U.P.

2162. Shri Vishram Prasad:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:
Shri Nardeo Snatak:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of persons belonging to Scheduled Castes who got their names registered in the various Employment Exchanges in U.P. upto June, 1966; and

(b) the number of persons among them who were provided with employment during the above period?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shahnawaz Khan): (a) and (b). Information for the period January to June, 1966 is given below:

No. registered—49,922

No. placed in employment—6,764.

Scientific and Technical Publications in Hindi

2163. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2192 on the 16th March, 1966 and state:

(a) the reasons for the low percentage of Indian Scientific and Technical Publications in Hindi;

(b) whether Government propose to bring out Hindi editions of all such publications, books and papers published in English in future; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) to (c). The publication of Indian Scientific and Technical Publications in Hindi is a gradual process and has to be co-related with the demand for such literature in various languages and the resources available.

मंत्रियों के दौरों के व्यय में कमी

2164. श्री विभूति मिश्र :

श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों ने अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर 1966 में क्रमश: कितने दौरे किये तथा प्रत्येक दौरे पर कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार के दौरे को कम करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वान) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) और (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि मन्त्रिगण तभी दौरा करते हैं जब ऐसा करना उनके लिये अपने कर्तव्य के समुचित पालन की दृष्टि से आवश्यक होता है ।

Records of Delhi Police

2165. Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Vishram Prasad:
Shri Nardeo Snatak:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the records of the Delhi Police are kept in Urdu and the copy of any such record, if demanded by public, is given in Urdu, causing much hardship to a large section of the Delhi public

(b) whether any scheme for maintaining records of Delhi Police Department in Hindi is under consideration; and

(c) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Most of the records of the Delhi Police are kept in Urdu. All Police Stations and Police Posts can supply copies of the reports in Hindi, if a demand is made.

(b) and (c). Forms and Registers required for maintaining records of the Delhi Police are now being printed in Hindi.

Translation Work in Central Government

2166. Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Vishram Prasad
Shri Nardeo Snatak:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Hindi translation of Annual Reports of the various Ministries is done by respective Hindi-knowing employees of those Ministries or it is got done from out-side on payment;

(b) if this work is got done from outside, the reasons therefor and the amount spent on this work in 1965-66;

(c) whether there is any scheme under consideration of Government for getting this translation work done by the departmental employees in future; and

(d) if so, the details of the scheme and by which time it is likely to be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) In all Ministries, except the Department of Rehabilitation, the annual reports are translated by their Hindi-knowing staff.

(b) The Department of Rehabilitation got their annual reports translated in Hindi through officers of other Department. They have so far paid Rs. 575 for translation into Hindi of their annual report for 1965-66.

(c) and (d). This shall be considered by the Department of Rehabilitation.

Brahmakumari Ishwariya Vidyalaya

2167. Shri Nardeo Snatak:
Shri Vishram Prasad:
Shri Mohan Swarup.
Shri Kashi Ram Gupta:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the discontent in public against the Brahmakumari Ishwariya Vidyalaya of Delhi and its branches in different parts of the country;

(b) whether it is a fact that due to certain special reasons, Police and other big Officers are giving undue protection to this Institution; and

(c) whether it is also a fact that it is the former 'Omkar Mandali' of Karachi with the present new name?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No instance of public discontent against the Brahmakumari Ishwariya Vidyalaya has come to the notice except in case of their Hapur Branch where in 1961 there was some agitation against this cult.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir. The Vidyalaya has been founded by the same person who founded the 'Om Mandli' *not* 'Omkar Mandali' of Karachi.

पाकिस्तानियों द्वारा जासूसी

2168. श्री नरदेव स्नातक :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री छ० म० केदरिया :
श्री काशी राम गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 589 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पाकिस्तान ने एक सुनियोजित योजना बना रखी है जिसके अन्तर्गत वह गत भारत–पाकिस्तान संघर्ष में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की सेवाओं का भारत में जासूसी के लिये उपयोग करना चाहता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Retirement of High Officials

2169. Shri Nardeo Snatak:
Shri Vishram Prasad:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the news published in the newspaper that the Education Secretary (Science), Secretary of Social Security

Department and some other I.C.S. Officers would either be sent back to their respective States or asked to retire; and

(b) if so, the action since taken by Government?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). Secretary (Science) has since taken over as Secretary, Department of Health. He will proceed on leave preparatory to retirement shortly. Secretary, Social Welfare was asked to revert to his State Cadre. Action in his case has been stayed under the orders of Calcutta High Court pending disposal by the Court of the writ filed by him. The performance of other officers, of the I.C.S. as well as the other Services, is under review and appropriate action shall be taken wherever necessary.

Residential Telephones and Overtime Allowances

2170. Shri Nardeo Snatak:
Shri Vishram Prasad:
Shri C. M. Kedaria:
Shri Mohan Swarup:
Shri Kashi Ram Gupta:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the total expenditure incurred in 1965-66 on telephones at the residences of officers of his Ministry and the total amount paid as overtime allowance to the employees of his Ministry during this year; and

(b) the budgetary provisions for these two items separately for 1966-67 and the amount spent thereon so far, separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandaran): (a) Total expenditure incurred in 1965-66 on:

(i) Residential Telephones	.. Rs. 64,025.11
(ii) Overtime Allowances	.. Rs. 1,75,788.85

(b) The Budget provision for Overtime Allowances for 1966-67 is Rs. 1,00,000. There is no separate budget provision for residential telephones. The expenditure is met from the overall provision under 'contingencies' for which there is a provision of Rs. 3,25,000.00

Amount spent upto 31st October, 1966 on:—

(i) Residential Telephones	.. Rs. 64,712.99
(ii) Overtime Allowances	.. Rs. 44,587.45

Closure of Check-posts on Borders Contiguous to Mizo

2171. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have closed six check-posts on the border continguous to Mizo area;

(b) if so, its effect on the illegal intrusions; and

(c) the number of incidents that have taken place thereafter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

Co-axial Cables Tube

2172. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Communication Research Centre of the Posts and Telegraphs Department has prepared a tube of co-axial cables that can channelise 1380 lines simultaneously;

(b) if so, whether it has been tested; and

(c) the expenditure involved thereon?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Paganath Rao): (a) TRC has not designed any co-axial cables.

(b) TRC has designed co-axial carrier equipment which works on such cables. The equipment provides 1380 speech channels. This has been built and tested in the laboratory prototype form. Prototype building and pilot production of the equipment is currently in progress in the Indian Telephone Industries at Bangalore. The equipment would be put through necessary tests before commissioning as has been done in the case of other co-axial systems designed earlier by the TRC.

(c) The development project was one of several on hand in the TRC. No separate cost figures of development cost for the individual project are available.

Special Commemorative Stamps

2173. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Posts and Telegraphs Department propose to issue more special stamps during 1966;

(b) if so, the number of such special stamps to be issued; and

(c) the names of the dignatories in whose memory these stamps are to be issued?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) to (c) Initially it was announced on 8th January, 1966 that 12 special postage stamps would be issued in 1966. Due to inclusion of the special postage stamps in memory of late Lal Bahadur Shastri, Dr. B. R. Ambedkar and Dr. H. J. Bhabha the programme was changed and issue of 15 special postage stamps for 1966 as per enclosed list. (*Placed in Library, See No. LT-7396/66*) was announced in the press in September, 1966. 13 stamps have already been issued and the following two are still to be issued:—

(1) On Allahabad High Court on 25th November, 1966.

(2) On Family Planning on 12th December, 1966.

हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइप-लाइन

2174. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने ने हल्दिया–बरौनी–कानपुर पाइप-लाइन पर परीक्षण के लिये काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पाइप-लाइन प्रयोग के लिये ठीक पायी गई है; और

(ग) यह कुल कितनी लागत से बनकर तैयार हुई थी ?

पेट्रोलियम और रहायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां। 26-9-66 से बरौनी शोधनशाला के उत्पादों को पाइपलाइन के बरौनी–कानपुर खण्ड से ले जाया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) इस लाइन की लागत लगभग 30·83 करोड़ रुपये होगी।

आसाम के विद्यार्थियों का प्रतिनधिमण्डल

2175. **श्री लील धर कटकी :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधि मण्डल अपनी समस्याओं को बताने तथा उन्हें दूर कराने के लिये सितम्बर 1966 में प्रधान मंत्री को मिला था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन पर विचार कर लिया है; और

(ग) उस का क्या परिणाम रहा है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हा।

(ख) और (ग). ज्ञापन में अनेक विषय दिये गये थे। ज्ञापन से संबंधित उद्धरण संबंधित मंत्रालयों और आयोजना आयोग को भेज दिये गये हैं। उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मंत्रियों की आचार संहिता

2176. **श्री उटिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने मंत्रियों तथा राज्यों के कितने मुख्य मंत्रियों ने मंत्रियों की आचार संहिता के अन्तर्गत अपनी सम्पत्ति घोषित कर दी है ; और

(ख) अन्य मंत्रियों को अपनी सम्पत्ति बताने के हेतु प्रेरित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 1965–66 के बारे में परिसम्पत तथा दायित्वों का विवरण सभी केन्द्रीय मंत्रियों तथा संदिग्ध सचिवों से प्राप्त हो चुका है । ऐसे विवरण तीन राज्यों को छोड़ कर सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से भी प्राप्त हो चुके हैं । जिन मुख्य मंत्रियों ने अभी तक विवरण नहीं भेजे हैं उनको स्मरण कराया गया है । हरियाना तथा पंजाब के मुख्य मंत्रियों से भी परिसम्पत तथा दायित्व के विवरण भेजने के लिये कहा गया है ।

पश्चिम बंगाल में शिक्षा के लिये विकास योजना

2177. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह गताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा संबंधी अपनी विकास योजना में कटौती करने का निदेश दिया है ;

(ख) क्या प्रस्तावित कटौती की राशि 20 करोड़ रुपये है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार को अपने कटौती के लिये हुए बजट में अध्यापकों के वेतन के पुनरीक्षण के लिये कोई राशि निर्धारित न करने के लिये भी कहा गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सोन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं । पश्चिम बंगाल की विकास आयोजना का आकार अभी तक विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय आयोजना को तैयार करने के लिए सभी राज्य सरकारों को जारी किये गये मार्गदर्शक-निर्देशों में आयोजना आयोग ने यह बता दिया था कि अध्यापकों के वेतनों में होने वाली आम बढ़ोत्तरी को आयोजना में शामिल नहीं करना चाहिए ।

Illegal Entry by Pakistanis in Rajasthan

2178. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of persons arrested and those released on bail from among those Pakistani citizens who had illegally entered into Rajasthan since the Indo-Pak conflict till September, 1966;

(b) the number of persons, from among those who have been released on bail and who have gone back to Pakistan;

(c) the number of sureties who have been proceeded against; and

(d) the steps being taken to ensure that persons released on bail do not cross into Pakistan again?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Except for the districts of Ganganagar and Bikaner in respect of which information has not yet become available, the number of such persons arrested and those released on bail was 98 and 16 respectively.

(b) None.

(c) Does not arise.

(d) Apart from the watch kept on the movement of such persons, the antecedents of the bailees are also verified before bail is granted to ensure that the bailee has not only got sufficient property but also influence over the Pakistani national to prevent his escape to Pakistan.

सरकारी अधिकारियों और जनसेवियों की आय से अधिक सम्पत्ति

2179. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1965–66 और 1966–67 में भ्रष्ट अधिकारियों/जनसेवियों के विरुद्ध उनके द्वारा अपनी कालावधि में अपनी आय से अधिक सम्पत्ति अर्जन के आरोप में कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कर्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : 1965 के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति होने के कारण निम्नलिखित कार्यवाही की गई :—

	राजपत्रित कमचारी	अराजपत्रित कर्मचारी
ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध मामलों की जांच की गई	125	181
ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनपर मुकदमे चलाये गये .	1	
दण्डित व्यक्तियों की संख्या	..	2
ऐसे व्यक्तियों की सख्या जिनके मामले नियमित विभागी कार्यवाही के लिये भेजे गये	41	88
विभागीय कार्यवाही में दण्डित व्यक्तियों की संख्या	12	40

के आंकड़े तैयार संकलित किये जा रहे हैं ।

एरणाकुलम में टेलीफोन एक्सचेंज

2180. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **संचार** मंत्री 10 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 387 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने उन बीस टेलीफोन आपरेटरों के स्थान पर अन्य लोगों को नियुक्त करने के संबंध में डाक व तार विभाग के प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की है जिन्हें 31–1–66 को एरणाकुलम के पुलिस अधीक्षक तथा जिला कलक्टर ने लगभग दो घंटे के लिये एरणाकुलम टेलीफोन ऐक्सचेंज की चारदीवारी के अन्दर रहने को कहा था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही जरुरी नहीं समझी गई है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

ग्राम्य पुलिस संवर्ग

2181. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री दे० द० पुरी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में नैनीताल में गत सितम्बर में पुलिस साइंस कांग्रेस के पांचवे अधिवेशन में हुए विचार विमर्श के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक नया पुलिस संवर्ग बनाने के लिए एक नई योजना बनाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मजूरी ढांचे की जांच करने के लिए आयोग

2182. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा रखी गई इस कथित मांग की ओर दिलाया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा संविहित निकायों के सभी कर्मचारियों के लिए एक न्यायसंगत मजूरी ढांचा तैयार करने तथा सभी सरकारी कर्मचारियों के बीच जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा संविहित निकायों के कर्मचारी शामिल हैं इस संबंध में समता लाने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय मंजूरी आयोग की नियुक्ति की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Production of Ammonia

2183. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an agreement has been signed with **Messrs.** Hitachi Ltd. of Japan for production of ammonia;

(b) if so, the terms of the agreement; and

(c) when the work is likely to start?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) Yes.

(b) and (c). The agreement is for the supply of a 120 tonnes a day Ammonia plant which is proposed to be set up in the fourth stage expansion programme of FACT. As supplies are to be arranged under Yen credit, the agreement is at present under consideration of the Government of India.

बिहार में बैरल बनाने का कारखाना

2184. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह गताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने बिहार में बेरल बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिये वहां की सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) और (ख) : बिहार में बेरल बनाने के एक कारखाने की स्थापना के लिए भारतीय तेल निगम और बिहार सरकार के बीच में पत्र-व्यवहार हुआ है । राज्य सरकार ने सुझाव दिया कि दो यूनिट स्थापित किये जाएं : एक यूनिट एक प्राइवेट फर्म के सहयोग से भारतीय तेल निगम द्वारा और दूसरा यूनिट लहेरीसराय के मैसर्ज एस्सोलीयेटिड एजेन्सी द्वारा भारतीया तेल निगम बरौनी शोधनशाला की आवश्यकताओं के लिए दो यूनिटों को आवश्यक नहीं समझती है और दोनों पार्टियों के सहयोग से एक प्लांट के लिए बातचीत कर रही है ।

केन्द्रीय नजरबन्दी शिविर, देवली

2185. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह गताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय नजरबन्दी शिविर देवली में सुरक्षा गार्डों सहित कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) यहां पर जनवरी, 1966 से लेकर प्रत्येक मास में नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या क्या थी ; और

(ग) कर्मचारियों और नजरबन्दी में इस समय क्या अनुपात है ?

गृह-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 249 सुरक्षा कर्मचारियों सहित 293 व्यक्ति ।

(ख)	जनवरी	980
	फरवरी	905
	मार्च	706
	अप्रैल	605
	मई	342

जून	246
जुलाई	196
अगस्त	133
सितम्बर	120
अक्तूबर	115

(ग) कर्मचारियों की संख्या का नजरबन्दियों से संबंध नहीं रखा जा सकता क्यों कि सुरक्षा प्रहरियों की पूरी टुकड़ी को, जिसमें 249 व्यक्ति होते हैं, सारे शिविर की रक्षा के लिये रखना पड़ता है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिये अनुसंधान सम्बन्धी अनुदान

2186. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में अमरीका सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिये अनुसंधान संबंधी अनुदान मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी कुल राशि कितनी है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जी हां। भारत में एनसीराइटिड पर जीवियों (एनसीराइटिडाए हाइमेनोप्टेरा) के वर्गीकरण विज्ञान पर एक अनुसंधान प्रायोजना के कार्य को हाथ में लेने के लिए पी० एल० 480 के अधीन विश्वविद्यालय को हाल ही में 1,50,344 रुपये का अनुदान स्वीकार किया गया है।

छात्र आन्दोलन

2187. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री इम्बीचीबावा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री म० ना० स्वामी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प० कुन्हन :

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्र आन्दोलन का सामना करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये विभिन्न राज्यों के इन्सपैक्टर जनरलों का हाल में ही एक सम्मेलन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या क्या निर्णय किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Buddhist Era Caves

2188. **Shri Tula Ram:**
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that seven caves of the Buddhist era have been discovered by archaeologists near Jhajpur village in District Broach (Gujarat State); and

(b) if so, the details thereof and measures taken to preserve them?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) The seven caves situated at Kadia Dungar near Zazpur, Taluka Zagadia, District Broach (Gujarat) came to the notice of the Archæological Survey of India during an exploration in the Rajpipla area in April, 1951. Two of them have a simple pillared hall each in the front, and a cella at the back. The remaining ones consist of a hall each probably used as an assembly hall. The pillared caves have also some carvings in the form of the railings. There are two inscriptions which, however, are not very clear. One inscription in one of the caves belongs to the period from 2nd to early 4th Century A.D., while the other inscription belongs to 10th to 11th Century A.D.

As the caves are not considered to be of national importance, they have not been taken under central protection. The erstwhile Government of Bombay were however requested by the Archæological Survey of India in 1952 to look after them. It is presumed that the Gujarat State Government is doing the needful.

बेबी सोल कोयला खान में तालाबन्दी

2189. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में बेबीसोल कोयला खान में काफी समय से चल रही तालाबन्दी समाप्त कर दी गई है;

(ख) क्या कार्य पुन: आरम्भ होने पर खान के प्रबन्धकों ने पुराने श्रमिकों को पहले रखे जाने के हक की उपेक्षा करके अनेक नये श्रमिकों को बाहर से काम पर रखा ;

(ग) क्या प्रबन्धकों के इस अनुचित कृत्य के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के कारण लगभग 150 पुराने श्रमिकों को और उनके संघ के मंत्री को गिरफ्तार किया गया गौर पीटा गया; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ नये मजदूर भर्ती किये गये हैं परन्तु इस प्रश्न की जांच की जा रही है कि क्या किन्हीं पुराने मजदूरों की उपेक्षा की गई है ।

(ग) कार्मिक संघ के संगठन मंत्री और कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं ।

(घ) केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क व्यवस्था उन मामलों की जांच कर रही है जिनके लिए यह सक्षम है ।

खानों में सुरक्षा व्यवस्था

2190. श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जुलाई , 1966 में हुए "खानों में सुरक्षा व्यवस्था" सम्बन्धी दूसरे सम्मेलन की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक पग उठाये जा रहे हैं।

Technical Teachers' Training

2191. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Regional Offices of his Ministry had sent in their applications had been called for interview, without any condition, to the centres at Kanpur, Calcutta and Bombay;

(b) whether it is also a fact that the Engineering Graduates who had sent in their applications had been called for interview, without any condition, to the centres at Kanpur, Calcutta and Bombay;

(c) whether it is also a fact that even after those applications had been interviewed and included in the merit list, their names were removed from it later on, on the ground that their applications had been received late; and

(b) if so, the reasons for the removal of their names from the merit list after their applications had been accepted and they were called for interview without any pre-condition?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) and (d). No, Sir. But for some subjects late applications could not be considered as the number of applications received in time was larger than the number of fellowships allotted.

Central Hindi Directorate

2192. Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Vishram Prasad:
Shri Daljit Singh:
Shri C. M. Kedaria:
Shri Ramapathi Rao:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the scheme proposed to be undertaken by the Central Hindi directorate during 1967-68; and

(b) the bulk and the nature of staff acquired for implementing these schemes and the total expenditure likely to be incurred on them?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) The following new schemes are proposed to be undertaken by the Central Hindi Directorate during 1967-68:—

(i) Correspondence Courses for the teaching of Hindi to the non-Hindi speaking people in the country and foreigners.

(ii) Free supply of Hindi Text books to students of non-Hindi speaking States.

(iii) Free distribution of Hindi literature in foreign countries.

(iv) Preparation of select writings in Indian languages in diglot form.

(b) Staff required for implementing the schemes and the expenditure likely to be incurred on them is being worked out.

Schemes of Central Hindi Directorate and Commission on Scientifi and Technical Terminology

2194. Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Vishram Prasad:
Shri Daljit Singh:
Shri C. M. Kedaria:
Shri Ramapathi Rao:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) an outline of the major schemes proposed to be undertaken by the Central Hindi Directorate and the Commission on Scientific and Technical Terminology during the Fourth Five Year Plan and the proposed expenditure to be incurred on those schemes?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) A statement showing an outline of the schemes to be undertaken by the Comission for Scientific and Technical Terminology and the Central Hindi Directorate during the Fourth Five Year Plan and the expenditure proposed to be incurred thereon is attached. [Placed in Library, *See* No. LT-7397/66].

Seniority List of Assistant Education Officers

2194. Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Vishram Prasad:
Shri Daljit Singh:
Shri C. M. Kedaria:
Shri Ramapathi Rao:

Will the Minister of **Education be pleased to state:**

(a) whether the seniority list in respetc of Assistant Education Officers working in the Central Hindi Directorate and Commission of Scientific and technical Terminology has been finalised;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) the basis of promotion adopted so far in the absence of a final seniority list;

(d) whether it is also a fact that there have been certain anomalies in the absence of seniority list; and

(e) if so, the steps proposed to be taken to remedy the anomalies and the time by which teh seniority list is expected to be finalised?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Not yet.

(b) The seniority list has been referred to the Union Public Service Commission for final approval, whose reply is still awaited.

(c) No regular promotions have been made so far.

(d) No, Sir.

(e) Question does not arise.

पंजाब में तारघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज

2195. श्री हेम राज : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पंजाब सर्किल में ज़िला-वार कितने तारघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में पंजाब सर्किल में (जिला-वार) ऐसे कितने कार्यालय खोलने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दे दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7386/6]**

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र का लगाया जाना

2196. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी कार्यालयों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का चित्र लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लाभांश का दिया जाना

2197. श्री दिगे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को सूचित कर दिया है कि लाभांश के मामले में वे कर्मचारियों और मालिकों के बीच एक मान्य समझौता चाहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). यह सुझाव कुछ राज्य सरकारों से प्राप्त हुआ है था। जब 26 अक्तूबर, 1966 को स्थायी श्रम समिति द्वारा इस मामले पर चर्चा की गई थी तो एक समझौते के पक्ष में बहुमत प्रतीत होता था । चर्चा के दौरान दिये गये विभिन्न प्रस्तावों/सुझावों पर विचार करने के लिये स्थायी श्रम समिति ने मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों की एक द्विपक्षीय समिति स्थापित की है।

प्राथमिक स्कूलों को सहायता

2198. श्री दिगे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री प्राथमिक स्कूलों को सहायता के बारे में 3 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1154 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान प्राथमिक स्कूलों के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के स्वरूप के मामले पर इस बीच विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर कब विचार किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) से (ग). मामला अभी विचाराधीन है।

पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ

2199. श्री तुलाराम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 अक्तुबर, 1966 को पाकिस्तान के बहुत से शरारती लोग बन्दूकों, तलवारों तथा बर्छों से लैस होकर कूच बिहार जिले के मलकागंज पुलिस स्टेशन के अधीन कामत चंगरे-बान्दा और पनीसला सीमावर्ती गांव में अवैध रूप से घुस आये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) जिन ग्रामों का उल्लेख किया गया है उनमें 13 अक्तूबर, 1966 को ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई ? किन्तु 11/12 अक्तूबर, 1966 की रात को दो डकैतियां पड़ी थीं ।

(i) 12 अक्तुबर, 1966 को रात के 12 बजकर 10 मिनट के लगभग 15 पाकिस्तानी नागरिक भारतीय क्षेत्र में अवैध रूप से घुस आये और कामत चंगरे–बान्दा गांव के एक भारतीय नागरिक के घर में डकैती डाली । घर में रहने वालों को मारपीट कर वे 1,362 रुपये का मूल्य का कपड़ा व जेवर लेकर पूर्वी पाकिस्तान में भाग गए ।

(ii) लगभग 15 आदमियों ने मकालीगंज के गांव पनीसला में 12 अक्तुबर, 1966 को रात के 3 बजे डकैती डाली उन्होंने एक फायर किया, किन्तु कोई घायल नहीं हुआ । गांव वालों ने एक गश्तीदल की सहायता से उन डाकुओं के पूर्वी पाकिस्तान के जिला रंगपुर थाना पतग्राम के गांव ओफोरमोरा के रहने वाले एक डाकू अब्दुल जब्बार को पकड़ लिया ।

(ख) भारतीय दंड संहित की धारा 395/397 के अन्तर्गत मामले दर्ज कर लिये गये हैं और उनकी जांच की जा रही है। पाकिस्तान सरकार को एक विरोध-पत्र भेजा गया है। क्षेत्र में गश्त को बढ़ा दिया गया है ।

पूना में अन्तर्राष्ट्रीय गर्ल गाइड केन्द्र

2200. **श्री तुलाराम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पूना में चौथा अन्तर्राष्ट्रीय गर्ल गाइड केन्द्र स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां । केन्द्र 'संगम' का औपचारिक उद्घाटन 16 अक्तुबर, 1966 को किया गया था ।

(ख) 'संगम' का उद्देश्य दुनिया भर में गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट आन्दोलन के आधारभूत सिद्धान्तों में सामान्य सद्भावना और प्रयोजन की एकता को प्रोत्साहित करना है ।

केरल के राज्यपाल के सलाहकारों की पद-स्थिति

2201. **श्री प० कुन्हन् :**
श्री उमानाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के राज्यपाल के सलाहकार बराबर राज्य का दौरा करते हैं तथा सरकारी तथा गैर-सरकारी मीटिंगों में भाग लेते हैं ;

(ख) राज्यपाल को सलाह देने के मामले में इन दौरों का क्या प्रयोजन है ; और

(ग) सलाहकारों को उनकी इन पदों पर नियुक्ति की तारीख से लेकर 15 सितम्बर, 1966 तक यात्रा भत्ते के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार के विभिन्न विभाग, जो सामान्यत: मन्त्रियों को दिये जाते हैं दो सलाहकारों के बीच बांटे गये हैं । इस नाते ये सलाहकार स्थानीय निरीक्षण, क्षेत्रीय और जिला अधिकारियों से विचार-विमर्श तथा सम्मेलन या समिति की बैठकों इत्यादि में भाग लेने आदि के सरकारी कार्यों की आवश्यकता के अनुसार राज्य में तथा राज्य से बाहर दौरा करते हैं । जन-सभाओं की निजी बैठकों में भाग लेने के उद्देश्य से दौरे नहीं किए जाते हैं ; किन्तु सरकारी दौरों के दौरान प्रायोजनाओं का उद्घाटन, सरकारी कार्यक्रमों को समझाने के लिये की जाने वाली जन-सभाओं आदि में भाग लेने के कार्यक्रमों को भी आवश्यकता पड़ने पर शामिल कर लिया जाता है ।

(ग) 26614.30 रुपये ।

शिक्षित बेरोजगार युवक

2202. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी बहुत से युवक बेरोज़गार हैं; और

(ख) क्या ऐसे बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) उनकी कुल संख्या की जानकारी नहीं है। तथापि, 31 जुलाई, 1966 को रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में उन 35917 व्यक्तियों के नाम दर्ज थे जिन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा किया है।

(ख) जी, नहीं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

2203. डा० महादेव प्रसाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर कुल कितना धन व्यय किया गया ; और

(ख) उनमें क्या क्या गतिविधियां शामिल थीं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : (क) अन्तिम समायोजित आंकड़े अभी नहीं आये हैं, परन्तु वर्तमान अनुमान 167.37 लाख रु० है।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०/7399/66]

लड़कियों की शिक्षा

2204. डा० महादेव प्रसाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीसरी योजना की अवधि में विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा पर किये गये व्यय की राशि क्या है ;

(ख) क्या राज्यों में इस उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से कार्य कर रही शिक्षा संस्थाओं को भी अनुदान दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौदरम रामचन्द्रन) : (क) तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में केन्द्रीय सहायता चूंकि सामान्य शिक्षा के लिए समग्र रूप से दी गई थी, अलग-अलग योजनाओं के लिए नहीं, इसलिए खर्च के आंकड़े देना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) : जी हां। तीसरी आयोजना के दौरान विभिन्न राज्यों की स्वैच्छिक शिक्षा-संस्थाओं को दिए गए केन्द्रीय अनुदानों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	राशि
		रु०
1.	आन्ध्र प्रदेश	77,400
2.	केरल	78,898
3.	गुजरात	51,000
4.	मद्रास	1,68,000

		रु०
5.	मध्य प्रदेश	5,000
6.	महाराष्ट्र	20,500
7.	मैसूर	8 3,720
8.	पंजाब	35,000
9.	राजस्थान	1,49,430
10.	उत्तर प्रदेश	43,000
11.	पश्चिम बंगाल	30,000
	जोड़ . . .	7,41,948

विश्वविद्यालयों में गांधी भवन

2205. डा० महादेव प्रसाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में गांधी भवन बनाने तथा उनको चलाने में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 14 विश्वविद्यालयों को गांधी भवनों के लिए सहायता की व्यवस्था करने को राजी हो गया है। इलाहाबाद, दिल्ली, यादवपुर, कर्नाटक, केरल, नागपुर, पंजाब और राजस्थान विश्वविद्यालयों में भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। इलाहाबाद और केरल को छोड़कर इन सभी विश्वविद्यालयों में भवनों में काम शुरू हो गया है।

आन्ध्र, जम्मू और काश्मीर और मैसूर विश्वविद्यालयों में भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भवन के बारे में नक्शे और प्राक्कलन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुमोदित कर दिए हैं तथा बनारस और भागलपुर विश्वविद्यालयों के भवनों के नक्शो व प्राक्कलनों की प्रतीक्षा है।

विश्वविद्यालयों में गांधी भवन

2206. डा० महादेव प्रसाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गांधी-भवनों के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में कोई निश्चित आदर्श योजना तैयार की है; और

(ख) क्या इन भवनों को भी अपनी योजना तैयार करने की अनुमति है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) गांधी भवन स्थापित करने का उद्देश्य है कि विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर ही एक उपयुक्त स्थान की व्यवस्था, जहां गांधी साहित्य रखा जा सके, गांधी जी के जीवन आदर्शों और कार्य के विषय में अध्ययन कक्षाएं और चर्चाएं आयोजित करना, उन्हीं विषयों पर व्याख्यानों का प्रबन्ध करना और विद्यार्थियों को ऐसे रचनात्मक कार्य हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित करना जो विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर ही अथवा उसके निकट ही किया जा सके और जो गांधी जी द्वारा किये गये कार्य की पद्धतियों और आदर्शों को प्रतिबिम्बित करे। किन्तु जिस प्रयोजन के लिए भवन स्थापित किया गया है उसके अनुरूप कोई भी अन्य कार्यकलाप करने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र हैं।

विज्ञान मन्दिर

2207. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री विज्ञान मन्दिर के बारे मे 10 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न सख्या 361 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान मन्दिर स्थापित करने की योजना पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर कब अन्तिम रूप से विचार किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी नहीं । मामला अभी विचाराधीन है ।

ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को वैज्ञानिक अभियान दल

2208. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 10 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1849 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह को वैज्ञानिक अभियान के लिये भेजे गये दल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) दल का प्रतिवेदन अभी नहीं आया है ।

डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये उपदान

2209. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय

क्या **संचार** मंत्री डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये उपदान के सम्बन्ध में 10 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1943 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों को उपदान देने के मामले पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख) मामले की अभी जांच की जा रही है ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति

2210. श्री दशरथ देव : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में पाकिस्तान-त्रिपुरा सीमा पर हुई घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने परिवार विस्थापित हुए;

(ख) क्या इन सभी विस्थापित व्यक्तियों को बसा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज

2211. श्री दे० जी० नायक : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना अवधि में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थापित किये गये हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों को दी जा रही केन्द्रीय सरकार की सहायता चौथी योजना अवधि में भी जारी रखी जायेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) ऐसा प्रस्ताव है कि अहिन्दी भाषी राज्यों में स्थापित हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज अपनी स्थापना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सहायता के पात्र हों । इस प्रस्ताव के अधीन तीसरी आयोजना के दौरान खोले गये केवल वही कालेज चौथी आयोजना के दौरान केन्द्रीय सहायता के पात्र होंगे, जिन्होंने अब तक पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं की है और तब तक जब तक कि उनकी स्थापना के बाद पांच वर्ष की अवधि पूरी न हो जाये ।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

2212. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **शिक्षा** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 79 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की अधिकृत रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) 2 मार्च, 1966 की उत्तर प्रदेश की विधान सभा की कार्यवाही में से एक उद्धरण, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का वक्तव्य (हिन्दी में) है और उसका अंग्रेजी अनुवाद भी है, संलग्न है । [पुस्तकालय में रख दिया गया देखिये संख्या एल० टी०–7400/66]

(ग) सरकार ने मुख्य मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रख लिया है ।

Paintings Exhibition of Lalit Kala Academy

2213. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that the proposed three-yearly Paintings Exhibition by the Lalit Kala Academy will be held at Kala Nagar, which is so far off from Delhi that it will not be convenient for the visitors to visit that place;

(b) whether the Studios constructed by the Academy for the painters are lying unused on account of long distance and if so, whether Government have requested the Lalit Kala Academy to reconsider this decision; and

(c) if so, the result thereof?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) The first Triennale, scheduled to take place during February, 1968, will be held in New Delhi proper.

(b) No, Sir. The Studios are being made use of by artistes.

(c) Does not arise.

Scientists Associated with Scientific Research Work

2214. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement of Shri Mahalanobis, a Member of the Planning Commission, wherein he has stated that the scientific research work in India is not industry oriented; and

(b) if so, the number of scientists engaged in research work at present and the number of those whose research work would be useful in industries?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran): (a) I am not aware of any such statement made by Prof. Mahalanobis. However, with a view to ensuring effective collaboration of industry in the formulation of research programmes of the various National Laboratories/Institutes under the Council of Scientific and Industrial Research, representatives from the concerned industries and Government departments are invariably taken as members of the Executive Councils and Scientific Sub-Committees of these laboratories. In addition, the expert panels from technical personnel from industries and concerned departments including Directorate General of Technical Development have been appointed for various laboratories for advising and guiding the laboratories to formulate their research programmes. Besides, the Council of Scientific and Industrial Research has also encouraged the from of Research Associations among industries by contributing substantially to their expenditure. About 10 Research Associations are already at present functioning.

(b) The total number of scientific and technical staff working in the national laboratories/institutes of the Council of Scientific and Industrial Research is 3181 and 4301 respectively. The distribution of staff on projects of applied and fundamental nature is not available since infra-structure for research and applied projects continues to be on a common basis for the reasons of economy.

Nepal Students in India

2215. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of students from Nepal getting education in India; and

(b) the number of programmes of cultural and educational relations with Nepal which have been implemented during the last five years?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) According to the latest available information, 690 students were studying in India during 1963-64.

(b) 14 cultural programmes with Nepal were implemented during the last five years.

Visit by American Students and Teachers Etc.

2216. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of American students/teachers/journalists who visited India for research purposes, during the last five years, year-wise;

(b) the number of persons who came to India for the same purpose from U.S.S.R., France and Germany;

(c) whether Government have tried to ascertain the names of the sources from which the said persons get financial assistance;

(d) whether such students of American Universities, who have been associated with C.I.A. schemes, have been allowed to do research, political, social or scientific work in India; and

(e) if so, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as available.

(c) This is generally done.

(d) As far as Government is aware, no such students are connected with the CIA Schemes.

(e) Does not arise.

अकोककर (नौन-कोंकिग) कोयले का प्रयोग

2217. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या शिक्षा मंत्री 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 447 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था द्वारा निकाले गये तरीके के आधार पर अकोककर कोयले का कोककर कोयले के रूप में प्रयोग करने के बारे में की जाने वाली जांच कब तक पूरी कर लेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : प्रक्रिया के बुनियादी ब्योरे, प्रयोगशाला में तैयार कर लिये गये हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी और डिज़ाइन उपलब्ध करने के लिए, प्रयोगिक संयंत्र पैमाने पर परीक्षण जरूरी समझे जा रहे हैं।

लूब्रीकेन्ट्स प्लांट

2218. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **पेट्रोलियम और रासयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच ह कि सरकार ने कुछ वर्ष पहले एक अमरीकी फर्म से एक लुब्रीकेन्ट्स प्लांट के लिये, जिस का प्रबन्ध पूर्णतया सरकार के हाथ मै होगा, एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये समझौता किया था;

(ख) क्या सरकार को 1962 या इसके लगभग परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया था ;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इस के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगशन) : (क) 1961 में भारत में लूब आयल संयंत्रों की स्थापना के लिये अमरीकन नहीं बल्कि हालैण्ड की एक फर्म को तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने को कहा गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड (अब इंडियन आयल कारपोरेशन) की सलाह से रिपोर्ट की जांच की गई । बम्बई में एस्सो और सरकार की साझेदारी में एक सन्यन्त्र का निर्माण हो रहा है और यह एक दूसरा भी बनाया जायगा जो मद्रास रिफाइनरी समूह का एक भाग होगा ।

बाड़ीपाड़ा में तारघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज

2219. श्री महेश्वर नायक : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा राज्य में सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर टाउन करणजिया का अपने जिला मुख्यालय बाड़ीपाड़ा के साथ तार अथवा टेलीफोन का कोई सम्पर्क नहीं है और रायरंगपुर के साथ, जो एक अन्य महत्वपूर्ण सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर है, कोई दूर-संचार सम्पर्क नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि करणजिया तथा बाड़ीपाड़ा तथा करणजिया तथा रायरंगपुर के बीच लम्बी दूरी का टेलीफोन मिलाने के लिये, टेलीफोन कालों के सर्किट मार्ग को कम से कम तीन जिलों अर्थात् क्योंझर, कटक तथा बालासोर से हो कर गुजरना पड़ता है जो कि सैंकड़ों मील लम्बा पड़ता है, जबकि करणजिया तथा बाड़ीपाड़ा और करणजिया तथा रायरंगपुर के बीच केवल कुछ मीलों का ही सर्किट मार्ग बन सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) करणजिया जो उड़ीसा राज्य में एक सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर टाउन है, क्योंझर एक्सचेंज के मार्ग से सामान्य दूरसंचार लाइनों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं लाइनों के माध्यम से उसका सम्पर्क अपने जिला मुख्यालय टाउन बाड़ीपाड़ा तथा अन्य सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर स्टेशन रायरंगपुर से है ।

(ख) जी हां ।

(ग) करणजिया में 25 लाइनों का एक स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने की एक योजना को फरवरी, 1966 में मंजूरी दे दी गई है । करणजिया में एक्सचेंज खुल जाने के बाद यदि एक्सचेंज चालू हो जाने के परिणामस्वरूप बढ़े हुए टेलीफोन परियात के आधार पर करणजिया से बाड़ीपाड़ा या रायरंगपुर के लिए सीधे सम्बन्ध की व्यवस्था करना न्यायसंगत होगा तो उस पर विचार किया जाएगा ।

सारनाथ में चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी

2220. श्री किन्दर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 अक्तूबर, 1966 को आठ चीनी नागरिकों को बिना अनुमति के सारनाथ जाने के कारण सारनाथ (वाराणसी) से पांच मील की दूरी पर गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) विदेशी अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं।

निरक्षरता उन्मूलन

2221. **श्री किन्दरलाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामूहिक प्रचार तथा वयस्क साक्षरता सम्बन्धी गोष्ठीने, जो अक्तूबर 1961 में दिल्ली में हुई थी, सिफारिश की है कि निरक्षरता को कम से कम समय में दूर करने के लिये सामूहिक प्रचार साधनों तथा आधुनिक तरीकों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (**श्री राज बहादुर**) : (क) जी हां। सेमिनार अक्तूबर, 1966 में हुआ था।

(ख) प्रौढ़ साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टेलीविज़न और रेडियो प्रसारणों का भी प्रयोग करने वाली प्रायोगिक प्रायोजनाओं की स्थापना के हेतु, पाठ्य विवरण, पाठों तथा दूसरी सामग्री तैयार करने के प्रयोजन से एक समिति नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

छात्रों का आन्दोलन

2222. **श्री म० ना० स्वामी :**
डा० सार दीश राय :
श्री उमा नाथ :
श्री लक्ष्मी दास : :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त
डा० म० मो० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बड़े :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री प्र० के० देव :
श्री बसुमतारी :
श्री शिकरे :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1966 से अब तक छात्र आन्दोलन के दौरान पुलिस द्वारा गोली चलाई जाने, लाठी चलाये जाने तथा अश्रु गैस का प्रयोग किये जाने के परिणामस्वरूप कुल कितने विद्यार्थी हताहत हुए और कुल कितने विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये;

(ख) प्रत्येक राज्य में उपरोक्त अवधि में क्रमशः कितने विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये, मारे गये तथा जख्मी हुए ;

(ग) कुल कितने विद्यार्थियों के वारण्ट निकले हुए हैं ; और

(घ) आन्दोलन के परिणामस्वरूप कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

तुर्कमानिया में संस्कृत-पाण्डुलिपि

2223. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या **शिक्षा** मन्त्री 31 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3776 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्कमानिया में पाई गई संस्कृत पाण्डुलिपि के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) क्या इस पाण्डुलिपि को पढ़ लिया गया है ; और

(ग) क्या इस बारे में एक विवरण सभा पटल पर अलग से रखा जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) 31-8-1966 के अतारांकित प्रश्न सं० 3776 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति में एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

आन्ध्र प्रदेश में करीमनगर में उद्योग

2224. श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री रमापति राव :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में रामगुंडम में तथा करीमनगर के अन्य क्षेत्रों में शरणार्थियों तथा अन्य लोगों को बसाने के लिए स्थापित की जाने वाले प्रस्तावित नये उद्योग चालू हो गये हैं ;

(ख) कितने उद्योगों को वित्तीय तथा अन्य सहायता दी गई; और

(ग) इन उद्योगों में कब उत्पादन आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क), (ख) और (ग) रामगुंडम में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक एककों को जो वित्तीय सहायता दी गयी है पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों और बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों को जिस संख्या में इन एककों में रोजगार दिया जायेगा तथा ये एकक किस समय तक उत्पादन शुरू करेंगी या उनकी वर्तमान स्थिति क्या, इसका विवरण निम्न प्रकार है :—

औद्योगिक एकक का नाम	मंजूर की गई वित्तीय सहायता	रोजगार पर लगाये जाने वाले प्रवासियों तथा स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों की संख्या	एकक के उत्पादन करने का सम्भावित समय
1	2	3	4
	(रुपये लाखों में)		
1. रामगुंडम स्थित हैंडलूम और पावरलूम एकक . .	69.75	700	15-4-67

1	2	3	4
2. रामगुंडम का सहकारी स्पिनिंग मिल . . .	10.00	300	जून 1967
3. सा मिल सीज़निंग किल्न एण्ड मेकेनाइज्ड वुड वर्क शाप .	2.37	79	आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वित्तीय सहायता की शर्तों के बारे में कुछ प्रश्न उठाये हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।
4. कास्ट आइरन-फाउण्डरी-कम-इंजिनयरी वर्कशाप .	2.99	69	
5. मैनुफेकचर आफ स्प्रेयरस एण्ड डस्टरस . .	1.26	24	

Kidnapped Children

2225. Shri P. L. Barupal:
Shri Tula Ram:
Shri Sideshwar Prasad:
Shri Chandak:
Shri R. G. Dubey:

Will the Minister of **Home Affairs** be placed to state:

(a) whether Government are aware that two sons of Shrimati Ram Kali, Om Prakash aged 17 years and Satish Kumar aged 10 years and her two daughters Suman Lata aged 7 years and Lata Kumari aged 4 years went to the Library near their house in Delhi on the 8th June, 1965 in the morning and did not return home upto Vijaidashmi during this October and the police have also not been able to trace them; and

(b) if so, whether the Police are still search for these children?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) The case was filed as untraced on 29th December, 1965. However, the Police pursue the matter whenever they receive any clue.

Hindi Telegrams

2226. Shri Jagdev Singh Siddhanti: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of telegrams sent or received in Hindi in different P. & T. circle during the last year; and

(b) the number of Hindi telegrams handled in different P. & T. circles during the current year?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) and (b). A statement giving the break up P. & T. Circle-wise, in respect of telegrams booked in Devnagri script during the years 1964-65 and 1965-66 is placed on the Table of the Sabha. [*Placed in Library, See No. LT-7401/66*]. Number of telegrams booked in Devnagri script during the year 1966-67 would be available only after 31st March, 1967.

Hindi Classes for P. & T. Employees

2227. Shri Jagdev Singh Siddhanti: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of employees among the Operational staff of Posts and Telegraphs Department in the country (State-wise) who have not learned Hindi so far;

(b) whether a scheme has been formulated to make them attend Hindi classes; and

(c) the scheme formulated to teach Hindi to such employees who cannot be conveniently spared to attend Hindi classes?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a)

Andhra	7728	M.P.	2053	Assam	2220	Maharashtra	9280
Bihar	360	Madras	8347	Delhi	1248	Orrisa	2389
Gujarat	4028	Mysore	6586	Kerala	3497	Rajasthan	900
Grand total :	58,712.	Punjab & Haryana	4305			Bengal	5751

(b) and (c). Yes, Hindi classes in every State, in towns with sufficient staff strength are being run during office hours by the Ministry of Home Affairs, supplemented by the departmental Night Schools functioning outside office hours. The trainees are given books free of cost and conveyance charges to and from the Hindi Teaching Centres. Besides, they are entitled to get Cash awards and special pay for passing the Hindi Examinations. In addition, such operative employees as cannot be conveniently spared to attend Hindi classes during working hours are adequately compensated in the form of lump sum awards given to them for passing the examinations on their own.

Hindi Telegraphists

2228. Shri Jagdev Singh Siddhanti: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Telegraphists trained in Hindi Telegraphy during the last year in the States of Rajasthan, Bihar and Madhya Pradesh separately;

(b) the number of Telegraphists in these States who have no experience of receiving or sending the telegrams in Hindi so far or who have not been given such training; and

(c) the time by which they are likely to be imparted training in Hindi Telegraphy?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) to (c). A statement giving the information is placed on the Table of the Sabha.

Statement

Name of Circles	No. of Telegraphists trained during 1965-66.	No. of Telegraphists yet to be trained.	Approximate period within which TLS under col. (2) are likely to be trained
	(1)	(2)	(3)
Rajasthan	18	32	One year
Bihar	141	142	Two years
Madhya Pradesh	93	195	Three years

केरल में बनवासी

2229. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सम्बन्धी संसदीय परामर्शदात्री समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि केरल राज्य में बनवासी सम्बन्धी उप-समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को, राज्य सरकार को स्वीकार करना चाहिये तथा क्रियान्वित करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये केरल सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : केरल विधान सम्बन्धी परामर्श-दात्री समिति की आठवीं बैठक में निर्णय किया गया था कि सभापति को चाहिये कि वे समिति सर्व-सम्मति से स्वीकृत इस सामान्य विचार से केरल सरकार को अवगत करा दें कि वनों की सरकारी भमि पर अवैध अधिकार विषयक उप-समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाय ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गये हैं :—

(1) बनों के जिन क्षेत्रों में अनधिकृत निर्णय रूप से भूमि पर लोगों ने अधिकार किया हुआ है उन क्षेत्रों के सर्वेक्षण और प्रगणना तथा पहचान-पत्र जारी करने का काम अविलम्ब पूरा किया जाना चाहिए और ऐसा कर लिये जाने के पश्चात् बनों के क्षेत्र में बिना पहिचान पत्र पाये जाने वाले व्यक्तियों को संक्षिप्त कार्यवाही के पश्चात् निकाल दिया जाना चाहिए ।

(2) यह जानने के लिए कि क्या भारत सरकार से कोई वित्तीय सहायता बन क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों को राज्य से बाहर बसाने की किसी योजना के लिए कोई सहायता प्राप्त होगी उससे सम्बन्ध स्थापित किया जाए ।

(3) उप-समिति की सिफारिशों में शामिल अन्य सभी विषयों के बारे में यथा-स्थिति बनाये रखने के लिए ।

पूर्व-पश्चिम संगीत सम्मेलन तथा समारोह

2230. श्री ब्रजराज सिंह:
श्री बड़े :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा आयोजित पूर्व-पश्चिम संगीत सम्मेलन तथा समारोह के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी ;

(ख) क्या वास्तव में खर्च की गई राशि, मंजूर की गई राशि की सीमा में थी; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो कितनी अतिरिक्त राशि खर्च की गई ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) 30,000 रूपये ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) 24,000 रुपये ।

आजाद भवन, नई दिल्ली के लिये फर्नीचर

2231. श्री बृजराज सिंह :
श्री बड़े :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद भवन नई दिल्ली तथा उसके आडिटोरियम का फर्नीचर खरीदने के लिये भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् ने सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा मुहरबन्द टेन्डर आमन्त्रित किये थे ;

(ख) यदि हां, तो किन किन फर्मों ने तथा कितने कित ने मूल्य के टेन्डर भेजे थे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या आदेश देने से पहले कार्यकारी समिति की मंजूरी ले ली गई थी ?

सूचना तथा प्रसारग मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) जी नहीं । आर्किकटैक्टों की सिफारिश पर मोहरबन्द (सीमित) निविदाए चुनी हुई फर्मों से मगाई गई थीं ।

(ख) निविदा भेजने वाली फर्मों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी० 7402/66]** उद्धृत दरों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) सार्वजनिक अधिसूचना निकाल कर निविदाएं मंगाना इसलिए जरूरी नहीं समझा गय कि जहां तक श्रव्यशाला के लिए कुर्सियों का सवाल था, सच्चाई यह है कि देश की कुछ फर्में ही ऐसा फर्नीचर बनाने का विशिष्ट अनुभव रखती हैं। इसलिए सीमित निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं बाकी फर्नीचर के बारे में केवल ऐसी फर्मों से निविदाएं मंगाई गई थीं जो लघु उद्योग कार्यालय द्वारा सुझाई गई डिजाइनों के अनुसार काम कर सकती थीं ।

(घ) शासी निकाय से पहले अनुमति लेना जरूरी नहीं था, क्योंकि उक्त शासीनिकाय द्वारा अनुमोनिदत बजट आवटनों के अन्तर्गत कोई भी खर्च मंजूर करने की पूरी शक्ति प्रेसीडेन्ट को है । इन आवंटनों के अन्तर्गत सचिव को भी हर मद के लिए 1000 रुपए तक खर्च की मंजूरी देने की शक्ति है ।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में पदों की समाप्ति

2232. श्री बृजराज सिंह :
श्री बड़े :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् की कार्यकारी समिति (गवरनिंग बाडी) की 23 फरवरी, 1964 को हुई बैठक में कितने पदों को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी ;

(ख) उक्त सिफारिश की क्रियान्विति में परिषद् ने वास्तव में कितने पदों को समाप्त किया;

(ग) क्या उन सब पदों को इस बीच समाप्त कर दिया गया है, जिनको समाप्त करने की सिफारिश की गई थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) 23 फरवरी, 1964 को कायकारी समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी। इस समिति की बैठक 24 मार्च 1964 को हुई थी जिसमें यह निर्णय किया गया था कि पांच पदों को समाप्त कर दिया जाय।

(ख) पांच पद।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2233. श्री बी० चं० शर्मा : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के फलस्वरूप अनेक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने सेवा-निवृत्त होने की इच्छा व्यक्त की है किन्तु उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ केवल वे कर्मचारी उठा सकते हैं जो फालतू घोषित कर दिये गये हैं और जो गृह-कार्य मन्त्रालय के केन्द्रीय पूल में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। कुछ सरकारी अधिकारियों ने सेवा-निवृत्त होने की इच्छा व्यक्त की थी परन्तु उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गयी क्योंकि वे निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करते। कुछ अन्य अधिकारियों के इस आशय के प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार में घाटा

2234. श्री मौर्य : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार को भारी घाटा उठाना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ; और

(ग) इस भंडार को हुए घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी, नहीं। इस सोसायटी को 1963–64 और 1964–65 में क्रमशः 1,30,301 रुपये और 1,70,929 रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। वर्ष 1965–66 के लिये लाभ और हानि का लेखा अभी तैयार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अंशधारियों को लाभांश का भुगतान

2235. श्री मौर्य : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार ने अभी तक अपने अंशधारियों को कोई लाभांश नहीं दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्शधारियों को लाभांश का शीघ्र भुगतान किये जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग) बम्बई सहकारी समितियां अधिनियम, 1925, जो दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र पर भी लागू होता है, के अधीन अधिक से अधिक मिलने वाला लाभांश के आधार पर वर्ष 1963-64 और 1964-65 के लिये $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत लाभांश देने की घोषणा की गयी है। विभिन्न मंत्रालय और कार्यालयों के कल्याण अधिकारियों के माध्यम से तथा विज्ञापन जारी करके अंशधारियों को यह सूचना दे दी गयी है कि वे तालकटोरा बैरेक में सोसायटी के मुख्य कार्यालय में इस उद्देश्य के लिये खोली गयी खिड़की से अपना लाभांश ले लें।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार, नई दिल्ली

2236. श्री मौर्य : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार द्वारा खरीदी जाने वाली वे उपभोक्ता वस्तुएं जिनकी कमी है इस भंडार के अंशधारियों को नहीं मिलती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस भंडार को इसके अंशधारियों के लिए वास्तविक सेवा भंडार बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) जी नहीं। वे वस्तुयें जिनकी कमी है सरकारी भण्डार के अंशधारियों को "पहिले आये पहिले पाये" के नियमानुसार बेची जाती हैं। यदि किसी शिकायत को उचित पाया जाता है तो उसे अविलम्ब दूर किया जाता है।

त्रिपुरा सीमा पर पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी

2237. श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामहरख यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 नवम्बर, 1966 को पाकिस्तानी सीमा सेना ने त्रिपुरा-नोआखली सीमा पर चार बार गोलियां चलाई ; और

(ख) यदि हां, तो, इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तानियों द्वारा अनधिकृत रूप से किये जा सकने वाले कब्जे को रोकने के लिये आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं और पाकिस्तानी अधिकारियों को विरोध-पत्र दिया गया है।

Special Cadre Posts

2238. Shri Utiya:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Vishram Prasad:
Shri Yashpal Singh:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Bade:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry of Home Affairs had issued orders *vide* office memorandum No. 21/31/63. C.S.A. dated 24th December, 1963 to different Ministries requiring transfer of the incumbents of posts in certain special cadres after a period of three years in the interest of healthy administrative traditions;

(b) if so, whether the contents of the said Office Memorandum are not being enforced in his Ministry;

(c) if so, whether Government proposed to take any action in this direction; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandaran): (a) Yes, these orders only suggested the rotation of staff, subject to the interests of efficiency.

(b) The orders in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum in question are being followed.

(c) and (d). Do not arise.

Study of Hindi

2239. Shri Bade:
Shri Yashpal Singh:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Vishram Prasad:
Shri Utiya:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply gvien to Unstarred Question No. 3869 on the 31st August, 1966 and state:

(a) the steps being taken to encourage the study of Hindi by the Officers and staff of his Ministry; and

(b) the time by which non-Hindi knowing officers are expected to learn Hindi?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran): (a) The steps being taken include: (i) cash awards to non-Hindi knowing employees of the Central Government who acquit themselves creditably in the prescribed Hindi examinations; and (ii) grant of personal pay, equal in amount to one increment, to non-gazetted Central Government employees on passing Hindi Pragya, Hindi typewriting and Hindi stenography examinations.

(b) it is not feasible to indicate any time limit.

Working Knowledge of Hindi

2240. **Shri Utiya:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Yashpal Singh:
Shri Vishram Prasad:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Bade:

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3869 on the 31st August, 1966 and state:

(a) the number of such officers out of the officers having working knowledge of Hindi who do their work in Hindi and their percentage;

(b) whether Government propose to provide an opportunity to those officers who are not working in Hindi to do their work in Hindi; and

(c) if not, the reasons thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran): (a) One; 9 per cent.

(b) and (c) These officers have opportunity wherever possible, to use Hindi.

मैसूर में डाक-व्यवस्था

2241. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर राज्य के लोगों के लिये डाक सुविधाओं की क्या व्यवस्था की गई तथा इसके लिये कितनी धनराशि नियत की गई तथा खर्च की गई है और यदि नियत राशि से व्यय कम हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) चौथी योजना की अवधि में इस राज्य में डाक सुविधाओं की और क्या व्यवस्था करने का विचार है तथा जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रति वर्ष कितने नये डाकखाने खोलने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तीसरीड पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मैसूर राज्य में 2599 डाकघर खोले गए और 248 डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उप डाकघर बनाया गया, बारह उप डाकघरों को प्रधान डाकघरों में बदला गया, 5561 और गांवों में दैनिक डाक सेवा प्रदान की गई और उन गांवों की संख्या, जिनमें डाक-वितरण एक सप्ताह के बाद होता था 117 से घटाकर 33 कर दी गई। वास्तव में 4,50,000 रुपये की नियत राशि से खर्च अधिक किया गय ।

(ख) चौथी योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय

2242. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के राज्यों में से किसी एक राज्य में विशेषत: मैसूर राज्य में गुलबर्ग में एक हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कहां और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत के राज्य प्रस्तावित हिन्दी विश्वविद्यालय को दक्षिण में स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से आग्रह कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). दक्षिण में हिन्दी विश्व-विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव कई मौकों पर किए गए हैं। किन्तु यह प्रश्न तभी उठेगा, जब बहुत से हिन्दी माध्यम वाले डिग्री कालेज स्थानीय प्रयत्नों से या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित हो जाएं और इन कालेजों को इस इलाके में स्थापित विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त करने में कुछ दिक्कत हो।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिलचर

2243. **श्री नि० र० लास्कर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सिलचर स्थित रीजनल इंजीनियरिंग कालेज के लिए "बोर्ड आफ़ गवर्नर्स" बना दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कालेज की इमारत का निर्माण-कार्य जल्दी आरम्भ कर दिया जायेगा ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस कालेज की स्थापना के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). बोर्ड का गठन किया जा रहा है । अध्यक्ष और कुछ सदस्य नियुक्त किये जा चुके हैं। बाकी सदस्यों को भी शीघ्र ही नियुक्त किया जाएगा।

(ग) और (घ). गवर्नर्स बोर्ड अपनी पहली बैठक में इमारत बनाने के प्रश्न पर विचार करेगा।

(ङ) भूमि का अभिग्रहण कर लिया गया है।

अखिल भारत माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक

2244. **श्री मुहम्मद इलियास** :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक सारे देश में एक समान वेतन क्रम तथा एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाये जाने के लिये समस्त देश में एक आन्दोलन आरम्भ करने वाले हैं ; और

2395(ai)LS—7.

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय माध्यमिक अध्यापक संघ ने अपनी मांगों के बारे में सरकार से कोई बातचीत की है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) अध्यापकों की सेवा शर्तों को सुधारने के लिए अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रव्यापी आन्दोलन शुरू करने के निर्णय के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) संघ ने अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन भेजा है।

अनुभाग अधिकारी पद की परीक्षा

2245. श्री रघुनाथ सिंह: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1959 से ले कर अब तक कितने कर्मचारियों ने प्रति वर्ष अनुभाग अधिकारी संवर्ग की विभागीय प्रतियोगी परीक्षा पास की है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है;

(ग) प्रतीक्षा-सूची में इस समय कितने व्यक्ति हैं तथा अधिकतम और न्यूनतम अंक कितने प्रतिशत प्राप्त किये हैं; और

(घ) शेष लोगों को उन पदों पर लगाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इन परीक्षाओं का परीक्षाफल केवल उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में घोषित किया जाता है जो नियुक्ति के लिये प्राप्त पदों की संख्या की परिधि में आते हैं क्योंकि ये परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। 1959 में और उसके पश्चात् होने वाली परीक्षाओं के आधार पर जिन परीक्षार्थियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित किए गये उनकी संख्या इस प्रकार है :—

1959	78
1960	60
1963	16
1964	13
1965	31

(सन् 1961 और 1962 में कोई परीक्षाएं नहीं हुईं।)

1959 और 1960 में हुई परीक्षाओं की प्रतियोगी प्रकृति के सम्बन्ध में कुछ गलत-फहमियां उत्पन्न हो गई थीं। अतः यह निश्चय किया गया कि 1—10—62 से आगे 5 वर्ष तक जारी होने वाली अनुभाग अधिकारियों की चयन-सूचियों में सम्बन्धित वर्ष की परीक्षा के आधार पर बनाई जाने वाली चयन-सूची में शामिल करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित उम्मीदवारों की संख्या के समान संख्या में इन दो परीक्षाओं में से शेष उम्मीदवारों को भी शामिल कर लिया जाय। तदनसार ऊपर दिये गए आंकड़ों के अलावा

1959 की परीक्षा के 29 उम्मीदवार उसके बाद जारी की जाने वाली अनुभाग अधिकारी वर्ग की चयन-सूचियों में शामिल किये जा चुके हैं। 1965 की परीक्षा के परिणाम पर आधारित चयन-सूची अभी जारी नहीं की गई। इसमें 1959 और 1960 की परीक्षाओं के शेष बचे हुए उम्मीदवारों में से 31 के नाम और शामिल किये जायेंगे।

(ख) 1965 की परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली सूची में शामिल उम्मीदवारों के अलावा ऊपर कहे गए सभी उम्मीदवार पहले ही अनुभाग अधिकारी वर्ग में पदोन्नत किये जा चुके हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में

RE. POINT OF ORDER

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): Mr. Speaker, I raise a point of order under Rule 376.

Mr. Speaker: One item is over and no other point is before the House. Hence at this time no point of order can be raised.

Dr. Ram Manohar Lohia: There is a case against me in a court of law under Section 107. By stopping me from raising this point of order you are supporting the Government.

Mr. Speaker: How can I permit the raising of a matter pertaining to Section 107. Now the hon. Member may please let the House proceed with further business.

Dr. Ram Manohar Lohia: * *

Mr. Speaker: The hon. Member is continuing speaking inspite of my asking him again and again not to do so.

It will have to take action against him.

सभा के कार्य के बारे में

BUSINESS OF THE HOUSE

श्रीमती विमलादेवी (एलुरू) : हमने एक प्रस्ताव दिया है ताकि आंध्र के प्रति केन्द्रीय सरकार की नीति पर विचार किया जा सके। परन्तु प्रत्येक सप्ताह दूसरी कार्यवाही पर विचार होता है। क्या कारण है कि सरकार आंध्र प्रदेश की स्थिति पर विचार करने में संकोच कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे स्वीकृत कर लिया है। इसका उत्तर सरकार देगी। उप समिति ने भी इस पर विचार की सिफारिश कर दी है। अब इसे लाने का काम सरकार का है।

---

*.*कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय विदेश सेवा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला): मैं भारतीय वैदेशिक सेवा सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7382/66]**

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में संशोधन

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : श्री मनुभाई शाह की ओर से मैं भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 की धारा 4-क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3460 की एक प्रति जो दिनांक 11 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में एक संशोधन किया गया था, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7383/66]**

जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 49वें अधिवेशन में स्वीकृत अभिसमयों तथा सिफारिशों पर कार्यवाही

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : श्री शाहनवाज खां की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) जून, 1965 में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 49वें अधिवेशन में स्वीकृत अभिसमयों तथा सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7384/66]**

(2) व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1965 की धारा 24 के अन्तर्गत व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) पांचवां संशोधन योजना, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 5 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3342 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7385/66]**

(3) कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 की धारा 7-क के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश कोयला खान बोनस (दूसरा संशोधन) योजना, 1966 दिनांक 17 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1703 द्वारा शुद्ध किये गये रूप में, की एक प्रति जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1540 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7386/66]**

(4) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत धातुयुक्त खान (दूसरा संशोधन) विनियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 5 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1701 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7387/66]**

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह अभिसमय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्वीकार की जाती हैं। परन्तु हमारे उद्योगों में इनको कार्यान्वित नहीं किया जाता। क्या इन्हें निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अभिसमयों के स्वीकार होने के पश्चात् उनका अनुसमर्थन होता है और यदि आवश्यक हुआ तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कानून भी बनाया जाता है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इसे स्वीकार हुए डेढ़ वर्ष हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि कार्यवाही किस स्तर पर हो रही है ?

श्री जगजीवन राम : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के निर्णय की जांच होती है। सारे मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है और इसमें समय लगता है।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954, केरल मद्य निषेध अधिनियम, 1950 तथा अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्रीमान जी, मैं दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954, की धारा 191 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(i) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 30 जून, 1966 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० (4)/एल० आर० ओ०/1966 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 6872/66]

(ii) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 8 जुलाई, 1966 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० (3)/एल० आर० ओ०/66 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०** 6872/66]

मैं निम्न पत्रों को भी सभा पटल पर रखता हूं :-

(i) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1966 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल मद्य निषेध अधिनियम, 1950 की धारा 62 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 416/66 की एक प्रति जो दिनांक 1 नवम्बर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 7388/66]

(ii) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्मलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) भारतीय वन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1966 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1672 में प्रकाशित हुए थे।

(ख) भारतीय वन सेवा (पदावली का संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 1966 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1673 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7389/66]।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

सदस्य की गिरफ्तारी

Shri Maurya (Aligarh): I wrote a letter re. privilege issue. Although we are Members of Parliament, yet the treatment meted out to us at the hands of magistrates is bad. They are not accepting our security. The magistrate has written to S.H.O. asking him to verify the securities within three days. The late Prime Minister Nehru had stated that such treatment would not be meted out to M.Ps. You also gave a similar assurance. The magistrate told us that he had been receiving telephone from the Home Ministry and from the Deputy Home Minister. There is misuse of Section 107.

Mr. Speaker: When an M.P. goes before a magistrate, he goes in the capacity of a citizen. I cannot give any protection against that.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, एक संसद् सदस्य को पकड़ा गया था तथा उससे 25,000 रु० की जमानत मांगी जिसे दूसरा संसद् सदस्य देने को तैयार हो गया परन्तु स्वीकार नहीं किया गया। यह बहुत गलत कार्य किया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह क्रूरता है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य ने मुझसे शिकायत की और मैंने उसे गृह-कार्य मंत्री के पास भेज दिया कि वह इस पर विचार करें। इतना ही हो सकता था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : महोदय, संसद् सदस्यों को मामूली कारणों से गिरफ्तार किया जा रहा है। आप इस बात पर शरण नहीं ले सकते कि संसद् सदस्य कानून से ऊपर नहीं है।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : महोदय, आपने शिकायत को गृह-कार्य मंत्री के पास भेज दिया। गृह-कार्य मंत्री को बताना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है? यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है तथा इसका सम्बन्ध सदन के विशेषाधिकार से है।

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह-कार्य मंत्री से कहूंगा कि वह जितनी जल्दी हो सके इसका उत्तर भेजें।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): When six or seven days back this question was raised in the House you closed the matter saying that it is sub-judice. But before the arrests could be challenged we were released. People are kept in detention for few days and then released. In this way Section 107 of the Code of Procedure has been misused and Articles 21 and 22 of the Constitution are being completely ignored. People are denied freedom on false grounds. As this case is not sub-judice now it therefore, becomes the duty of the House to interfere with it.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं आपका ध्यान श्री यशवन्तराव चव्हाण के पत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि आपको लिखा गया है और जिसमें उन्होंने श्री मौर्य, श्री किशन पटनायक के घरों की तलाशी तथा उनकी गिरफ्तारी के बारे में कुछ तथ्य लिखे हैं जो कि वास्तव में गलत हैं ।

हम इसलिए यह चर्चा यहां उठाना चाहते थे क्योंकि यह आशंका थी कि धारा 107 के अन्तर्गत किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में रखा जा सकता है । हाल ही में दिल्ली के मुख्य न्यायाधिपति ने श्री बलराज मधोक के मामले में एक निर्णय में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बारे में स्पष्ट रूप से अवैध रूप से आदेश पास किये गये हैं और ऐसा करते समय मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 112 के अनिवार्य उपबन्धों पर अमल नहीं किया है । हमने ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी परन्तु आपने उसकी अनुमति नहीं दी । प्रो० बलराज मधोक के मामले में दिया गया निर्णय डा० लोहिया के मामले में भी लागू होता है । अब इस पर चर्चा की जा सकती है ।

हमने आपके द्वारा गृह-कार्य मंत्री तथा उपमंत्री से निवेदन किया था कि बलराज मधोक सम्बन्धी न्यायालय के निर्णय को देखते हुये डा० लोहिया को रिहा कर दिया जाये । परन्तु उनको रिहा नहीं किया गया । श्री किशन पटनायक ने भी निश्चित विवरण दिया था कि अब विद्यार्थियों को कोई गड़बड़ नहीं है और कि 18 नवम्बर निकल गया है । परन्तु इसके बावजूद भी उनको जेल में रखा गया। जब इस चीज को चुनौती दी गई तो इससे पहले कि मामला न्यायालय में जाता, उनको रिहा कर दिया गया । मैं महसूस करता हूं कि ऐसा करना न केवल न्यायालय की अवहेलना करना है बल्कि बिलकुल ही गलत है ।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : उठाये जाने वाला मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है । प्रश्न यह है कि क्या एक संसद् सदस्य को संसद् भवन के बाहर कोई विशिष्ट विशेषाधिकार प्राप्त है अथवा नहीं । जहां तक संसद् सदस्यों के संसद् भवन के अन्दर तथा बाहर विशेषाधिकारों का प्रश्न है ये संविधान के अनुच्छेद 105 और नियमों में दिये गये हैं । इनके अतिरिक्त संसद् सदस्यों को अन्य कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है ।

न्यायपालिका की शक्तियां संसद् के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं हैं । यदि कोई मजिस्ट्रेट कोई गलती करता है तो सम्बन्धित व्यक्ति उस निर्णय के विरुद्ध उच्च तथा उच्चतम न्यायालय में जा सकता है । मजिस्ट्रेट के निर्णयों को गलत अथवा ठीक कहने के लिए यह सभा उचित स्थान नहीं है । देश में यह भावना नहीं उत्पन्न होने दी जानी चाहिए कि संसद् सदस्य साधारण लोगों से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त करना चाहते हैं ।

श्री राघेलाल व्यास (उज्जैन) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । मैं आपका ध्यान इसी नियम की ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि इसके उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी मामले को सभा में उठाने से पूर्व सचिव को संक्षेप से लिखित रूप में देना चाहिए और कारण बताने चाहिएं कि वह इस मामले को क्यों उठाना चाहते हैं, प्रक्रिया के अनुसार ही कोई मामला उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं ।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : My point is that first of all the magistrate told us that he is accepting the bails. But on the next moment a telephone came and the magistrate after hearing the telephone refused to

[Shri Kashi Ram Gupta.]

accept the bails. I would like to know whether this sort of interference with the judiciary is a contempt of the House or not? I would also like to know whether this House is competent to take note of the attitude of the magistrate?

Mr. Maurya (Aligarh): The magistrate did not accept the statement of the hon. Member and sent it to the police for verification.

Mr. Speaker: This has been repeated so many times. You please resume your seat.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : अध्यक्ष महोदय को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वह सभा तथा संसद सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं। इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि केवल इस बात से कि आपने माननीय सदस्यों की शिकायत गृह-कार्य मंत्री को भेजदी है यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि वह प्रथमत: एक मामला है। परन्तु यदि ऐसी बातों को चलने दिया गया तो संसद सदस्यों, विशेषकर विरोधी दल के सदस्यों, के लिए शान्ति नहीं रहेगी। जब संसद् सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था मैंने आपका ध्यान आपके ही एक निर्णय को ओर दिलाया था। आपने कई बार कहा है कि सत्र के दौरान किसी सदस्य को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसके विरुद्ध फौजदारी के गम्भीर आरोप न हों। परन्तु इसकी उल्लंघना में इन संसद् सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था।

जब श्री हेम बरुआ इन गिरफ्तार हुए संसद सदस्यों की जमानत के लिए गए तो उनके यह कहने पर कि वह संसद सदस्य हैं और वह जमानत देना चाहते हैं मजिस्ट्रेट ने इस बात को स्वीकार करने से ही इन्कार कर दिया कि वह संसद् सदस्य हैं। माननीय सदस्य ने अपना पहचान-पत्र भी उनको दिखाया था। आप संसद सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं इसलिए आपको केवल कानूनी दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु अन्य दृष्किोण से भी विचार करना चाहिए।

Shri Bade (Khargaon): The question is whether Speaker is custodian of the rights and privileges of the Members of Parliament or not? In this case rights and privileges of the Members of Parliament have been violated. Charges have also been levelled against the Minister that he made a telephonic call to the magistrate. The hon. Minister should reply to this allegation.

Mr. Speaker: Twice a charge has been made against the Deputy Home Minister that he made a telephonic call. I would like to know whether it is a fact or not?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : न तो मैंने और न ही उपमंत्री ने कोई टेलीफोन किया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस मामले में आप हमारी सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट है कि जब मामला न्यायालय के समक्ष हो और मजिस्ट्रेट कोई जमानत मांगे तो मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : हमारी शिकायत का सार यह है कि इस सदन के एक सदस्य की सभा के सदस्य के रूप में कार्य करने की स्वतन्त्रता और विशेषाधिकार में एक अस्पष्ट और संदिग्ध

कानून का दुरुपयोग करके बाधा डाली गई है। जब डा० लोहिया को गिरफ्तार किया गया था उस समय यह मामला आपके समक्ष उठाया गया था परन्तु आपने यह कह कर कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी थी । जैसा आपने व्यक्त किया आप की कठिनाई यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसके अन्तर्गत आप हमारी सहायता कर सकते हों। परन्तु हमारे प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तिम नियम में यह उपबन्ध है कि जब कोई विशिष्ट नियम न हो तब अध्यक्ष अपनी अवशिष्ट शक्तियों का, जो सभा की ओर से उसमें अन्तर्भूत हैं, प्रयोग कर सकता है ताकि सभा के समक्ष वह विषय आ जाये और कोई भी ऐसी कार्यवाही की जा सके जिसे करने के लिये वह सक्षम है। इन नियमों का प्रयोग करके अध्यक्ष को हमारी सहायता करनी चाहिए। उन लोगों को हमारे रोष से सूचित किया जाना चाहिए जिन्होंने कानून तथा का दुरुपयोग करके हमारी स्वतन्त्रता को नष्ट करने का यत्न किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कपूर सिंह ने ठीक कहा है कि कार्यपालिका ने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इसका उपाय अविश्वास तथा निन्दा का प्रस्ताव है ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : इस संविधान से बाहर कोई विशेषाधिकार नहीं मांग रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 में हमें कुछ अधिकार तथा विशेषाधिकार दिये गये हैं जो कि ब्रिटिश हाउस आफ कौमन्स में संसद सदस्यों को दिये गये अधिकारों के समान हैं। उसके अनुसार सत्र के दौरान तथा सत्र के 40 दिन पहले और बाद में किसी संसद् सदस्य को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसके विरुद्ध फौजदारी के गम्भीर आरोप न हों। किसी संसद् सदस्य को धारा 151 के अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 105 का उल्लंघन होता है। एक मामले में मुख्याधीश ने टिप्पणी की है कि जो अपराध किया जा रहा हो उसके सम्बन्ध में पुलिस अधिकारी को हस्तक्षेप अपराध की जानकारी होनी चाहिये। पुलिस अधिकारी के कथन में तथा सरकारी अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के शपथपत्र में इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसलिये वह गिरफ्तारी अवैधानिक घोषित की गई। इसलिये मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष आपको संसद सदस्यों ने अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का संरक्षक होने के नाते कार्यपालिका की इस प्रकार की कार्यवाही की निन्दा करनी चाहिए। किसी संसद् सदस्य को सत्र के दौरान धारा 107 अथवा 151 अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : मेरे विचार में डा० लोहिया की रिहाई से कोई अन्तर नहीं पड़ता और यदि उनको कोई शिकायत है तो वह गिरफ्तार करने वाले के विरुद्ध अवैधानिक नजरबन्दी का आरोप लगा सकते हैं। यदि यह स्थापित हो जाये कि उनके गैर-कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया था तो वह सभा में विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठा सकते हैं। यदि उनके पास यह साक्ष्य है कि उपमन्त्री ने टेलीफोन द्वारा न्यायिक अधिकारी के काम में बाधा डाली है तो वह उपमन्त्री के विरुद्ध न्यायालय की अवहेलना का आरोप लगा सकते हैं, परन्तु ये सभी आरोप यहां नहीं बल्कि न्यायालय में लगाये जाने चाहिए ।

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : जहां तक गिरफ्तारी के प्रश्न का सम्बन्ध है यह सच है कि संसद सदस्यों के कुछ अधिकार हैं, परन्तु यदि पुलिस तथा मजिस्ट्रेट कानून के अन्तर्गत कुछ कार्यवाही करती है तो उनके अधिकारों के विरुद्ध इन अधिकारों का लाभ नहीं उठाया जा सकता। यदि कानून के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है तो न्यायालय में जाया जाना चाहिए। यदि पुलिस कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करती है तो यह सभा अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विशेषाधिकार भंग का प्रश्न नहीं है ।

[श्री गोपाल स्वरूप पाठक]

यह कहना गलत है कि डा० लोहिया को परोक्ष उद्देश्यों के हेतु रिहा किया गया है । उन्होंने अनुच्छेद 21 का उल्लेख भी किया है । परन्तु अनुच्छेद 21 तभी लागू होता है जब राज्य द्वारा किसी की स्वतन्त्रता छीन ली जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर जो चर्चा हुई है उससे यह पता चलता है और जिससे मुझे चिन्ता है वह यह है कि मुझे गृह-कार्य मंत्री तथा सरकार को यह बताना चाहिए कि संसद् का सत्र चल रहा है और कुछ संसद् सदस्यों के विरुद्ध धारा 107 और 151 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । परन्तु उसी समय सदस्य ने उच्च न्यायालय में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत की तब सरकार ने उसे रिहा कर दिया । सदस्य इस बात से उत्तेजित हैं कि ऐसा संसद् सदस्यों के विशेषाधिकारों को सीमित करने के लिये अथवा उन्हें अपने अधिकारों से वंचित रखने के लिये किया जाता है ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : गृह-कार्य मन्त्री अपने वक्तव्य में लगाये गये सभी आरोपों का उत्तर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह-कार्य मन्त्री तथा विधि मन्त्री से विचार विमर्श करूंगा तथा उनको सदस्यों की शिकायतों से अवगत करूंगा ।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं कुछ अन्य बातों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं । अचानक पुलिस ने आकर मुझे ऐसे अपराध के लिये गिरफ्तार कर लिया जिसके लिये जमानत हो सकती है परन्तु मेरी व्यक्तिगत जमानत को स्वीकार नहीं किया गया । मुझे किसी अन्य व्यक्ति से जमानत दिलाने के लिये कहा गया । मैं संसद के एक अन्य सदस्य को इसके लिये ले गया परन्तु उसकी जमानत भी स्वीकार नहीं की गई । उन्होंने एक शपथपत्र भी दिया परन्तु मजिस्ट्रेट ने उसको स्वीकार नहीं किया । ऐसी परिस्थितियों में हमारी स्वतन्त्रता की क्या गारण्टी है । सदस्य द्वारा अपना प्रमाण पत्र दिखाये जाने पर भी मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत को स्वीकार नहीं किया ।

Mr. Maurya: I rise on a point of order.

Mr. Speaker: Now you please resume your seat.

सदस्यों की रिहाई

RELEASE OF MEMBERS

डा० राम मनोहर लोहिया और श्री बागड़ी

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि नई दिल्ली के सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट से मुझे दिनांक 22 नवम्बर, 1966 का एक सन्देश मिला है । इसमें यह बताया गया है कि लोक सभा के सदस्यों, डा० राम मनोहर लोहिया और श्री मनीराम बागड़ी को 22 नवम्बर, 1966 को सायंकाल को रिहा कर दिया गया है ।

नयम समिति

RULES COMMITTEE

चौथा प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331 के उपनियम (1) के अन्तर्गत नियम समिति का चौथा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

निनानवेवां प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का निनानवेवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1966
APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1966

वित मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : 'मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री ल० ना० मिश्र : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1966
APPROPRIATION (NO. 5) BILL, 1966

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, कुछ सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों से अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री ल० ना० मिश्र : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—जारी

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : हम लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक के खण्ड 20 पर विचार कर रहे थे । विधि मन्त्री अपना भाषण जारी रखेंगे ।

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : यदि मुझे अनुमति हो तो मैं महत्व के अनुसार संशोधनों को लूंगा । पहले मैं संशोधन संख्या 72 लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
(Mr. Deputy-Speaker in the Chair.)

काला बाजार और समाज विरोधी बातों के विरुद्ध माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । उन विचारों से मैं पूर्णतः सहमत हूं । सभा को भी उसके विरुद्ध मत व्यक्त करना चाहिए और इस तरह के कृत्यों की निन्दा करनी चाहिए । मैं श्री कामत का संशोधन स्वीकार करने को तैयार हूं । शर्त यह है कि कम से कम शर्त की भी व्यवस्था कर दी जाय । छः मास की सजा ठीक रहेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम इस मामले को कल भी ले सकते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : सट्टेबाजी की परिभाषा को भी ठीक तरह से देख लिया जाये ।

श्री रंगा (त्रिचूर) : गम्भीर मामला है, इस पर ठीक तरह से विचार किया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस खण्ड 20 के बारे में बाद मे फैसला कर लेंगे । अन्य खण्ड पहले ले लेते हैं । खण्ड 21 ले लेते हैं । इसे मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 21 was added to the Bill.

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 22 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 23 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 24 was added to the Bill.

खंड 25

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 25 का कोई संशोधन नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशगांबाद) : मेरा निवेदन है कि खंड 25 के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी को यह शक्तियां हस्तांतरित करेगा जो कि 1951 के अधिनियम के अधीन निर्वाचन अधिकारी को दी गई थी । यह बात स्पष्ट की जानी चाहिये कि नई व्यवस्था में इस चुनाव अधिकारी की क्या स्थिति है । क्या वह कार्यकारी पदाधिकारी हो जायेगा और यदि जिला निर्वाचन अधिकारी को इस प्रकार शक्ति दी जायेगी कि वह (निर्वाचन अधिकारी) मेरा कहना यह है कि दोनों की शक्तियां में कोई टकराव नहीं होना चाहिए । यदि ऐसा हुआ तो उनके बीच कोई समन्वय नहीं रहेगा और सारा चुनाव निष्फल हो जायेगा ।

पिछले चुनाव में ऐसा हुआ था कि मत पेटियों में कुछ अतःक्षेप किया गया था । हम यह जानना चाहते हैं कि अब बैलट वाक्स ऐसे हैं जिनमें निश्चित रूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती तो यह बताया जाना चाहिये कि अतःक्षेप को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं ? यह स्पष्ट होना चाहिये कि यदि जानबूझ कर उन्हें नष्ट किया जाता है तो ऐसा करने वाले लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना चाहिए ।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मेरा निवेदन यह है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति एक तरह से चुनाव के लिए काफी सहायक सिद्ध होती है । यह काफी सुविधा जनक भी है। परन्तु उन जीलाधीशों अथवा उच्च आयुक्तों को जो इस समय छः मास से अधिक के लिए प्रादेशिक जिलों के प्रभारी अधिकारी है, उन्हें यह कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए अथवा उसे तो तबदील कर दिया जाना चाहिये अथवा उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति लाना चाहिए । मेरा निवेदन यह है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगे ।

श्री त्यागी (देहरादून) : व्यवस्था यह होनी चाहिए कि चुनाव ठीक से हो और निष्पक्ष हो ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत चुनाव अधिकारियों के कर्तव्य स्पष्ट किये हुए हैं । उन्हें नामनिर्देशन पत्र की छान बीन करनी पड़ती है । इसमें कोई परस्पर टकराब की बात नहीं होती । मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यभार हलका करने के लिए, जिला निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर की जाती है । सरकार से इसलिए परामर्श किया जाता है कि वह अधिकारी होने जा रहा है । जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि निर्वाचन अधिकारियों के कर्त्तव्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा निर्धारित होते हैं । दोनों के काम के दोहरापन होने का प्रश्न

[श्री त्यागी]

ही नहीं है। नियंत्रण रखने की दृष्टि से कोई आदेश दिये जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्य तो दो अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 25 was added to the Bill.

खंड 26 से 28 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 26 to 28 were added to the Bill.

खंड 29 (धारा 33 का संशोधन)

श्री मधुलिमये (मुंगेर) : मैं अपना संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करता हूं।

This amendment is very simple, I hope the Law Minister will accept it. In the different parts of the country, different names are followed. At some places the name of father is used before the actual name and somewhere, the name of the father comes after. So there may not be any kind of misunderstanding. For this purpose, I am moving this amendment. This is very simple matter.

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। इसका कोई औचित्य दिखाई नही देता, यदि कोई इस तरह की भूल हो भी जाय तो सम्बन्धित अधिकारियों को सन्तुष्ट करने कि भूल है, उस भूल को ठीक कराया जा सकता है निर्वाचन आयोग को न्यायपूर्ण ढंग से चुनाव कराने की ख्याति प्राप्त है। और इस बात की पूरी आशा है कि वह न्यायपूर्ण ढंग से चुनाव कराने की दिशा में काफी सावधानी और जागरूकता का प्रयोग करेगा।

संशोधन संख्या 30 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 30 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्तव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 29 was added to the Bill.

खंड 30, 31, 32 और 33 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 30, 31, 32 and 33 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 18, 31 और 96 नियमबाह्य हैं क्योंकि इस विधेयक का धारा 61 से कोई संबंध नही है।

खंड 34 (धारा 64–क का जोड़ा जाना)

उपाध्यक्ष महोदय : इस खंड के दो संशोधन हैं, संख्या 19 और 971 उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

श्री हरिविष्णु कामत : सरकार को इस बात को स्पष्ट करना चाहिये कि इस प्रस्थापना को क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है आखिर इसके पीछे कुछ तो बात है। गत तीन आम चुनावों के दौरान यह सब बातें होती ही रही हैं। क्या अब सरकार ने मत पेटियों को ठीक कर लिया है और किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है? मेरे चुनाव क्षेत्र में यह शिकायत थी कि मत पेटियां टूटी हुई पाई गई थीं। इस बात पर सरकार को आश्वासन देना चाहिए।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक में जो संशोधन किया गया है, उसमें श्री कामत की आपत्ति को हल कर दिया गया है। विधेयक द्वारा इस कानून के बहुत से दोष दूर कर दिये गये हैं। मतदान का तरीका भी काफी सुधर गया है। मतपेटियों के बारे में भी पूरी सावधानी का प्रयोग किया जा रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : जहां तक खण्ड 34 का सम्बन्ध है शलाका पेटियों (बैलट बौक्स) तथा मतदान पत्रों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, किन्तु पिछले आम चुनावों के दौरान मतदान को अचानक, जब कि चुनाव के केवल सात दिन बाकी रह गये थे, दूसरा रूप दे दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवारों को मतदाताओं को समझाने तथा प्रतियों को फिर से छपवाने तथा वितरित करने में काफी खर्च उठाना पड़ा था। उसी आम चुनाव के दौरान दूसरी बात यह थी कि एक व्यक्ति ने प्रदर्शन करके हमें यह दिखाया था कि शलाका पेटियां किस प्रकार तोड़ी जा सकती हैं और उनसे मतदान पत्र निकाले जा सकते हैं, अब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आगामी आम चुनावों में शलाका पेटियों के साथ ऐसी छेड़-छाड़ नहीं की जायेगी। मतदान पत्र का नमूना दिये जाने के बाद उसे बदला नहीं जाना चाहिए और शलाका पेटियां मतदान से पहले सभी उम्मीदवारों को दिखा दी जानी चाहिए ताकि उनके साथ फिर छेड़-छाड़ न की जा सके।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : प्रस्तावित धारा 64क में जो उपबन्ध किया गया है वह उपयुक्त है। अधिकारियों के बारे में चाहे जो कुछ भी कहा गया हो, किन्तु उन्होंने काफी हद तक अच्छा काम किया है और निष्पक्षता से किया है। इस सभा में विरोधी सदस्यों की उपस्थिति से ही यह सिद्ध हो जाता है कि अधिकारियों ने न्यायोचित रूप से तथा निष्पक्ष रूप से कार्यवाही की है।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दमान) : 1957 के बाद ऐसे मामले भी सामने आये हैं जहां शलाका पेटियों में गड़बड़ की गई है और उनके साथ छेड़-छाड़ की गई है। उदाहरणार्थ, श्री हरिविष्णु कामत के मामले में जब कि उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात को मानकर श्री कामत की निर्वाचन याचिका को बहाल किया था। अतः निष्पक्ष चुनाव के हित में यह परम आवश्यक हो जाता है इस प्रकार की हरकत करने वाले व्यक्तियों के साथ कड़ाई से पेश आया जाये और दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को उचित दण्ड दिया जाये।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं इस संबंध में कोई भी आश्वासन नहीं दे सकता क्योंकि संविधान में चुनावों के संबंध में शक्तियां निर्वाचन आयोग को दी हुई हैं। चुनावों के बारे में संसद मे चल रहे वाद विवाद तथा यहां व्यक्त किये गये विचारों को सरकार निर्वाचन आयोग को बता देगी और इन

बातों को निर्वाचन आयोग निश्चित रूप से अपने दिमाग में रखेगा। निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है और उसकी ओर से मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

जहां तक शलाका पेटियों का संबंध है निर्वाचन आयोग यहां के वाद-विवाद को पढ़ेगा और निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करने के लिए यदि पहले न किये गये हों तो, पर्याप्त पूर्वोपाय करेगा। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए ख्याति प्राप्त की है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 34 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 34 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 34 was added to the Bill.

खण्ड 35 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 35 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 36 और 37 विधेयक के अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 36 और 37 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 36 and 37 were added to the Bill.

खण्ड 38 (नई धारा 80क का रखा जाना)

श्री गो० ना० दीक्षित: मैं अपना संशोधन संख्या 68 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: मैं अपना संशोधन संख्या 99 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा के समक्ष अब यह खण्ड तथा ये दो संशोधन विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

श्री हारविष्णु कामत: इस खण्ड पर विचार किये जाने से पहले मैं इस पर एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। खण्ड 38 में लिखा है :

The court having jurisdiction to try an election shall be the High Court.

संविधान सर्वोपरि है और प्रक्रिया नियम आदि उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। मैं इस संबंध में अनुच्छेद 368 का उल्लेख करना चाहता हूं। इससे संबंधित अनुच्छेद 324 और 368 हैं। पहला प्रश्न यह है कि संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक कब से लागू होगा। इस सभा ने संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक पारित किया है किन्तु वह विधेयक अभी दूसरे सदन में नहीं गया है। अभी उसे कुछ प्रक्रमों से गुजरना है और वह कानून नहीं बन पाया है। इसलिए जब तक वह कानून नहीं बन जाता, तब तक अनुच्छेद 324 में, जिसे उस विधेयक द्वारा संशोधन करने की व्यवस्था है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और इसका अर्थ यह है कि इस अनुच्छेद के द्वारा निर्वाचन याचिकाओं को सुननेका अधिकार अबभी निर्वाचन न्यायाधिकरणों को ही है और न कि उच्च न्यायालय

को। इसलिए जब तक उक्त विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती और वह कानून नहीं बन जाता, हम इस विशेष खण्ड पर विचार नहीं कर सकते।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : यह प्रश्न कल भी उठाया गया था और अध्यक्ष महोदय ने उसे अस्वीकृत कर दिया था। सदस्य महोदय ऐसा किसी संवैधानिक उपबन्ध का उल्लेख नहीं कर पाये जिससे प्रस्तुत विधेयक के इस सभा द्वारा पारित किये जाने में कोई अड़चन या बाधा उत्पन्न होती। उनका जो कुछ भी कहना है वह यही कि प्रस्तुत विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि पहले विधेयक कानून नहीं बन जाता। यदि राष्ट्रपति पहले विधेयक पर अनुमति दे दें, तो संवैधानिक रोड़ा दूर हो जाता है और उसके बाद वह प्रस्तुत विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं। इसलिए कहीं भी कोई आपत्ति या अड़चन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विधि मंत्री से सहमत हूं। प्रस्तुत विधेयक के पारित किये जाने में कोई भी बाधा नहीं है, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। सभा विधेयक पर आगे विचार करेगी।

श्री गो० ना० दीक्षित : प्रस्तावित खण्ड 80—क के उप-खण्ड (3) को, जिसमें यह उपबन्ध है कि "उच्च न्यायालय न्याय के हित में या सुविधा की दृष्टि से चुनाव याचिका की जांच ऐसे किसी स्थान पर कर सकता है, जो उच्च न्यायालय का कार्य-स्थान नहीं है" निकाल दिया जाये। इस उपबन्ध से अत्यधिक कठिनाइयां पैदा होंगी और यह आवश्यक भी नहीं है। न्याय के प्रशासन के हित में और सिद्धांततः उच्च न्यायालय को अपने ही कार्य-स्थान पर काम करना जरूरी है। क्योंकि वहां पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध रहती है जो कि अन्यत्र नहीं मिल सकती। दूसरी बात न्यायालय के 'डिकोरम' तथा सम्मान के वातावरण की है जो न्याय के प्रशासन में महत्वपूर्ण तत्व है इस दृष्टि से भी उच्च न्यायालय को अपने ही स्थान पर काम करना चाहिए क्योंकि अन्यत्र उतना अच्छा वातावरण तथा सुविधाएं नहीं मिल सकतीं। इसके अतिरिक्त एक और बात यह है कि यदि हम एक बार इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि चुनाव संबंधी मामलों के बारे में उच्च न्यायालय को स्थान बदलते रहना चाहिए अथवा अन्य उसके कई सर्किट बेंच होंगे, तो इसका परिणाम यह होगा कि लोग दूसरे मामलों के संबंध में भी मांग करेंगे कि उच्च न्यायालय का कार्य-स्थान बदलते रहने चाहिए और इस कारण कठिनाइयां पैदा होंगी।

इतना जरूर है कि इससे गवाहों के साक्ष्य के दर्ज करने (रिकार्डिंग) के मामले में कुछ कठिनाई अवश्य होगी। किन्तु कठिनाई अनुभव होने पर सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया जा सकता है और यदि उच्च न्यायालय यह महसूस करे कि न्यायालय के परिसर के बाहर एक आयोग द्वारा गवाहियां रिकार्ड किया जाना सुविधाजनक है और उचित है, तो ऐसा किया जा सकता है। इस मामले में उच्च न्यायालय स्वतः ही नियम बना सकता है। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो, तो सिविल प्रक्रियां संहिता में थोड़ा सा संशोधन किया जा सकता है। अतः उप-खण्ड (3) आवश्यक नहीं है और उसे निकाला जाय।

श्री दनेन भट्टाचार्य : उप-खण्ड 3 में की गई व्यवस्था के अनुसार गवाही लेना सुविधा जनक रहेगा। एक साधारण व्यक्ति के लिए उच्च न्यायालयों में, जो कि काफी दूर होते हैं, मुकदमे लड़ना संभव नहीं है, इसलिए यह अधिक सुविधाजनक है कि गवाही याचिका पेश करने वाले के निर्वाचन-क्षेत्र अथवा उसके आस पास किसी स्थान पर ली जाये ताकि उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए गवाहों को बहुत दूर न ले जाना पड़े और अधिक खर्च न करना पड़े। अतः न्याय तथा सुविधा की दृष्टि से उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका की सुनवाई उसी निर्वाचन क्षेत्र में करनी चाहिए जहां का याचिकादाता हो। ऐसा उपबन्ध बनाना चाहिए था कि उच्च न्यायालय न्याय अथवा सुविधा की दृष्टि से संबद्ध निर्वाचन क्षेत्र में ही चुनाव याचिका की जांच करेंगे।

श्री त्यागी (देहरादून) : प्रस्तावित धारा 80-क की उपधारा (3) को हटाने से संबंधित संशोधन का समर्थन नहीं किया जा सकता। सभा का मतैक्य उस धारा के पक्ष में है। मैं विधि मंत्री से उच्च न्यायालयों को यह सलाह देने का अनुरोध करूंगा कि उन्हें यथा संभव मुकदमा लड़ने वालों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए।

श्री नि० चं० चटर्जी : प्रवर समिति का, जिसने इस खण्ड की सिफारिश की है, यह विचार नहीं है कि उच्च न्यायालय जिलों-जिलों में घूमते ही रहें। इसे तो हम जानते हैं कि चुनाव न्यायाधिकरण से अपील न्यायालयों में मामला जाता है और कई मामलों में अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय अपील स्वीकार कर लेता है क्योंकि संसद् उच्चतम न्यायालय के इस अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती है। अतः प्रस्तुत विधेयक में कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है जो केवल न्याय के ही नहीं अपितु चुनाव याचिकादाताओं तथा प्रत्यर्थ (रिस्पोडेंट) के हित में भी है। संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि "समिति की राय है कि उच्च न्यायालय न्याय अथवा सुविधा की दृष्टि से चुनाव याचिकों की जांच पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से किसी ऐसे स्थान पर करेगा जो उसके कार्य-स्थान से कहीं अन्यत्र हो।" चूंकि हम न्याय के हित में चुनाव-याचिकाओं को सुनने की शक्ति उच्च न्यायालय को दे रहे हैं और यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचन याचिकाओं की जांच करने के लिए अपने कार्य-स्थल से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें मामलों को शीघ्रता से निपटाना चाहिए और शीघ्र ही दक्षता एवं निष्पक्षता से न्याय करना चाहिए। इसलिए मेरी राय मे यह बहुत ही न्याय संगत, उचित तथा व्यावहारिक विधान है।

यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनाव याचिकाओं की जांच करने के लिए अपने कार्य-स्थल से दूरस्थ स्थानों पर जाना भी पड़े तो उन्हें इस में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीशों को मामलों को निपटाने में विलम्ब नहीं करना चाहिए तथा जल्दी ही दक्षतापूर्वक एवं निष्पक्षता से न्याय करने का प्रयत्न करना चाहिए।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): I want to draw the attention of the Law Minister to the fact that the delay in the disposal of election appeals has always been at the High Court level and not at the district court level. Therefore I doubt very much that the new provision for the disposal of election petitions will help the people in any way. Moreover, the cost of justice will also go up and only the rich people would be able to afford it. This would mean that election petitions will not be filed by the poor people as they will not be able to afford it. It is therefore in the fitness of things that the High Court should try the election petitions at the places where they are filed.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार सौंपने का उद्देश्य यह है कि लोगों को अच्छा न्याय मिल सके। परन्तु हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते, यदि हम उच्च न्यायालय के चुनाव सम्बन्धी न्यायाधीशों को विवाद क स्थान से यथासम्भव समीप भेजने और विवादों को वहां पर निबटाने की वांछनीयता पर विचार नहीं करते। चुनाव सम्बन्धी विवादों में आम तौर पर बहुत साक्ष्य देने होते हैं। यदि चुनाव सम्बन्धी याचिका दर्ज की जाती है तो गवाहियां देने के लिये लोगों को दूरस्थ स्थानों से उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा जिससे उनको बड़ी कठिनाई होगी। इसलिये हमें यह देखना चाहिये कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश विवाद स्थान के यथासम्भव निकट जाये और अपीलों को निपटायें। हमें न्याय को सस्ता बनाने का ो प्रयत्न करना चाहिये वरना हम अपने मूल उद्देश्य में भी असफल रहेंगे।

Shri Raghunath Singh (Varanasi): I strongly recommend the views of Shri Chatterji. I do not like the idea of collecting the evidence through commissions because that would be very expensive. The High Court should try the election petitions at the respective places. If it does not move from its seat to try the election petitions the poor people will be hard hit. How can a man from Tehri Garhwal afford to go to Allahabad with 100 witnesses. Therefore the judges should go to the district headquarters to try the election petitions. Hence, I think, that the new provision for the disposal of election petitions would not help the people in any way. The argument has been advanced that the facility of library is only at the High Court. But the argument has no weight because every bar association has a library. The people, therefore, are not going to benefit if the judges do not go at the district headquarters and try the petitions there.

श्री दे० शी० पाटिल (यवतमाल) : इस प्रश्न पर विभिन्न विचार प्रकट किये गये हैं। एक विचार तो यह है कि इस खण्ड को रहने दिया जाये। दूसरा विचार यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रत्येक जिला मुख्यालय में जाना चाहिये।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : अब सभा में भिन्न-भिन्न सदस्यों ने अपनी-अपनी राय प्रकट कर दी है। अतः सभा ही यह तय करेगी कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये अथवा इस खण्ड को बिना संशोधन ही रहने दिया जाये।

श्री गो० ना० दीक्षित : श्री त्यागी जी की अपील तथा माननीय विधि मंत्री की भावना को ध्यान में रखते हुए मैं संशोधन को वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन संख्या 68 वापस लेना चाहते हैं ?

संशोधन संख्या 68, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment No. 68 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 99 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 99 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कौनसा संशोधन प्रस्तुत करना चाहते थे ?

संशोधन किया गया

Amendment made.

पृष्ठ 18, पंक्ति 39 में "High Court" ["उच्च न्यायालय"] के पश्चात् "in its discretion" ["अपने विवेक से"] शब्द रख दिये जायें। (108)

[श्री गोपाल स्वरूप पाठक]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 38, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 38, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 38, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 39 से 42 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 39 to 42 were added to the Bill.

खंड 43

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 43 पर एक सरकारी संशोधन है ।

संशोधन किया गया।

Amendment made.

पृष्ठ 21,—

पंक्तियां 1 से 4 हटा दी जायें (64)

[श्री गोपालस्वरूप पाठक]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 43, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 43, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 43, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 44 पर एक संशोधन है ।

संशोधन किया गया।

Amendment made.

पृष्ठ 21,—

खण्ड 44 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :—

'44 (a) in Section 106 of the 1951 Act, for the words "the Tribunal", the words "the High Court" shall be substituted;

(b) in Section 107 of the 1951 Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) Subject to the provisions contained in Chapter IV-A relating to the stay of operation of an order of the High Court under Section 98 or Section 99, every such order shall take effect as soon as it is pronounced by the High Court."'

['44(क) 1951—अधिनियम की धारा 106 में, "न्यायाधिकरण" शब्द के स्थान पर "उच्च न्यायालय" शब्द रख दिये जायेंगे;

(ख) 1951—अधिनियम की धारा 107 में, निम्नलिखित उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

"(1) धारा 98 अथवा धारा 99 के अधीन उच्च न्यायालय के आदेश के प्रवर्तन को रोकने सम्बन्धी अध्याय चार-क में उल्लिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा घोषणा किये जाने के तत्कालपश्चात् लागू होगा"। (65)]

[श्री गोपाल स्वरूप पाठक]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 44, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 44, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 44, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 45 से 49 विधेयक में जोड़ दिए गये।

Clauses 45 to 49 were added to the Bill.

खण्ड 50

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 50 पर एक सरकारी संशोधन है।

संशोधन किया गया

Amendment made.

पृष्ठ 22,—खण्ड 50 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रखी जायें :—

'Substitution of new sections for sections 116A and 116B

50. For sections 116A and 116B, the following sections shall be substituted, namely:—

"Appeals to Supreme Court.

116A. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an appeal shall lie to the Supreme Court on any question (whether of law or fact) from every order made by a High Court under section 98 or section 99.

(2) Every appeal under this Chapter shall be preferred within a period of thirty days from the date of the order of the High Court under section 98 or section 99.

Provided that the Supreme Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant had

sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

Stay of operation of order of High Court.

116B. (1) An application may be made to the High Court for stay of operation of an order made by the High Court under section 98 or section 99 before the expiration of the time allowed for appealing therefrom and the High Court may, on sufficient cause being shown and on such terms and conditions as it may think fit, stay the operation of the order; but no application for stay shall be made to the High Court after an appeal has been preferred to the Supreme Court.

(2) Where an appeal has been preferred against an order made under section 98 or section 99 the Supreme Court may, on sufficient cause being shown and on such terms and conditions as it may think fit, stay the operation of the order appealed from.

(3) When the operation of an order is stayed by the High Court or, as the case may be, the Supreme Court, the order shall be deemed never to have taken effect under sub-section (1) of section 107; and a copy of the stay order shall immediately be sent by the High Court or, as the case may be, the Supreme Court, to the Election Commission and the Speaker or Chairman, as the case may be, of the House of Parliament or of the State Legislature concerned.

Procedure in appeal.

116C. (1) Subject to the provisions of this Act and of the rules, if any, made thereunder, every appeal shall be heard and determined by the Supreme Court as nearly as may be in accordance with the procedure applicable to the hearing and determination of an appeal from any final order passed by a High Court in the exercise of its original civil jurisdiction; and all the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 and the Rules of the Court (including provisions as to the furnishing of security and the execution of any order of the court) shall so far as may be, apply in relation to such appeal.

5 of 1908.

(2) As soon as an appeal is decided, the Supreme Court shall intimate to the substance of the decision to the Election Commission and the Speaker or Chairman, as the case may be, of the House of Parliament or of the State Legislature concerned and as soon as may be thereafter shall send to the Election Commission an authenticated copy of the decision; and upon its receipt, the Election Commission shall—

(a) forward copies thereof to the authorities to which copies of the order of the High Court were forwarded under section 106; and

(b) cause of the decision to be published in the Gazette or Gazettes in which that order was published under the said section.".' (66)

(Shri G. S. Pathak)

'धारा 116क और 116ख के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना।

50. धारा 116क और 116ख के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जाये, अर्थात् :—

"उच्चतम न्यायालय में अपीलें।

116क. (1) वर्तमान समय में किसी भी अन्य विधि में किसी बात के लागू रहते हुए भी, धारा 98 अथवा धारा 99 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये किसी भी आदेश (विधि अथवा तथ्य) के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

(2) इस अध्याय के अधीन कोई भी अपील उच्च न्यायालय द्वारा धारा 98 अथवा 99 के अधीन जारी किये गये आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जा सकेगी।

परन्तु उच्चतम न्यायालय उक्त 30 दिन की अवधि बीत जाने के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि के भीतर अपील न कर सकने का पर्याप्त कारण था।

उच्च न्यायालय के आदेश के प्रवर्त्तन पर रोक

116ख. (1) उच्च न्यायालय द्वारा धारा 98 अथवा 99 के अधीन जारी किये गये आदेश के प्रवर्त्तन को रोकने के लिये उच्च न्यायालय को, अपील की अवधि के भीतर आवेदन दिया जा सकेगा और उच्च न्यायालय, पर्याप्त कारण होने पर और ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जैसा कि वह उचित समझे, आदेश के प्रवर्त्तन को रोक सकेगा; तथापि उच्चतम न्यायालय को अपील कर दिये जाने के पश्चात् कोई आवेदन नहीं दिया जा सकेगा।

(2) यदि धारा 98 अथवा 99 के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध कोई अपील की गई है, तो उच्चतम न्यायालय, पर्याप्त कारण होने पर और ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जैसा कि वह उचित समझे, आदेश के प्रवर्त्तन को रोक सकेगा।

(3) यदि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा, जैसा भी मामला हो, आदेश का प्रवर्त्तन रोक दिया गया हो, तो आदेश को धारा 107 की उप-धारा (1) के अधीन लागू हुआ नहीं माना जायेगा; और रोक आदेश की एक प्रति तत्काल ही उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा, जैसा भी मामला हो, चुनाव आयोग और संसद् के सदनों के अध्यक्ष अथवा सभापति को, जैसा भी मामला हो, अथवा सम्बन्धित राज्य विधान सभाओं को भेजी जायेगी ।

अपील की प्रक्रिया ।

116ग. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा नियमों, यदि बनाये गये हों, के अधीन प्रत्येक अपील, उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा अपने मूल दीवानी क्षेत्राधिकारों के प्रयोग से, पारित किये गये अन्तिम आदेशों के विरुद्ध की गयी अपील की सुनवाई और निर्धारण संबंधी प्रक्रिया के यथासंभव समान रूप से सुनी जायेगी अथवा निश्चित की जायेगी; और ऐसी प्रत्येक अपील पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 और न्यायालय नियम, (जमानत देने और न्यायालय के किसी आदेश के पालन सम्बन्धी उपबन्धों को शामिल करके) वो सभी उपबन्ध इस सम्बन्ध में लागू होंगे ।

5 ऑफ 1908

(2) अपील पर निर्णय होते ही उच्चतम न्यायालय निर्णय के सार को चुनाव आयोग और संसद् की सभाओं के अथवा सभापति, जैसा भी मामला हो, अथवा सम्बन्धित राज्य विधान सभाओं को भेजेगा और इस के तत्काल पश्चात् चुनाव आयोग को निर्णय की एक प्रमाणीकृत प्रति भेजेगा, और इसके प्राप्त होते ही चुनाव आयोग

(क) धारा 106 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा जिन अधिकारियों को आदेश की प्रतियां भेजी गई थीं, उन्हें इसकी प्रतियां भेजेगा; और

(ख) उस निर्णय को उन राजपत्र अथवा राजपत्रों में प्रकाशित करेगा जिनमें उक्त आदेश उक्त धारा के अधीन प्रकाशित किया गया था" ।' (66)

[श्री गोपाल स्वरूप पाठक]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 50, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 50, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 50, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 51 और 52 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 51 and 52 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई माननीय सदस्य खण्ड 53 पर अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : क्या श्री मधु लिमये ने अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 53 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 53 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 53 was added to the Bill.

खण्ड 54 (धारा 126 का संशोधन)

श्री मलाइछामी (पेरियाकुलम) : मैं संशोधन संख्या 102 प्रस्तुत करता हूं :

इस संशोधन को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य यह है कि जो अधिकारी चुनाव की अवधि के दौरान अपना कर्त्तव्य ईमानदारी तथा दक्षतापूर्वक करते हैं उनको तुच्छ आरोप लगाये जाने से संरक्षण मिल सके । यदि उन पर लगाये गये आरोप न्यायालय में झूठे साबित हो जायें तो उन्हें चुनाव के दौरान हुई भूल चूक समझा जाना चाहिये । अत: मैं विधि मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये ताकि चुनाव के दौरान ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को तुच्छ आरोप से संरक्षण मिल सके ।

श्री स० मो० बनर्जी : खण्ड 54 में यह उपबन्ध है कि "कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदान क्षेत्र में 42 घण्टों की अवधि के अन्दर कोई आम सभा न बुलायेगा, न करेगा और न ही उसमें भाग लेगा ।"

यदि अवधि 24 घण्टे अथवा 48 घण्टे होती तो और बात थी परन्तु यह जो अवधि 42 घण्टे रखी गई है यह बात मेरी समझ में नहीं आई । मैं समझता हूं कि किसी भी उम्मीदवार के लिये 42 घण्टों की शर्त का पालन करना बहुत कठिन है । उसे या तो 24 घण्टे अथवा 48 घंण्टे कर दिया जाना चाहिये ।

श्री गोपालस्वरूप पाठक : मैंने 48 घण्टे का सुझाव दिया था परन्तु कुछ सदस्यों ने कहा था कि रात के छ: घण्टे निकाल दिये जाने चाहियें ।

श्री स० मो० बनर्जी : तब 42 घण्टे ही रहने दीजिये ।

श्री गोपालस्वरूप पाठक : मैं श्री मलाइछामी के संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक की योजना के बिल्कुल उलट है ।

श्री मलाइछामी : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या वह अपना संशोधन संख्या 102 सभा की अनुमति से वापस ले सकते हैं ।

संशोधन संख्या 102 सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

Amendment No. 102 was, by leave, withdrawan.

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : श्री बनर्जी के सुझाव पर संशोधन प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

श्री गोपालस्वरूप पाठक : मैं स्वयं उसे प्रस्तुत कर रहा हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 24, पंक्ति 4,—

"Fourty-two" ("बयालीस") के स्थान पर "Fourty-eight" ("अड़तालीस") रख दिया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकारी संशोधन को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने कहा था कि 42 घण्टों की गिनती करना कठिन हो जायेगा, इसलिये 12 अथवा 24 घण्टे होने चाहियें । मेरा उद्देश्य समय बढ़ाने का नहीं था । परन्तु मन्त्री महोदय अवधि को 42 की बजाय 48 घण्टे कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु आपने कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया हुआ है ।

श्री स० मो० बनर्जी : तब 42 घण्टे ही रहने दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना मतदान इस संशोधन के विरुद्ध दे सकते हैं । प्रश्न यह है :

पृष्ठ 24, पंक्ति 4,—

"Fourty-two" ("बयालीस") के स्थान पर "Fourty eight" ("अड़तालीस") रख दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 54, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 54, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 54, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 55 से 63 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 55 to 63 were added to the Bill.

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 was added to the Bill.

20—(भाग दो के अध्याय तीन के स्थान पर नये अध्याय का रखा जाना)

अध्यक्ष महोदय : अब हम पुनः खण्ड 20 पर आयेंगे जिस पर संशोधन परिचालित किया जा चुका है ।

श्री गोपालस्वरूप पाठक : मैंने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है। यह श्री कामत का सुझाव था। यदि श्री कामत को यह स्वीकार्य नहीं है, तो मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री अल्वारेस : श्री कामत को यह स्वीकार्य है।

श्री रंगा : हमें यह स्वीकार्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ को स्वीकार्य है और कुछ को नहीं।

श्री गोपालस्वरूप पाठक : तब मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि यदि सभा की एक राय हो केवल तभी वह इसे प्रस्तुत करेंगे।

श्री अल्वारेस : वह ऐसा कैसे कह सकते हैं। हम सभी इसे स्वीकार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रंगा इसके विरुद्ध हैं।

श्री रंगा : हमारा सारा दल इसके विरोध में है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः वह इसे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रिय गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। उन्होंने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री अल्वारेस : उन्होंने श्री कामत को वचन दिया था कि वह उसे प्रस्तुत करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उसे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री अल्वारेस : तब वह अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक वह संशोधन प्रस्तुत न कर दें, मैं उसे सभा के सामने नहीं रख सकता हूं।

श्री अल्वारेस : एक सुझाव दिया गया था कि सामाजिक अपराध करने पर भी सजा दी जानी चाहिये। इस पर माननीय मन्त्री ने श्री कामत को वचन दिया था कि वह इस पर संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसे केवल परिचालित किया था।

श्री स० मो० बनर्जी : खण्ड 20 पर किसी भी संशोधन को निपटाया नहीं गया है।

श्री गोपालस्वरूप पाठक : आज सुबह मैंने श्री कामत को सुझाव दिया था कि यदि वह अपने संशोधन के स्थान पर स्थानापन्न संशोधन रखना चाहे तो यह प्रारूप है। मैंने यह कभी नहीं कहा था कि मैं संशोधन प्रस्तुत करूंगा। श्री कामत इस समय उपस्थित नहीं हैं। अतः कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री सिंहासन सिंह : मेरा एक प्रश्न है। विधि मन्त्री कहते हैं कि उन्होंने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया था। परन्तु रिकार्ड देखने से पता चलेगा कि उन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया था। संशोधन प्रस्तुत करने के बाद उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि संशोधन को परिचालित किया जाये केवल तभी हमें संशोधन परिचालित किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसे प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री सिंहासन सिंह : रिकार्ड देखने से पता चल जायेगा कि उन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया था ।

श्री स० मो० बनर्जी : आज सुबह जब खण्ड 20 पर चर्चा हो रही थी तो मन्त्री महोदय ने संशोधन प्रस्तुत किया था । जब उसे पढ़ा जा रहा था तो हमने यह सुझाव दिया था कि इसे परिचालित कर दिया जाये, और इस पर चर्चा स्थगित कर दी जाये क्योंकि यह संशोधन बहुत बड़ा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा समाप्त हो चुकी थी और मन्त्री महोदय उसका उत्तर दे रहे थे ।

श्री गोपालस्वरूप पाठक : श्री कामत का संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तो इसमें किसी वाक्य का पता नहीं चलता है और दूसरे जमाखोरी और मुनाफाखोरी की व्याख्या नहीं की गई है । चुनाव कानून के सम्बन्ध में नैतिक पतन की परिभाषा करना बड़ा कठिन है । इससे भयंकर परिणाम निकल सकते हैं । इसलिये इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि कौनसे अपराध छोड़े जायें ।

निर्वाचन कानून के बारे में नैतिक पतन एक महत्वपूर्ण मामला है । यदि किसी विधेयक का सम्बन्ध ऐसे मामले से हो कि शान्ति व्यवस्था को भंग किया गया है, अथवा सम्पत्ति को नष्ट किया गया है चाहे वह निजी हो अथवा सरकारी तो आप यह न कह सकेंगे कि उसे चुनाव के अयोग्य न बनाया जाये । इसलिए इस मामले में कानून स्पष्ट है कि चुनाव अधिकारी को अधिकार है कि यह निर्णय करे कि किसे योग्य घोषित करें तथा किसे अयोग्य घोषित करें । हमें इस मामले को पेचीदा नहीं बनाना चाहिये । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

अब मैं धारा 9—क की ओर आता हूं ।

धारा 9 पर ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है । यदि श्री दीक्षित का संशोधन संख्या 67 स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं अपना संशोधन मत के लिये नहीं रखूंगा क्योंकि वह एक जैसे हैं । एक प्रश्न उस प्रकार के ठेकेदार के बारे में है जिसने सरकार से ठेका लिया है, ठेके का अपना भाग पूरा कर दिया हो । लेकिन सरकार द्वारा पूरी रकम न दी गई हो । उच्चतम न्यायालय ने ऐसे मामले में एक निर्णय यह दिया है कि वह ठेका अभी समाप्त नहीं हुआ । इंग्लैण्ड में तो यह अयोग्यता 1957 में कानून द्वारा समाप्त कर दी गई । परन्तु हमारे उच्चतम न्यायालय ने उसके विरुद्ध निर्णय दिया है । इसी कारण मैं उसमें स्पष्टीकरण जोड़ रहा हूं क्योंकि इसमें उन लोगों का दोष नहीं है ।

बहुत से निगम हैं जिनमें केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों की रुचि है और यदि उनसे किसी ने ठेका लिया तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा । उदाहरण के लिये खाद्य निगम है । यदि कोई उसे खाद्य देता है तो वह भी अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा । इसी प्रकार के अन्य निगम हैं जैसे राज्य व्यापार निगम, खादी बोर्ड आदि ।

हमें अपने कानूनों को सरल बनाना है । चुनाव अधिकारी को शीघ्रता से निर्णय करना होता है कि कोई व्यक्ति योग्य है अथवा नहीं । वह कानून तथा तथ्यों के पेचीदा प्रश्नों पर जल्दी में कैसे निपटा सकता है । इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि श्री दीक्षित के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये ।

फिर एक और प्रश्न भी आता है कि एक संसद् सदस्य आकाशवाणी से भाषण देने के बारे में ठेका करता है, क्या वह भी इस श्रेणी में आयेगा अथवा नहीं ? इसलिए हमें इस धारा को बढ़ाना नहीं चाहिये ।

अब मैं श्री विद्यालंकार के संशोधन संख्या 78 की ओर आता हूं क्योंकि उसके लिए उचित स्थान सरकारी कर्मचारी आचार तथा सेवा की शर्तें नियम में हैं । अन्यथा सरकारी कर्मचारी यह कहेगा

कि मेरे साथ क्यों भेदभाव बरता जा रहा है जबकि अन्य लोगों को तो चुनाव में खड़ा होने की अनुमति है? मेरे विचार में श्री दांडेकर जैसे व्यक्ति अच्छी सेवा कर रहे हैं। सेवा की शर्तों में यह होगा कि वे कुछ वर्षों के लिए चुनाव में भाग न ले सकें। यह भी पता होना चाहिये कि जब किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई जांच हो रही हो तो उसे त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं है।

मैं संशोधन संख्या 51 तथा 55 का विरोध करता हूं। चुनाव के अपराधों में अयोग्यता दंड मिलने की तिथि से 6 वर्ष तक है। संशोधन में इसे 6 वर्ष और बढ़ाने को कहा है अर्थात दो चुनावों तक वह चुनाव न लड़ सके। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

संशोधन संख्या 53 में कहा गया है कि दोनों ओर से ठेका पूरा होने के पश्चात् भी दो वर्ष तक चुनाव के अयोग्य बना दिया जाना चाहिये। मैं इसका विरोध करता हूं।

फिर संशोधन 54 में कहा गया है कि यदि किसी सदस्य को सदन की सेवा से तीन बार निलम्बित कर दिया हो तो उसे 6 वर्षों के लिये अयोग्य बना दिया जाये। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि इससे सभा के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। इंग्लैंड ने इसे कुछ समय के लिये लागू किया था परन्तु इसका इतना विरोध हुआ कि उसे हटाना पड़ा।

मैं संशोधन संख्या 56 का भी विरोध करता हूं क्योंकि उसके द्वारा अयोग्यता हटाने की निर्वाचन आयोग के अधिकार को लिया जाता है। परन्तु मेरे विचार में निर्वाचन आयोग के पास यह अधिकार होना चाहिये। जितने समय से निर्वाचन आयोग कार्य कर रहा है उसने लोगों से प्रशंसा प्राप्त की है। इसलिये मैं इस संशोधन का भी विरोध करता हूं।

मैं संशोधन संख्या 73 तथा 74 का भी विरोध करता हूं। मैं संशोधन संख्या 75 का भी विरोध करता हूं। संयुक्त समिति ने इस ओर काफी कह दिया है कि निर्वाचन आयोग को अयोग्यता हटाने के कारण लिखने चाहियें ताकि सब को उन कारणों का पता चल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री मधु लिमये के संशोधन संख्या 28 तथा 29 को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 28 और 29 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 28 and 29 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री श्रीनारायण दास के संशोधन संख्या 52, 53, 54, 55 तथा 56 मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 52, 53, 54, 55 तथा 56 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 52, 53, 54, 55 and 56 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 63 सभा के सम्मुख रखता हूं। प्रश्न यह है : पृष्ठ 13, पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

"Explanation.—For the purposes of this section, where a contract entered into by a person himself or by any person or body of persons referred to in this section with the appropriate Government or with any company or corporation (other than a co-operative society) referred to in this section, has been fully performed by the person himself or by the person or body of persons as aforesaid, the contract shall be deemed not to subsist by reason

only of the fact that the appropriate Government or such company or corporation has not performed its part of the contract either wholly or in part." (63)

["व्याख्या.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये जहां किसी व्यक्ति द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा कुछ व्यक्तियों द्वारा, जिनका इस धारा में उल्लेख किया गया हैं, उपयुक्त सदकार अथवा किसी कम्पनी अथवा निगम (सहकारी समिति के अतिरिक्त), जिनका इस धारा में उल्लेख किया गया है, के साथ किये गये करार को उक्त व्यक्ति द्वारा स्वय अथवा किसी व्यक्ति द्वारा अथवा कुछ व्यक्तियों द्वारा पूरी तरह पालन किया गया है तो केवल इस कारण कि इसका उपयुक्त सरकार अथवा ऐसी कम्पनी अथवा निगम द्वारा करार के किसी भाग का पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से पालन नहीं किया गया है इस करार को लागू नहीं हुआ समझा जायेगा।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : श्री दीक्षित के सशोधन के दो भाग हैं । एक तो मेरे से स्वीकृत हो चुका है । मैं इसका दूसरा संशोधन भी स्वीकार कर सकता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन इस प्रकार है :

Pages 12 and 13,—
for lines 41 to 43 and 1 to 8 respectively
Substitute—
"Disqualification for Government contracts, etc.

9A. A person shall be disqualified if, and for so long as, there subsists a contract entered into by him in the course of his trade or business with the appropriate Government for the supply of goods to, or for the execution of any works undertaken by, that Government.

Explanation.—For the purposes of this section, where a contract has been fully performed by the person by whom it has been entered into with the appropriate Government, the contract shall be deemed not to subsist by reason only of the fact that the Government has not performed its part of the contract either wholly or in part." (67)

पृष्ठ 12 और 13 में क्रमश: पंक्ति 41 से 43 और 1 से 8 स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :
सरकारी ठेकों आदि के कारण अनर्हताएं

[9क एक व्यक्ति तब तक अनर्हत होगा जब तक कि उसके द्वारा, उसके व्यापार अथवा व्यवसाय के सिलसिले में सम्बन्धित सरकार के माल के सम्भरण अथवा उसके अधीन किसी कार्य के करने का ठेका जारी रहेगा ।

व्याख्या.—इस धारा के प्रयोजन के लिये जहां कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पूरी तरह कर लिया गया हो जिसे उसने सम्बन्धित सरकार से लिया हो, वह ठेका केवल इस कारण लागू हुआ नहीं माना जायेगा कि सम्बन्धित सरकार ने ठेके के कार्य का आंशिक अथवा पूरी तरह पूरा नही किया] (67)

इस संशोधन पर अग्रेतर कल विचार किया जायेगा ।

विद्यार्थियों में असंतोष तथा हाल के महीनों में हुई गड़बड़ी के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: STUDENT UNREST AND TROUBLE IN RECENT MONTHS

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : महोदया मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि विद्यार्थियों में असन्तोष तथा हाल के महिनों में हुई गड़बड़ी पर विचार किया जाये"।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
(Mr. Chairman in the Chair.)]

सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के बारे में इस चर्चा में हमें दलों के दृष्टिकोण से विचार नही करना है।

मेरे विचार में यह कहना उचित नहीं होगा कि यह कह दिया जाये कि यह चुनाव का ढोंग है। ऐसी बात नहीं है। साथ ही यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि सारे संसार में विद्यार्थियों में असंतोष है, इसलिये हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिये।

यह कहना भी सत्य नहीं होगा कि यह विद्यार्थियों का असंतोष सारे देश में फैला हुआ है।

यह कुछ राज्यों में है। यह अधिकतर बिहार तथा उत्तर प्रदेश में है। यह कुछ राजनीतिक प्रश्नों पर हुआ है। भाषा सम्बन्धी विद्यार्थी झगड़े मद्रास में भी हुए थे परन्त उसके पश्चात् वहां झगड़े नहीं हुए। 1963 में 28 झगड़े हुए थे, 1964 में 100 झगड़े हुए तथा 1965 में 240 और 1966 में 202 बार झगड़े हुए।

साथ ही यह भी याद रहे कि 1963 के 28 उपद्रवों में से केवल 6 का सम्बन्ध शिक्षा सम्बन्धी शिकायतों से था। इसी प्रकार 1964 में केवल 13 का सम्बन्ध शिक्षा से था और 1965 में 29 का सम्बन्ध शिक्षा से था। 1966 में 50 का सम्बन्ध शिक्षा से था।

1963 में केवल एक बार गोली चलाई गई, 1964 में 13 बार, 1965 में 41 बार और 1966 में 40 बार।

स्थिति बिगड़ती रही है। हो सकता है कि इसके कारण समाजिक तथा राजनीतिक हों।

1955 के दिसम्बर में मैंने एक चर्चा इस सम्बन्ध में राज्य सभा में उठाई थी। आज भी जो कारण असन्तोष के उस समय दिये गये जैसे शिक्षक तथा विद्यार्थियों का अनुपात, वही दिये जा रहे हैं। क्या उस समय से अब तक हमने कोई प्रगति नहीं की।

इस दिशा में जो मैंने इस समय कहा था वह आज भी उतना ही उचित है।

सब से पहले तो हमें शिक्षा मन्त्रालय में सुधार करना होगा। वहां हमें वे लोग रखने चाहियें जो देश के नवयुवकों से सम्पर्क स्थापित रखें। राज्यों में भी शिक्षा मंत्रालयों को हमें महत्व देना चाहिये।

उपद्रवों का आयोजन विद्यार्थियों ने नहीं किया था ; कुछ समाज विरोधी तत्वो ने उनका लाभ उठाया। उपकुलपतियों की नियुक्ति ऐसे लोगों में से की जानी चाहिये जिन्हे राष्ट्रव्यापी आदर

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

प्राप्त हो। उपकुलपतियों की तालिका केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाये रख सकता है। उपकुलपतियों की नियुक्तियां उसी तालिका में से की जानी चाहिये। किसी राज्य विशेष में उपकुलपति उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिये जिसका निवासी वहां का राज्यपाल हो।

जब कभी कहीं कोई कठिनाई हो तो उपकुलपति तथा किसी डीन को समूची गड़बड़ की जांच करनी चाहिये। तदर्थ निकाय स्थापित करने की प्रथा अच्छी नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के कष्टों की जांच करने के लिए निकाय बनाने चाहिये। कष्टों की ओर ध्यान देने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये।

कुछ समय से शिक्षा परिषदों तथा सिण्डीकेटों के प्रभाव में कमी हो रही है। उनकी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की जानी चाहिये। अब हमें आदर्श विश्वविद्यालय जैसा कोई अधिनियम बनाना चाहिये जोकि उनको अपना उचित स्थान तथा स्थिति प्रदान करेगा।

कुछ व्यावसायिक विद्यार्थी हैं और वे विश्वविद्यालयों में गड़बड़ी के लिए जिम्मेवार हैं। उन में से कुछ विद्यार्थियों को राजनैतिक दलों से आर्थिक सहायता मिलती है इसलिये, 25 वर्ष से अधिक आय वाले किसी विद्यार्थी को नियमित विद्यार्थी तथा किसी संघ के सदस्य बनने का पात्र नहीं समझा जाना चाहिये। विश्वविद्यालय के बाहर तथा राजनैतिक दलों में सम्बन्धित किसी व्यक्ति को संघों में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिये।

यदि विद्यार्थियों की कठिनाइयों की ओर उचित ध्यान दिया जाता है और फिर भी वे विश्व के अहाते के बाहर विधि तथा व्यवस्था की समस्या पैदा कर देते हैं तो इसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। देश के प्रत्येक व्यक्ति को यह बात बिलकुल स्पष्ट कर देनी चाहिये कि उपद्रवों से कोई लाभ नहीं होगा। देश में गड़बड़ी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ कड़ाई के साथ निपटा जाना चाहिये। इस मामले में विद्यार्थियों को कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिये। हमें अपने नर-युवक विद्यार्थियों को यह शिक्षा देनी चाहिये कि वे किसी भी परिस्थिति में विधि को अपने हाथ में नहीं ले सकते। विद्यार्थियों में असंतोष की समस्या हल करने के लिए हमें विद्यार्थियों के माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों को एक ही मंच पर लाना चाहिये। हमें एक नियमित कार्यक्रम रखना चाहिये जिससे विद्यार्थियों में प्रयोजन तथा सहयोग की भावना पैदा हो ताकि उन्हें अपने विश्वविद्यालय पर गर्व हो। मुझे इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं है कि हम विद्यार्थियों को अधिक लाभप्रद कामों में लगा सकते हैं और देश की प्रतिष्ठा ऊंची कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री विश्वनाथ पांडेय (सलेमपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं श्री हरीश्चन्द्र माथुर के साथ इस बात पर सहमत हूं कि शिक्षा संस्थाओं तथा सम्बन्धित सरकारों के बीच सम्बन्ध में सुधार आवश्यक है परन्तु उसके साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि छात्रों में अशान्ति देश में वर्तमान सामान्य अशान्ति का केवल एक भाग है।

छात्रों पर जनता की पीड़ाओं की प्रतिक्रिया तुरन्त होती है। इसलिये यह कहना गलत है कि इस अशान्ति के लिए कुछ राजनैतिक दल जिम्मेवार हैं। जनता में असन्तोष तथा भ्रम के लिए सरकार जिम्मेवार है। वह जनता की कठिनाइयां दूर करने में असफल नहीं हुई है। राजनैतिक दलों को देश में अशान्ति के वातवरण का सामना करना होता है और इसलिए उनकी निन्दा नहीं की जा सकती।

हमें कालेजों के प्रिंसिपलों तथा उपकुलपतियों का सम्मान करना सीखना चाहिये। छात्रों की समस्याओं को हल में करने पुलिस को उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिय। परन्तु बड़े खेद की बात है कि अभी हाल ही की कुछ घटनाओं में पुलिस ने अध्यापकों, प्राध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को पीटा है, जब भी पुलिस द्वारा गोलीबारी की जाती है तब न्यायिक जांच की मांग होती है, परन्तु सरकार को उन मांगों का उत्तर देने की आदत भी नहीं है। यदि गोलीबारी के तुरन्त पश्चात् जांच की आज्ञा दे दी जाये तो आधा उत्पात समाप्त हो जायेगा। छात्रों का विरोध ठंडा हो जायेगा और वे जांच के लिये तैयारी रखने में व्यस्त हो जायेंगे।

कालेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की शिकायतें दूर करने के लिए, माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों की एक संस्था होनी चाहिये। कुछ राजनैतिक दलों ने अपने संघ संगठित किये हैं। इन संघों के नेताओं को भी समझौता तन्त्र प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए। छात्रों को उन से सम्बन्धित अनेक समस्याओं के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण और भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिये। उन में यह भावना होनी चाहिए कि जिस प्रकार सरकार चलाई जा रही है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। दाखले के बारे में जाति और समुदाय के आधार पर भेदभाव होता है। कई बार आन्ध्र प्रदेश में भेदभाव दूर करने के लिये उच्च न्यायालय में सैंकड़ों याचिकाएं प्रस्तुत करनी पड़ी हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार में प्रतिष्ठा तथा जिम्मेवारी वाले पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को जनता में विश्वास रखना चाहिये और केवब ऐसी बातें ही कहनी चाहिये जिनके सम्बन्ध में उन्हें विश्वास हो कि वे उन्हें कार्यान्वित कर सकेंगे। अन्यथा छात्रों का विश्वास राष्ट्रीय नेताओं पर नहीं रहेगा और एक बार ऐसा हो जाने पर हम आशा नहीं कर सकते कि वे अशान्ति नही करेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : आज हम इस विषय पर दिल्ली में चर्चा कर रहे हैं, जहां हमने सशस्त्र सैनिकों को न केवल गलियों में बल्कि विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में घूमते देखा है। विद्यार्थियों को यहीं इस कारण नहीं आने दिया गया क्योंकि गो-रक्षा आन्दोलन हिन्सात्मक हो गया था। विद्यार्थियों के असन्तोष पर चर्चा करते समय हमें यह देखना चाहिये कि इन सब का वास्तविक कारण क्या है। विद्यार्थियों के आन्दोलन का आरम्भ बंगाल से हुआ था और उसके कारण आर्थिक थे।

विद्यार्थियों को भोजन उपबब्ध नहीं था और उन्हें पढ़ने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा था। यह आन्दोलन इसी कारण आरम्भ हुआ। सरकार ने उनकी शिकायतों को सुनने की बजाय उन पर लाठी और गोली चलाने का आदेश दिया और इस प्रकार यह एक राजनैतिक समस्या बन गई थी। इसके लिए जिम्मेवार सरकार ही है।

शिक्षा के सम्बन्ध में विद्यार्थियों के सामने कोई आदर्श नहीं रखे गये हैं। अनेक स्कूल तथा कालेजों में अभी तक वही ब्रिटिश पुरानी पाठ्य-पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, परीक्षा का

स्तर गिर गया है और पक्षपात बहुत बढ़ गया है । शिक्षकों का ठीक चुनाव नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस दल के लोग स्कूलों के बोर्डों को अच्छे पदों पर पहुंचने का साधन बना रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी समिति की भी यही दशा है और पाठ्य पुस्तकों को चुनने में घूसखोरी और भ्रष्टाचार चल रहा है।

पाठ्यक्रम का वास्तविक जीवन में क्या सम्बन्ध है । तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को कोई पूछता नहीं है । अधिक खर्च कर सकने योग्य माता पिता अपने बच्चों को यूरोप के स्कूलों में पढ़ाते हैं। विश्वविद्यालयों से निकलने पर, उन का उच्च पदों के लिए चुनाव हो जाता है । परन्तु ऐसे लोगों के बच्चों को, जो इस शिक्षा का खर्च सहन नहीं कर सकते जीवन में निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । उनके लिए कोई संस्थायें और वैज्ञानिक विज्ञान मन्दिर नहीं हैं ।

जब दिल्ली में शिक्षा संस्थाओं के अध्यक्षों तथा उपकुलपतियों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा सम्बन्धी मांगें पूरी नहीं की जातीं । तब हमें शांति स्थापित करने के लिए बुलाने का क्या लाभ है । सब से बुरी बात यह है जब कहीं कोई अच्छी उपकुलपति नियुक्त किया जाता है तो उसको बदल कर उसके स्थान पर भ्रष्ट उप-कुलपति लगाया जाता है। । ऐसा ही उसमानिया विश्वविद्यालय के मामले में हुआ है । शिक्षा सम्बन्धी मांगें अवश्य पूरी की जानी चाहियें। शिक्षा के लिए सरकार को अधिक धनराशि देनी चाहिए। आयोग नियुक्त किये जाते हैं उनके प्रतिवेदन आते हैं और उन सब को कूड़े में फेंक दिया जाता है क्योंकि उसके लिए धन नहीं है।

कलकत्ता के तीन कालेजों से सर्वोत्तम विद्यार्थियों को निकाल दिया गया है। हो सकता है उन विद्यार्थियों ने कुछ गलत कार्य किया हो परन्तु उनको कालेजों से निकाल देना उचित नहीं है। यदि हमारे बच्चे घरों में गलत आचरण करते हैं तो क्या हम उनका स्कूल अथवा कालेज जाना बन्द कर देते हैं ? हमें उनको दण्ड देने का कोई अन्य तरीका निकालना चाहिए। विद्यार्थियों को स्कूल से निकाल देने का पुराना साम्राज्यवादी तरीका है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए ।

कानपुर में एक शिक्षा संस्था के मुख्य अध्यापक की इस बात से मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस संस्था में पुलिस घुस गई थी । कलकत्ता में लोगों की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया था कि इस सारे मामले अर्थात् पुलिस का शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश करना आदि की जांच कराई जानी चाहिए। परन्तु सरकार इससे सहमत नहीं हुई है । इस प्रकार स्थिति पहले से ही बनी हुई है शिक्षा-संस्थाओं की स्वतंत्रता का आदर किया जाना चाहिए ।

मेरे विचार में वर्तमान स्थिति के लिए सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं। इसलिए सरकार को कोई अन्य आयोग स्थापित करने के बजाय उप-कुलपतियों की मांगों को पूरा करना चाहिए । शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए जिसमें राष्ट्रीय आदर्श के साथ समाज की वैज्ञानिक तथा आधुनिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें और उनको रोजगार मिल सके।

मैं चाहती हूं कि गोली बारी के प्रत्येक मामले की जांच कराई जानी चाहिए । मेरा विचार है कि अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के संघ को स्वयं समस्याएं हल करने दी जानी चाहिए। इस मामले में कार्यापालिका, सत्तारूढ़ अथवा किसी के हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं है। दिल्ली में जो कुछ हुआ वह बड़ी लज्जा की बात है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : (धनबाद) : यह कहना गलत है कि विद्यार्थियों की समस्या समृद्धि अथवा निर्धनता की समस्या है। वास्तव में यह एक आय-अभिव्यक्ति थी, रचनात्मक कार्यों के लिए अभिव्यक्ति का साधन ढूंढ़ने की समस्या है और इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

विद्यार्थियों को अनेक कठिनाइयों का सामना है । यह विधि व्यवस्था का प्रश्न नहीं है क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी देश के विकास तथा प्रगति के लिए कार्य करना चाहता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थी कल्याण निदेशक स्थापित किया जाये जो कि विद्यार्थियों की समस्याओं से सम्बन्धित हो। उसके पास एक परामर्श समिति उसकी सहायता के लिये होनी चाहिए जिसमें शिक्षकों के भी कुछ सदस्य होने चाहिए । रजिस्टर्ड स्नातकों की परिषद को भी इससे सम्बन्धित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों की भी एक परिषद बनाई जानी चाहिए। इसका निर्वाचन भी स्वयं विद्यार्थियों को करना चाहिए।

(**श्री श्यामलाल सर्राफ** पीठासीन हुए
Shri Sham Lal Saraf *in the chair.*)

माता-पिता और अध्यापकों की अभी तक कोई संस्था नहीं बनाई गई है। इस प्रकार की एक संस्था बनाई जानी चाहिए जोकि नियमित रूप से विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को मिले तथा उनकी समस्याओं को समझे । ऐसी संस्था में माताओं तथा बहनों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

प्रत्येक कालेज में योजना मंच भी स्थापित किये जाने चाहिएं ताकि विद्यार्थियों को पता लगता रहे कि भारत किस प्रकार अपनी विकास नीति पर अग्रसर है। उप-मंत्री ने मुझे बताया था कि देश के विभिन्न कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में ऐसे 500 मंच हैं । मैंने समस्त देश की यात्रा की परन्तु मुझे कहीं ऐसा कोई मंच दिखाई नहीं दिया। सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिए नियमितरूप से ऐसे मंच होने चाहिए ।

राजनीतिक कार्यों में विद्यार्थियों के सम्मिलित होने का मैं समर्थन करता हूं। परन्तु उनको अनुशासन में रहकर कार्य करना चाहिए। मैं ने स्वयं भी महात्मा जी की पुकार पर कालेज छोड़ दिया था। महात्मा जी ने कहा था कि केवल वही विद्यार्थी कालेज छोड़ें जो अनुशासन में रह कर कार्य कर सकते हैं ।

मैंने सुझाव दिया था कि ऐसे विद्यार्थियों की जिनकी आयु भी अधिक है और जो कई वर्गों से कालेजों में हैं जांच कराई जाये। ऐसे केवल दस प्रतिशत विद्यार्थी ही हैं जोकि शेष 90 प्रतिशत विद्यार्थियों को भड़काते हैं ।

अध्यापक विद्यार्थी अनुपात को भी उचित ढंग से निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसा करना शिक्षा के हित में होगा। ट्यटोरियल कक्षाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को यह मालूम हो कि एक ऐसी भी संस्था है जहां उनकी अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त क्षेत्र है और जहां

उनकी प्रतिभा को उचित मार्गदर्शन मिल सकता है । अध्यापकों को पर्याप्त भत्ता दिया जाना चाहिए जिससे वे प्राइवेट ट्यूशन के लिए अधिक उत्सुक न हों । युवकों के मस्तिष्क में निराशा की भावना उत्पन्न नहीं होने दी जानी चाहिए ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के साथ न्याय नहीं किया गया है और न ही मेरे विचार में शिक्षा के मामले पर गम्भीरता से विचार किया गया है । हम सदा यह कहते रहे हैं कि केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर शिक्षा के लिए योजना का 20 प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिए । इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया और जब कभी कोई बचत की जाती है तो शिक्षा को ही हानि उटानी पड़ती है । शिक्षा पर व्यय किये गये धन से भी कोई लाभ नहीं हुआ है । इसलिए मेरा कहना है कि शिक्षा की उपेक्षा की गई है इसलिए अध्यापकों की भी उपेक्षा की गई है । आज देश को विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा स्कूलों के अध्यापक असन्तुष्ट हैं और यही कारण है कि विद्यार्थियों में भी निराशा तथा असंतोष की भावना पाई जाती है । विद्यार्थी उस बेचैनी के भी शिकार हो रहे हैं जो कि हाल ही के वर्षों में हमारे देश में फैल गई है । विद्यार्थी देश में घट रही घटनाओं से अवगत हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं कि कई बार उसकी प्रतिक्रिया भी उनपर हुई है । देश की वर्तमान स्थिति का यही कारण है ।

मेरे एक माननीय मित्र ने कहा है कि विद्यार्थियों को कोई शिकायत नहीं और कि राजनैतिक दल ऐसी परिस्थितियों से लाभ उठा रहे हैं ऐसे कई स्कूल हैं जिनमें विज्ञान का कोई अध्यापक नहीं है, कोई प्रयोगशाला नहीं है । कई ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं जिन में अध्यापक नहीं हैं तथा उनका कोई भवन नहीं है । अनेक सम्बद्ध कालेजों में अध्यापकों को कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता है । कुछ ऐसे राज्य विश्वविद्यालय हैं जिनको निम्न स्तर का समझा जाता है । ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी अलग अलग कैसे रह सकते हैं । इसलिए कुछ उपद्रवी ऐसी परिस्थितियों का अवश्य ही लाभ उठायेंगे क्योंकि वे अपने प्रचार के लिए विद्यार्थियों को बहुत ही उपयुक्त साधन समझते हैं । देश के लोगों में ऐसी भावना उत्पन्न हो गई है कि जब तक प्रदर्शन तथा आन्दोलन नहीं किये जाते तब तक किसी बात की सुनवाई नहीं होती । प्रत्येक समस्या के लिए आन्दोलनात्मक दृष्टिकोण ही अपनाया जाता है । यही भावना विद्यार्थियों में भी उत्पन्न हो गई है । परन्तु हमें अपने विद्यालयों, कालेजों तथा स्कूलों को शिक्षा के पवित्र स्थल बनाना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से उनकी पवित्रता भंग न कर सके ।

अध्यापकों को उचित प्रतिष्ठा, सम्मान, वेतन तथा भत्ता दिया जाना चाहिए ।

तीसरे प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा कालेज में विद्यार्थियों का डीन नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि वह विद्यार्थियों की शिकायतों को सुन सकें । विद्यार्थियों के समक्ष कुछ ऐसे लक्ष्य रखे जाने चाहिएं जिससे वे जीवित रह सकें । स्वतन्त्रता, समृद्ध तथा सुखी भारत बनाने के कार्य में विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सहयोगी बनाना चाहिए । यदि इस प्रकार के लक्ष्य उनके समक्ष रखे जाते हैं तो बहुत सी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं ।

Shri Yashpal Singh (Kairana): There are mainly few reasons for the students unrest and indiscipline. Religious and morality is not taught in an educational institutions. Lack of such an education is mainly responsible for the present indiscipline among the students of our country. In our religion it is thught how to respect the parents, teachers and all other elders. Had

they been imparted this religious education at present unrest and indiscipline would not have been there.

Secondly the present indiscipline and unrest among the students is a clear proof of Government's failure to form a proper educational policy. Ramaswami Mudliar has stated in his report that students are not sure of getting employment after completing the education. Lack of this confidence is also one of the reason for he present unrest. If any student is assured of his employment and bright future after completing the education, I am sure he will not resort to such an agitational approach. But as they see their future dark they resort to such unlawful methods.

In suppressing these student agitations Government should not take recourse to firing and lathi-charge. In any district where police resort to firing the service of concerned Deputy Commissioner/Collector should be terminated. There had not been a single instance of police in America for the last fifty years.

With these words I will emphasise on the Government to start immediately religious education in the school and college if at all they are interested in maintaining discipline among the students.

Shri Parkash Vir Shastri (Bijnor): One of the main reason of the prevailing unrest and disorder among the students is that they are not sure of their future. Now they are expressing their dissatisfaction and resentment through demonstrations and also by resorting to agitations. Government should have shaped their psychology in such a way that they might not have to trouble after service on completion of education or the problem of unemployment amongst the educated people should have been solved. The number of unemployed educated persons have increased from 50,000 to 5,00,000 from the beginning of the First Five Year Plan to the end of the Third Five Year Plan. This number is again likely to inorease between 8,00,000 to 9,00,000 during the Fourth Five Year Plan.

Second main reason for the students unrest is Government carelessness towards their demands. Instead of paying immediate attention towards their grievances Government have always tried to suppress them. In Delhi law students wanted to see the Law Minister in connection with the change of their two years course into three years but the Law Minister refused to see them and all that happened afterwards is quite clear. In Jammu police entered the University campus and fired on the students. A girl sitting in the window on the second storey of her house was also shot down. Similar happenings happened in Patna, Gwalior and other places in U.P. All this shows that people are loosing confidence in Government and that Government believes in force only.

The Government have also deprived the people of their constitutional right of holding demonstrations before Parliament House. On 18th November Government did not allow the students to hold demonstration before Parliament House. The whole of Delhi was looking like a military camp. In this way their grievance cannot be removed. Government should have allowed the students to present a memorandum and asked them not to gather in large number but only in few hundreds or thousand. By depriving the people of their constitutional right of holding demonstration before Parliament House Government have not only agitated the minds of the people but have also created more dissatisfaction amongst the people.

The talks of democratic socialism of Government are meaningless. Equal opportunities of education are not afforded to all categories of students. There are schools in which four or five hundred rupees are spent on a child while there are schools where even a teacher did not get that much of money.

Education have always been neglected by the Central Government. A Minister also could not fit in any other place is given the portfolio of education. That is the main reason why education department has lost his prestige. Students have enough time at their disposal but they do not know who to spend this time. They do not see any bright and definite future before them. Thus they indulge in strikes and agitations.

Text-books in the schools are changed frequently. New books take time to appear in the market. Educationists should be consulted to tackle the problem of students. Government should also realise that repressive methods would not help in solving the problems of students.

श्री खाडिलकर (खेड) : विद्यार्थियों में असंतोष की समस्या को देश के वर्तमान सामाजिक वातावरण से पृथक नहीं किया जा सकता । यदि हम इस समस्या को प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच सकेंगे ।

यदि देश की वर्तमान स्थिति को देखा जाये तो भविष्य अन्धकारमय ही दिखाई देता है । विद्यार्थियों में फैले असंतोष का एक यह भी मुख्य कारण है । देश में शान्तिमय क्रान्ति आ रही है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 24 नवम्बर, 1966/3 अग्रहायण, 1888(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the 24th November, 1966/Agrahayana 3, 1888 (Saka).

GMGIPND—LS III—2395 (Ai) LSD—14-9-67—600